दशम माला, खंड 37, अंक 11

बुधवार, 21 दिसम्बर, 1994
30 अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम सं॰	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िए
1	8	मेहन	मेहनत
30	24	श्री गिरधर गमांग	श्री गिरिधर गमांग
51	24	श्री एस॰ शिवरामन	श्री एस॰ शिवरामन
58	24	श्री ललित डोराव	उरांव
59	नीचे से 15	योजना और कार्यक्रम मंत्री	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री
73	1	सुदूर संवदी उपग्रह	सुदूर संवेदी उपग्रह
102	9 और 13	स्वैच्छिक	स्वयंसेवी
106	प्रश्न सं॰ 2216 शीर्षक	21 दिसम्बर, 1994 को होने वाली सदन की बैठक के लिए भारी जल	भारी जल
107	प्रश्न सं॰ 2217	डा० एम॰ पी॰ यादव	डा० एस॰ पी॰ यादव
134	प्रश्न सं॰ 2250	श्री धर्मण्णा मोंडुया सादुल	श्री धर्मण्णा मोंडयूया सादुल
146	प्रश्न सं॰ 2266	श्री भगवान शंकर रावत	श्री भगवान शंकर रावत
151	8	2271	2272
152	नीचे से 14	राजस्थान में जवाहर रोजगार	राजस्थान में जवाहर रोजगार योजना

विषय-सूची

दशम माला, खंड 37, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 11, बुधवार, 21 दिसम्बर, 1994/30 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	201—220	1—29
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2137—2152	
	2154—2244	
	2246—2270	
	2272—2324	
	और 2324क—2324ग	29—212
सभा पटल पर रखे गए पत्र		213—227
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
आयकर अधिनियम में परिवर्तन —श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति		227—228

लोक सभा

बुधवार, 21 दिसम्बर, 1994 / 30, अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने प्रश्न-काल के सस्पेंशन के लिए नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय, हमने ए.टी.आर. के मामले में जितनी मेहन की थी और आपने भी इसमें प्रयास किया था। ये सारा ए.टी.आर. जो फिर से किया है हम यह महसूस करते हैं कि इसमें पुराने ए.टी.आर. से कोई अंतर नहीं है, पूरी तरह से जो मुख्य-मुख्य बातें थीं उनमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। इस तरह से पूरे देश में हम कहना चाहते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलेंगे, उनको बोलने का चांस नहीं है यह रिकार्ड में जाएगा। उसके लिए टाइम फिक्स किया गया है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में मीटिंग हुई थी और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस क्राइसिस को खत्म किया था, यह कह करके कि एक्शन लिया जाएगा। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जो दोषी मंत्री थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, जो दोषी फौरन बैंक्स थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और जो रिजर्व बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, एकतरफा बात लोगों के सामने जाएगी, यह तो ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि हमने संशोधित की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थान बुद्धि की लड़ाई का है, अन्य किसी प्रकार के संघर्ष का स्थान नहीं है। आपके असंतोष और उन्होंने जो किया है उस पर भी चर्चा हेतु हमने समय निर्धारित किया है। उस समय आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, मैं आपको 'नहीं' कहना नहीं चाहता हूं और मैं आपको कुछ कहने की अनुमति दूंगा। परन्तु जिस समय मैं आपको कुछ कहने की अनुमति देता हूं, उस समय दूसरे पक्ष के विचारों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाती है और जनता के समक्ष केवल एक ही पक्ष के विचार पहुंच पाते हैं और वे इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि चर्चा की जायेगी तो मैं आपको अनुमति दूंगा और मैं दूसरे पक्ष को भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार से प्रश्न पूछना सदस्यों का विशेषाधिकार है। प्रश्न सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं।

(व्यवधान)

11.11 म.पू.

(इस समय डा. मुमताज अन्सारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 12 बजे मध्याह्न पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

11.11½ म.पू.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय बार कौंसिल

*201. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बार कौंसिल ने कानून की कुछ विदेशी डिग्रियों को अमान्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सितम्बर, 1994 के दौरान भारतीय बार कौंसिल का कोई सम्मेलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर विचार हुआ,

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था वे निम्नलिखित हैं :

(i) विधि व्यवसाय के विश्वव्यपीकरण से आशंकाएं, अनुभूति, समस्याएं और उसकी चुनौतियों का सामना करने के उपाय।

(ii) 1994 की अवमान याचिका सं. 291 (उ. न्या.) और 1994 की अवमान याचिका सं. 292 (उ. न्या.) में तारीख 22.7.1994 के निर्णय में "बिचौलिया" (वकील) विषयक अवमानी टिप्पणियों पर विचार करना और उक्त टिप्पणियों को निर्णय में से निकालने के लिए विधिक कार्रवाई करना।

(iii) दिल्ली की एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, "कामन काज" द्वारा फाइल की गई रिट याचिका में "हड़ताल" के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की अवेक्षा पर विचार करना।

(iv) बार और न्यायपीठ के संबंधों को सुधारने के लिए विचार करना और उनके लिए उपाय विनिश्चित करना।

(v) कार्य के केन्द्रीकरण को रोकने और कनिष्ठ वकीलों को अपना व्यवसाय विकसित करने में समर्थ बनाने के लिए विधि व्यवसाय के पुनर्गठन पर मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की तारीख 4.12.1993 को हुई बैठक के संकल्प में सुसंगत पैरा 20 और पैरा 27 के प्रति विशेष निर्देश से विचार करना, जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद से यह अपेक्षा की गई है कि वह विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों से विचार-विमर्श करके बार के कुछ सदस्यों के पास कार्य का अत्यधिक केन्द्रीकरण हो जाने की समस्या के बारे में स्वयं विचार करे और विधि व्यवसाय के संतुलित विकास के हित में ऐसे ज्येष्ठ वकीलों से जो कनिष्ठ वकीलों के कैरियर को बढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं, भी विचार करें।

(ङ) से (छ). सरकार को सम्मेलन में पारित संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं और वे संलग्न विवरण में दी गई हैं। संकल्पों में दिए गए सुझावों पर सरकार ने कोई विनिश्चय नहीं किया है।

विवरण

भारतीय विधिज्ञ परिषद के सम्मेलन में अंगीकृत संकल्प

मद सं.I

विधि व्यवसाय के विश्वव्यापीकरण से आशंकाएं, अनुभूति, समस्याएं और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय।

संकल्प :

(1) यह संकल्प किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए भारत से भिन्न देशों के राष्ट्रिक को विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई विधि/ में अर्हता/डिग्रियों को पारस्परिक आधार पर ही मान्यता दी जानी चाहिए अर्थात् यदि ऐसे भारतीय नागरिकों को, जिनके पास किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विधि में डिग्रियां हैं, उस देश में विधि में कार्य करने अभिवचन, बहस करने/विधि व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त डिग्रियों/अर्हताओं का, जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता दी गई थीं, इस संकल्प को ध्यान में रखकर पुनर्विलोकन किया जाए और ऐसे पुनर्विलोकन किए जाने तक उक्त अर्हता वाले भारत के नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों के नामांकन को प्रास्थगित रखा जाना चाहिए।

यह और संकल्प किया जाता है कि यह पता लगाने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए कि क्या अन्य देशों ने, जिनकी विधि में अर्हता/डिग्रियों को यहां मान्यता दी गई थी, भारतीय विधि अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों को भी विधि व्यवसाय का ऐसा ही अधिकार दिया हुआ है।

संकल्प :

(2) सर्वसम्मति से यह संकल्प किया जाता है कि विधि व्यवसाय में प्रवेश को कड़ाई से विनियमित किया जाना चाहिए और यह केवल ऐसे गुणावगुण पर आधारित होने चाहिए, जिन्हें शिक्षा के मानकों को कड़ाई से अधिकथित करके नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित करके परीक्षा को पास करने और तत्पश्चात् किसी अधिवक्ता के अधीन एक वर्ष का प्रशिक्षण और उसके पश्चात् विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा को पास करने के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ऐसे शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी विचार कर सकती है जो विधि व्यवसाय में जाने के लिए अनिवार्य हो।

मद II, III और IV

मद सं. (ii) 1994 की अवमान याचिका संख्या 291 (उ. न्या.) और 1994 की 292 (उ. न्या.) में तारीख 22.7.1994 के निर्णय में "बिचौलियों" (वकीलों) पर अवमानी टिप्पणियों पर विचार करना और निर्णय में से उक्त टिप्पणियों को निकलवाने के लिए विधिक कार्रवाई करना।

मद संख्या (iii)दिल्ली की एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी "कामन काज" द्वारा फाइल की गई रिट याचिका में "हड़ताल" के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की अवेक्षा पर विचार करना।

मद सं. (iv) बार और न्यायपीठ के संबंधों में सुधार के विचार करना और उनके लिए उपायों का विनिश्चय करना।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों की इस बैठक में न्यायालयों में हड़तालों की समस्या पर, व्यापक रूप से चर्चा हुई और विचार किया गया। यह हड़ताल तीन प्रकार की है—(1) न्यायिक अधिकारियों द्वारा, (2) न्यायालय के कर्मचारिवृन्द द्वारा, जिसके उपचार का पता भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा लगाया जाना है; और (3) बार के सदस्यों द्वारा, जिससे हम वस्तुतः संबंधित हैं। बार के सदस्यों के प्रति न्यायालय की अवमानना का बहुधा प्रयोग और बार के सदस्यों तथा न्यायपीठ के मध्य विवादों के निराकरण के लिए किसी मंच का अभाव, न्यायालयों में हड़तालों के मुख्य कारण हैं। एक राय यह भी है कि न्यायालयों में बार के सदस्यों द्वारा हड़तालों को समाप्त किया जा सकता है यदि निम्नलिखित निवारक कदम उठाए जाएं और कार्यान्वित किए जाएं :—

1. न्यायपीठ के सदस्यों और बार के बीच विवादों के निराकरण के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से एक ऐसा मण्डल गठित किया जाए जिसमें भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के लिए उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य विधिज्ञ परिषदों के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, और जिला न्यायाधीश, राज्य विधिज्ञ परिषद् का एक नामनिर्देशिती और जिला न्यायालय के लिए जिला विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष हों।

2. न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 में, उक्त अधिनियम द्वारा दिए गए संरक्षण के अंतर्गत बार के सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए समुचित रूप से संशोधन किया जाए।

3. सरकार से कहा जाए कि वह पुलिस को इस बात के लिए आगाह करे कि वह अत्याचार करने से दूर रहे और उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम को इसी प्रकार नया रूप दिया जाए।

4. न्यायपालिका में अपनी पूर्ण निष्ठा और सम्मान व्यक्त करते हुए और न्यायपीठ तथा बार के बीच अत्यंत मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दृष्टि से एक समन्वय समिति गठित की जाए जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों और वह भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के साथ बैठक करें और उन पर बार के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित अवमान के सभी मामलों को स्वप्रेरणा से वापिस किए जाने और/या सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद का निराकरण करने की वांछनीयता की बाबत प्रभाव डाले।

5. न्यायालय अवमानना अधिनियम के अधीन सत्य को कानूनी प्रतिरक्षा बनाया जाना चाहिए।

6. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विद्वत न्यायपीठ के निर्णय से "बिचौलियां" विषयक अवमानी टिप्पणी को निकालने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

7. विधि शिक्षा को वास्तविक और सुसंगत बनाने के लिए नया रूप दिया जाना चाहिए।

अन्त में, उसने बार के सदस्यों द्वारा आत्यंतिक मामलों को छोड़कर, न्यायालयों में हड़ताल किए जाने का अनुमोदन नहीं किया और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिकथित नीति को पृष्ठांकित किया और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निम्नलिखित संकल्प का अनुमोदन किया "भारतीय विधिज्ञ परिषद् निम्नतम से निम्न ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां न्यायपीठ या विधिज्ञ परिषद् की गरिमा, मान और अस्तित्व दांव पर लगी हो, न्यायालयों में हड़तालों का अनुमोदन नहीं करती है"।

इसके अतिरिक्त उसका यह विचार है कि हड़ताल का अधिकार एक मूल अधिकार है।

मद सं.V

संकल्प :

मद सं. (V) कार्य के केन्द्रीकरण को रोकने और कनिष्ठ वकीलों को अपना व्यवसाय विकसित करने में समर्थ बनाने के लिए विधि व्यवसाय के पुनर्गठन पर मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की 4.12.1994 को हुई बैठक के संकल्प में सुसंगत पैरा 20 और पैरा 27 के प्रति विशेष निर्देश से विचार करना, जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद से यह अपेक्षा की गई है कि वह विभिन्न राज्यों की विधिक परिषदों से विचार-विमर्श करके, बार के कुछ सदस्यों के पास कार्य का अत्यधिक केन्द्रीकरण हो जाने की समस्या के बारे में स्वयं विचार करें और विधि व्यवसाय के संतुलित विकास के हित में ऐसे ज्येष्ठ वकीलों से, जो कनिष्ठ वकीलों के कैरियर को बढ़ाने के अधिक रूचि रखते हैं, भी विचार करें।

जहां तक कार्य के केन्द्रीकरण का संबंध है उसे रोकना असाध्य है क्योंकि यह केवल किसी मुकदमा करने वाले के द्वारा बार के किसी विशिष्ट सदस्य पर विश्वास और निर्भरता है।

कनिष्ठ वकीलों के कैरियर का विकास करने के संबंध में अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषदों को उसके लिए स्कीमें और नियम अधिकथित करने चाहिए और इस वृत्ति में अवांछनीय और रूचि न रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को निर्बंधित किया जाना चाहिए।

फाउन्ड्री उद्योग

*202. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फाउन्ड्री उद्योग को पुरानी प्रौद्योगिकी, कुशल श्रमशक्ति का अभाव, बिजली की कमी और कच्चे माल की अनुपलब्धता जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं; और

(घ) इस उद्योग की निर्यात क्षमता का उपयोग करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गई हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). फाउन्ड्री उद्योग में बड़े एकक नवीनतम विनिर्माण प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं। अपेक्षाकृत छोटे एकक परम्परागत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। जो श्रम प्रधान है। इस उद्योग के लिए दक्ष जनशक्ति अथवा कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। बिजली की कमी, यदि कोई है तो, सह इस उद्योग से संबंधित नहीं है।

(ग) किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा शुरू किया गया लघु उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

(ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अधीन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) अन्य उद्योगों की तरह फाउन्ड्री उद्योग भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं के लाभ का उपयोग कर रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/दुकानों के मूल्य

*203. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों/दुकानों के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वृद्धि के कारण क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार निर्धनों को रियायती मूल्य पर फ्लैट/दुकानें/प्लाट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्राधिकरण के फ्लैटों की सांकेतिक लागत इस प्रकार है :

वर्ग	वर्ष		
	1991-92	1992-93	1993-94
	(लाख रुपये)		
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.)	1.28	1.34	1.53
निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.)	2.28	2.74	2.82
मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.)	2.76	5.01	5.72
स्व वित्त पोषित स्कीम (एस.एफ.एस.)			
वर्ग-ii	3.40	5.89	5.84
वर्ग-iii	5.50	7.44	8.11

जहां तक दुकानों की बात है, नियमतः उनकी बिक्री नीलामी द्वारा उच्चतम बोलीदाता को की जाती है। इनकी कीमत बाजार स्थितियों पर निर्भर करती है।

(ग) मूल्य वृद्धि के मुख्य कारक इस प्रकार हैं :—

(i) भूमि अधिग्रहण और विकास लागत में बढ़ोत्तरी।

(ii) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अवस्थापन सुविधाओं के लिए जरूरी भूमि 1.4.89 से निःशुल्क दी जाती रही है। किंतु अब अकेली द्वारका परियोजना में ही इन सुविधाओं हेतु दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्यसन बोर्ड को दी गई भूमि की कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये है।

(iii) मास्टर प्लान में "हरित क्षेत्र" हेतु काफी भूभाग छोड़े जाने की अपेक्षा की गई है। अतः हरित क्षेत्र 20-25 प्रतिशत भूमि छोड़ी गई है।

(iv) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कहना है कि बिजली तार जमीन के नीचे बिछाये जाएंगे। लेकिन अगर ये तार जमीन के ऊपर आसमान में लगाये जाएं तो लागत लगभग 50 प्रतिशत कम आएगी।

(v) सामग्री लागत तथा मजदूरी में वृद्धि हो गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का निर्माण लागत सूचकांक हर साल लगभग 16.50 प्रतिशत बढ़ जाता है।

(vi) पूंजी पर ब्याज दर लागत भी 1994 तक अपेक्षाकृत अधिक रही।

(vii) डी.डी.ए. फ्लैटों की किस्म/विशिष्टयां अपेक्षाकृत बेहतर हैं।

(घ) और (ङ). प्रचलित लागत निर्धारण फार्मूला के अनुसार, ई. डब्ल्यू. एस. तथा एल. आई. जी. फ्लैट रियायती दरों पर दिये जाते

हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी आवास योजना में ई. डब्ल्यू. एस. के पंजीकृत व्यक्तियों को भी प्लाटों की रियायती दरों पर पेशकश की गई है।

दुकानें, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य आरक्षित वर्गों को एक नियत मूल्य आधार पर आवंटित की जाती है, जिसके साथ यह रियायत भी होती है कि 25 प्रतिशत मूल्य जमा करने पर कब्जा दे दिया जाए तथा शेष राशि का भुगतान मात्र 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर, 24 समान मासिक किस्तों में किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सेना में भर्ती की प्रक्रिया

*204. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए कोई नई प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). पिछले कुछ वर्षों में सेना चिकित्सा कोर में अल्प सेवा कमीशन के लिए भर्ती किए गए सिविलियन डाक्टरों को छोड़कर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। पहले अल्प सेवा कमीशन के लिए सिविलियन डाक्टरों का चयन अखिल भारतीय आधार पर ली जाने वाली लिखित परीक्षा और उसके बाद चिकित्सा परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता था। चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश पुलिस जांच के बाद ही जारी किए जाते थे। चयन प्रक्रिया शीघ्रता से हो सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि सेना चिकित्सा कोर में अल्प सेवा कमीशन के लिए सिविलियन डाक्टरों की भर्ती के वास्ते अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण से छूट दे दी जाए और पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक अनंतिम नियुक्तियां कर दी जाएं। यह प्रक्रिया 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी होगी। इस नई प्रक्रिया के बारे में जनता की प्रतिक्रिया तभी मालूम होगी जब यह संशोधित प्रक्रिया लागू हो जाएगी।

रुग्ण एककों के पुनरुद्धार संबंधी योजना

*205. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रुग्ण उद्योगों द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार योजनाओं पर विचार करने के लिए 7 सितम्बर, 1994 अथवा इसके आस पास कोई बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस बीच कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के 7 रुग्ण उपक्रमों, नामतः नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड तथा रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड के मामलों पर 6 सितम्बर, 1994 को आयोजित एक बैठक में सरकार द्वारा विचार किया गया था।

(ख) और (ग). सरकार ने निर्णय लिया है कि नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा वेबर्ड इंडिया लिमिटेड के मामलों में बी.आई.एफ.आर. के निर्णय को चुनौती न दी जाए। सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के मामलों में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिये गये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद

*206. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु नया विधि तंत्र स्थापित करने संबंधी सरकार के निर्णय से आर्थिक सुधार प्रक्रिया सुदृढ़ होगी और भारतीय नियमित कानून अधिक कारगर सिद्ध होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए विधि तंत्र द्वारा सुधार प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु कोई ठोस उपाय किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए किसी नए विधिक तंत्र के गठित किए जाने का कोई विनिश्चय नहीं किया है। तथापि, सरकार इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम् और सुलह पर एक व्यापक विधि अधिनियमित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

पवन-ऊर्जा

*207. **डा. साक्षीजी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है;

(ख) देश में पवन-ऊर्जा के माध्यम से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार पवन-ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारत पवन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विश्व में पहले पांच देशों में से एक है।

(ख) देश में अब तक कुल 180 मेवा की पवन विद्युत क्षमता की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ). देश में 18 कंपनियों ने मुख्यतया 200-250 कि.वा. क्षमता के पवन विद्युत जनित्रों का संयोजन और चरणबद्ध उत्पादन का कार्य हाथ में लिया है। इस उपकरण का उत्पादनअद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी विदेशी कंपनियों के लाइसेंस के अंतर्गत अथवा उनके साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से किया जा रहा है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन-डी 3 (पी.एस.एल.वी.-डी 3)

*208. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी.एस.एल.वी.-डी 3) के तीसरे प्रक्षेपण का क्या उद्देश्य है;

(ख) इसके प्रक्षेपण का कार्यक्रम क्या है;

(ग) इसकी अनुमति लागत कितनी है;

(घ) अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने उपग्रह कार्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कार्यक्रम तैयार किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी 3 (पी.एस.एल.वी.-डी 3) की तृतीय उड़ान का उद्देश्य इसे प्रचालनात्मक घोषित करने से पहले पी.एस.एल.वी. के कार्यनिष्पादन की पुनराचर्तनता को सिद्ध करना है। पी.एस.एल.वी.-डी 3 राकेट भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी. 3) को प्रमोचित करेगा।

(ख) पी.एस.एल.वी. डी 3 का प्रमोचन सितम्बर/अक्तूबर 1995 के लिए निर्धारित है।

(ग) इस परियोजना की स्वीकृत लागत 47.87 करोड़ रुपये है, जिसमें से 17.01 करोड़ रुपये की राशि विदेशी मुद्रा में है।

(घ) पी.एस.एल.वी.-डी. 3 पर 31.11.1994 तक 12.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है।

(ङ) और (च). जी, हां। सरकार ने पी.एस.एल.वी. की अन्य तीन उड़ानें प्रदान करने के लिए पी.एस.एल.वी. सातत्य परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रहों को ले जायेंगे। इन्हें परिभाषित किया जा रहा है और यथाशीघ्र मंजूर किया जायेगा। इसी दौरान, आई.आर.एस.सी. को 1995 में प्रमोचित करने की योजना है, आई.आर.एस.1डी. का प्रमोचन 1997-98 के लिए निर्धारित है। इसके साथ ही, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2सी., डी. और ई. (इन्सैट-2सी, डी. और ई.) उपग्रहों के क्रमशः 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान छोड़े जाने की योजना है।

पक्षियों के टकराने की घटनाएं

*209. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बर्ड हिट्स कॉस्ट आई.ए.एफ. 50 करोड़ इअरली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों को पक्षियों से मुक्त कराने में कोई योगदान कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च). यह सही है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पक्षियों से टकराने के कारण नष्ट हुए वायुयानों की वार्षिक औसत प्रतिस्थापन लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक रही है। भारतीय वायु सेना के जिन हवाई-अड्डों में वायुयानों के पक्षियों से टकराने की घटनाएं अधिक होने की संभावनाएं रहती हैं उनका पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के आधार पर खतरे के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भारतीय वायु सेना के हवाई मैदानों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। खतरों के लिए सर्वाधिक संवेदनशील 10 हवाई-मैदानों के आस पास के क्षेत्रों की सफाई करने के लिए चार प्रमुख उपायों की सिफारिश की गई है। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(क) बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण;

(ख) मृत जानवरों के अवशेषों को उपयोग में लाने वाले केन्द्रों की स्थापना;

(ग) ठोस कूड़ा-करकट की कुशल प्रबंध व्यवस्था; और

(घ) मलजल निकास/निकासी प्रणाली में सुधार।

उपर्युक्त के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता और उनके तथा उनकी एजेंसियों के द्वारा इसका कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें ऐसी परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से शीघ्रता से कार्यान्वित करें, इसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाएं

*210. **प्रो. प्रेम धूमल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत चल रही इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान और विकास की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना को शुरू करने की वास्तविक तिथि और उसे पूरा करने की संशोधित समयावधि क्या है;

(ग) उनकी अलग-अलग मूल लागत और पूर्ण होने पर इनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इनमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत इस समय चल रही विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं चार श्रेणियों में हैं :—

श्रेणी I: अन्तराल वाले क्षेत्रों में स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थाओं के रूप में विशिष्ट प्रयोगशालाएं।

(i) उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे।

(ii) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनसीएसटी), बम्बई।

(iii) प्रायोगिक इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), बम्बई और मद्रास।

(iv) तिरुवनन्तपुरम, कलकत्ता, लखनऊ, मोहाली और पुणे स्थित इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र।

(v) इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मेट), दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित पुणे, त्रिसुर और हैदराबाद में तीन प्रयोगशालाएं।

उपर्युक्त कार्यकलाप नैसर्गिक रूप से ही चल रहे कार्यकलाप हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शुरू करके उन्हें पूरा किया जाता है और साथ ही केन्द्रों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत परियोजनाओं के अगले सेट पर भी कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं।

श्रेणी II : प्रोद्योगिकी विकास परियोजनाएं तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम।

इनमें से अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वयन विशिष्ट उद्देश्य से देश के विभिन्न संगठनों द्वारा एक साथ मिलकर किया जाता है। प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत अनुसंधान (अर्नेट)।

(ii) भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल)।

(iii) औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी सवंर्धन कार्यक्रम (आईईपीपी)।

(iv) राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा (एचवीडीसी) कार्यक्रम।

(v) तंतु प्रकाशिक प्रणालियां एवं उत्पादन परियोजना (फोसेप)।

(vi) प्रणाली इंजीनियरी एवं परामर्श-सेवा संगठन (सीको)।

(vii) वीएलएसआई डिजाइन तथा प्रोटोटाइपिंग केन्द्र और उद्योग के लिए अन्य वीएलएसआई डिजाइन केन्द्र।

(viii) स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिकी।

(ix) औद्योगिक रोबोटिकी तथा एकीकृत स्वचालन आदि।

इन कार्यक्रमों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करके उन्हें चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाता है।

श्रेणी III: प्रौद्योगिकी विकास के लिए 5 परिषदों के माध्यम से प्रायोजित परियोजनाएं। ये परिषद इस प्रकार हैं (i) प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टीडीसी), (ii) राष्ट्रीय रेडार परिषद (एनआरसी), (iii) राष्ट्रीय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी परिषद (एनएमसी), (iv) राष्ट्रीय फोटॉनिकी परिषद (एनपीसी) तथा (v) इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास परिषद् (ईएमडीसी)। विशिष्ट उत्पाद, प्रक्रिया विकास कुशलता निर्माण, व्यवहार्यता आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने के अलावा इन्होंने देश में प्रौद्योगिकीय क्षमताओं में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कुल प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं में से लगभग 66 प्रतिशत परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं और शेष परियोजनाओं में विलम्ब औसतन लगभग 1 वर्ष है। विलम्ब के कारणों में ये शामिल हैं : अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए परियोजना के लिए जनशक्ति की भर्ती करने में कठिनाई, पूंजीगत उपस्करों की खरीद में विलम्ब, महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों की अनुपलब्धता आदि, प्रौद्योगिकी विकास की प्रकृति या परियोजना में मध्यावधि सुधार, प्रयोगकर्ता द्वारा परीक्षण और उनके द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार सुधार आदि के आधार पर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन/संशोधन/अभिवृद्धि।

श्रेणी IV : चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी मिशन परियोजनाएं अर्थात् :

(1) भावी विमान संचालन प्रणालियां (फैन्स);

(2) आर्थिक क्षेत्रों में अनुरूपान्तर स्वाधचलन;

(3) वृहत समानान्तर सुपर कम्प्यूटर ;

(4) माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी ;

(5) फोटॉनिकी/ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी;

(6) नई इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियां; और

(7) विशेष संघटक पुर्जे (सामरिक और गैर-सामरिक)

ये परियोजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं।

2. इन अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के लिए आठवीं योजना अवधि (1992-97) के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की शुद्ध बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं समग्र अनुमोदित लागत के भीतर ही पूरी हो जाने की संभावना है।

मुद्रण उद्योग

* 211. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय मुद्रण उद्योग में अनुसंधान और विकास तथा मानकीकरण के जरिए उचित तकनीकी सहयोग दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उसमें नई प्रौद्योगिकी शुरू करने में मदद और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या ठोस उपाय किये जायेंगे;

(ङ) क्या कुछ अन्य देश भी भारतीय मुद्रण उद्योग की सहायता करने को सहमत हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार भारतीय मुद्रण उद्योग को अनुसंधान तथा विकास कार्य एवं मानकीकरण के माध्यम से तकनीकी सहायता मुहैया कराना आवश्यक समझती है।

(ग) और (घ). जी, हां। मुद्रण उद्योग की नयी प्रौद्योगिकी यंत्रों(मशीनों) पर आधारित है। सरकार फोटोटाइप सिस्टम, कलर स्कैनर तथा कंप्यूटरीकृत सिस्टमों आदि जैसी मशीनों का उदारता से आयात करने की अनुमति देती है।

(ङ) और (च). इस समय प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का आयात अमरीका, जापान, इजरायल आदि जैसे देशों से किया जा रहा है। चुनिंदा मुद्रण मशीनों के सम्बन्ध में 51 प्रतिशत तक की ईक्विटी भागीदारी स्वतः अनुमोदित कर दी जाती है।

चंडीगढ़ के आस-पास के क्षेत्र का विकास

* 212. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़ के आस-पास के क्षेत्र के समन्वित एवं सुनियोजित विकास के लिए कुछ समय पहले एक क्षेत्रीय योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2001, इस मंत्रालय के नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) द्वारा 1984 में तैयार की गई थी।

(ख) क्षेत्रीय योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) चन्डीगढ़ क्षेत्र के विभिन्न बस्ती समूहों तथा चंडीगढ़ शहरी परिसर, रीजनल टाउन, विकास केन्द्रों, गांवों आदि के बीच आर्थिक कार्यकलापों के यथोचित वितरण हेतु एक नीतिगत व्याख्यायत्र।

(ख) यातायात नेटवर्क सहित एक विशद स्थानिक योजना, और

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित उपाय।

(ग) चूंकि टी.सी.पी.ओ. द्वारा तैयार क्षेत्रीय योजना सुझाव के रूप में थी, अतः इस योजना को चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब तथा हरियाणा सरकारों को सम्यक योजनाएं बनाने और विकास नियमनों के दिशानिर्देशों के रूप में भेजा गया था। चंडीगढ़ क्षेत्र में मौजूदा तथा प्रस्तावित विकास पद्धति के अध्ययन और 1984 की क्षेत्रीय योजना को अद्यतन बनाने के सुझाव देने हेतु, भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1994 में एक तकनीकी समिति गठित की गयी है, जिसके संयोजक टी. सी.पी.ओ. के मुख्य नियोजक हैं।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

*213. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान-वार कितने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं;

(ख) ऐसे पार्क खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे और पार्क स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने पुणे, बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नोएडा, गांधीनगर, तथा तिरुवनन्तपुरम में 7 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) स्थापित किए हैं।

पश्चिम बंगाल और राजस्थान की राज्य सरकारों ने क्रमशः कलकत्ता और जयपुर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं।

सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः मैसूर और मद्रास में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किए हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए स्थान के बारे में निर्णय लेते समय सॉफ्टवेयर कंपनियों की मौजूदगी या सॉफ्टवेयर उद्योग की सघनता अथवा सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास की क्षमता के साथ-साथ केन्द्रों की वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा है।

(ग) से (ङ). सरकार धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य संभावित स्थानों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित के बारे में विचार कर रही है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

*214. **श्री श्याम बिहारी मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के द्रुत पुनर्गठन हेतु बनाए गए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उपयोग मुख्यतः स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मकारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उपयोग मुख्यतः रुग्ण उपक्रमों के द्रुत पुनर्गठन के लिए ही हो?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). औद्योगिक पुनः संरचना के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को मुख्यतया तीव्रता से पुनः संरचना करना नहीं था, बल्कि निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1. युक्तिकृत कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती के लिए सहायता उपलब्ध करना।
2. औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।
3. रोजगार सृजन योजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह निर्धारित किया है कि जिस औद्योगिक उपक्रम को आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन अथवा युक्ति युक्तकरण करना है वह उपलब्ध ब्याज दरों पर पूंजी बाजार से निधियां और वित्तीय संस्थाओं से सावधी ऋण सामान्य रूप से जुटाएगा।

अपने कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से निधियां देकर निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता दी गई है :—

1. कर्मचारी सहायता केन्द्रों (ई ए सी) की स्थापना के माध्यम से चुनिंदा स्थानों पर युक्तिकृत श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः तैनाती के लिए सुविधाएं;
2. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संयत्र स्तर पर कर्मचारी संसाधन केन्द्र (ई आर सी) संरचना की स्थापना के माध्यम से युक्तिकृत श्रमिकों को परामर्श देने तथा कर्मचारी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सुविधाए, तथा
3. स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक जनशक्ति को कम करना।

पिछड़े राज्यों में निवेश

*215. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निवेशक पिछड़े राज्यों में निवेश करने के प्रति अनिच्छुक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार के उपक्रमों में संचयी निवेश क्रमशः 1,27,579 करोड़ रुपये, 1,49,971 करोड़ रुपये और 1,16,734 करोड़ रुपये रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्य के सरकारी उपक्रमों में किया गया निवेश सम्मिलित नहीं है।

1 अगस्त, 1991 और 30 नवम्बर, 1994 की अवधि में कुल 16,450 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दिये गये थे जिनमें 3,33,475 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गयी थी। इनके अलावा 1991 और 1933 के बीच 47,470 करोड़ रुपये के पूर्वानुमानित निवेश के लिए 1895 आशय पत्र भी जारी किए गए थे।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान किये गये निवेश के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाल एक विवरण I संलग्न है। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-9 में जारी किये गये आशय पत्रों और प्रस्तावित निवेश के राज्यवार ब्यौरे का भी एक विवरण II संलग्न है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने के बा में निवेशकर्ताओं में झिझक नहीं है क्योंकि पिछले 3 वर्षों के दौरा जो औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दिये गये उनमें से 37 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्र के लिए ही हैं। तथापि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास क बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इनमें परिवहन राजसहायता योजना, विकास केन्द्र योजना, रियायती वित्त योजना पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों को आयकर में राहत देने की योजना तथ पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए समेकित आधारभूत सुविध विकास योजना जैसी स्कीमें शामिल हैं।

विवरण–I

ग्रॉस ब्लाक का राज्यवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.91 को	31.3.92 को	31.3.93 को
1.	आंध्र प्रदेश	12923.92	14556.50	15533.55
2.	असम	5457.04	5872.06	6210.16
3.	बिहार	10692.99	12765.38	14023.34
4.	गोवा	68.07	74.78	80.48
5.	गुजरात	5776.36	9673.74	10553.68
6.	हरियाणा	1070.88	1254.30	948.30
7.	हिमाचल प्रदेश	1385.36	1943.29	2019.02
8.	जम्मू और कश्मीर	1270.81	1584.88	1905.09
9.	कर्नाटक	2611.13	2883.50	3610.24
10.	केरल	1852.69	1999.99	2274.93
11.	मध्य प्रदेश	12900.47	14285.61	16114.70
12.	महाराष्ट्र	23960.94	25081.49	33371.93
13.	मणिपुर	159.94	163.16	147.16
14.	मेघालय	5.75	11.68	12.07
15.	मिजोरम	24.04	54.66	155.26
16.	नागालैण्ड	130.60	153.52	190.10
17.	उड़ीसा	6898.72	8523.73	9266.50
18.	पंजाब	875.57	941.49	1230.89
19.	राजस्थान	1996.57	2664.85	2896.48
20.	सिक्किम	16.52	37.81	57.14
21.	तमिलनाडु	6846.80	7838.02	8609.51
22.	उत्तर प्रदेश	9628.66	13656.86	14934.97
23.	पश्चिम बंगाल	8784.23	10813.23	13434.30
24.	अरूणाचल प्रदेश	84.85	129.96	159.83
25.	त्रिपुरा	356.87	369.48	397.38

विवरण–II

क्र.सं.	राज्यों का नाम	1991		1992		1993	
		आ.पत्र	प्रस्तावित निवेश	आशय पत्र	प्रस्तावित पत्र	आशय पत्र	प्रस्तावित निवेश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58	538.30	71	1039.38	58	1434.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	0.47	–	–
3	असम	4	1617.49	4	312.91	3	1144.26
4	बिहार	7	46.11	6	34.81	5	398.49
5	गोवा	6	38.27	8	13.07	14	36.60

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	101	1941.85	120	3726.50	76	2530.59
7.	हरियाणा	32	206.59	32	740.01	32	220.06
8.	हिमाचल प्रदेश	11	703.54	12	79.05	3	49.39
9.	जम्मू और कश्मीर	1	2.24	1	0.60	–	–
10.	कर्नाटक	54	419.47	21	269.90	32	1933.18
11.	केरल	13	171.19	17	607.04	9	660.77
12.	मध्य प्रदेश	46	999.80	28	301.46	33	266.11
13.	महाराष्ट्र	173	1708.51	98	990.70	86	948.35
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	1	–	–	–
18.	उड़ीसा	12	242.56	4	3316.58	6	298.79
19.	पंजाब	32	375.91	16	459.56	8	9650.00
20.	राजस्थान	26	517.16	26	156.31	15	127.38
21.	सिक्किम	–	–	1	5.13	–	–
22.	तमिलनाडु	68	512.84	66	852.36	84	1836.84
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	108	1281.42	56	780.14	46	502.88
25.	पश्चिम बंगाल	28	200.42	13	215.28	3	7.34

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुटीर और ग्रामीण उद्योग

*216. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य में विद्यमान कुटीर और ग्रामीण उद्योगों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, नहीं। राज्य सरकारें मुख्यत: अपने राज्यों में कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करती हैं। उन्हें इनके लिए योजना आयोग के जरिये केन्द्रीय सहायता और समर्थन भी मिलता है। फिर भी, उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए के वी आई सी के माध्यम से उनके प्रयासों में मदद करता है।

इस दिशा में अपने सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने तीन विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

1. उत्तर पूर्वी परिषद के सहयोग से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने "उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वाणिज्यिक विदोहन के लिए कृषि विकास संबंधी क्षेत्रीय परियोजना" आरम्भ की है। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में गुणात्मक मधुमक्खी पालन विकास करना है। परियोजना की अनुमानित लागत 85.55 लाख रुपये है जिसका, के वी आई सी और एन ई सी द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

2. देश के 50 पिछड़े जिलों में विशेष रोजगार कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रथम चरण में 16 जिलों की पहचान की गयी है। असम राज्य का मोरेगांव इनमें से एक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक जिले में 10,000 रोजगार का सृजन किया जायेगा। इस परियोजना का डी आर डी ए और बैंकों से संबंध रहेगा।

3. देशभर में 125 पिछड़े ब्लाकों में विशेष रोजगार कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रथम चरण में 71 ब्लाकों में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 ब्लाकों (असम में 5 ब्लाक तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में से प्रत्येक में एक-एक

ब्लाक) में कार्य आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक ब्लाक में 1,000 रोजगार के सृजन की परिकल्पना की गयी है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य में के वी आई सी के सामान्य कार्यक्रम के अधीन प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्य-उत्पादन तथा रोजगार खादी तथा ग्रामोद्योग

(आंकड़े लाख में)

पूर्वोत्तर राज्य	1991-92				1992-93				1993-94			
	उत्पादन		रोजगार		उत्पादन		रोजगार		उत्पादन		रोजगर	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
असम	197.66	1978.74	0.23	0.79	265.36	1986.06	0.23	0.79	270.57	2154.28	0.22	0.80
अरुणाचल प्रदेश	–	0.11	–	0.01	1.30	0.08	*	–	3.92	2.37	*	*
मणिपुर	5.21	1921.68	*	0.38	6.19	2218.22	*	0.38	6.73	2209.80	*	0.39
मेघालय	0.12	636.12	*	0.10	–	739.65	*	0.10	0.17	876.39	*	0.12
मिजोरम	2.15	569.24	*	0.04	2.25	686.97	*	0.06	3.17	751.42	*	0.05
नागालैंड	5.80	251.31	*	0.04	10.55	304.36	*	0.05	12.95	369.69	*	0.05
त्रिपुरा	18.67	1565.89	0.01	0.43	10.73	1737.76	0.01	0.40	9.22	2060.95	*	0.44
योग	229.61	6923.09	0.24	1.79	296.38	7695.40	0.24	1.78	306.73	8424.90	0.22	1.80

* 500 से कम व्यक्ति।

आयुध कारखाने

*217. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने आयुध कारखाने हैं;

(ख) प्रत्येक कारखाने में कितने-कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(ग) क्या कुछ आयुध कारखाने घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन्हें बंद करने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उनतालीस।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). आयुध निर्माणियां सशस्त्र सेनाओं के प्रति समर्पित होने के नाते रक्षा सेनाओं को आपूर्ति किए जाने के लिए "न लाभ न हानि" के आधार पर कार्य करती हैं। उनका यह प्रयास रहता है कि वे मितव्ययताएं अपनाकर तथा प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ कर अपनी यूनिट निर्माण-लागत कम से कम करें। उनका दूसरा दृष्टिकोण यह होता है कि गैर-रक्षा ग्राहकों के लिए उत्पादन का विविधीकरण करके तथा निर्यात करके अपना कुल कारोबार बढ़ाया जाए। वर्ष 1993-94 में उन्होंने हमारी रक्षा सेनाओं को छोड़कर अन्य ग्राहकों को 419 करोड़ रुपए के माल की बिक्री की जो कि उनकी कुल बिक्री का लगभग 21 प्रतिशत है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार निर्माणीवार कामगारों की संख्या

(राज्यवार)		कामगारों की संख्या
1	2	3
पश्चिम बंगाल	1. तोप एवं गोला निर्माणी, कोशीपुर	6172
(4)	2. धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर	6312
	3. राइफल निर्माणी, ईशापुर	6588
	4. आयुध निर्माणी, दमदम	1846

1	2	3
उत्तर प्रदेश	5. फील्ड तोप निर्माणी, कानपुर	1913
(10)	6. लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	3855
	7. आयुध निर्माणी, कानपुर	6964
	8. आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	3231
	9. आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	6208
	10. आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	7087
	11. आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	564
	12. आयुध निर्माणी, मुरादनगर	3568
	13. आयुध निर्माणी, देहरादून	1707
	14. आप्टो इलेक्ट्रानिक निर्माणी, देहरादून	1581
संघ शासित प्रदेश	15. आयुध केबल निर्माणी, चण्डीगढ़	699
(1)		
महाराष्ट्र	16. गोला-बारूद निर्माणी, खड़की	8412
(10)	17. आयुध निर्माणी, अंबरनाथ	3360
	18. अति विस्फोटक निर्माणी, खड़की	1347
	19. मशीनी औजार आदिरूप निर्माणी, अंबरनाथ	1717
	20. आयुध निर्माणी, भंडारा	3485
	21. आयुध निर्माणी, वरणगांव	3081
	22. आयुध निर्माणी, चांदा	5246
	23. आयुध निर्माणी, देहूरोड	1320
	24. आयुध निर्माणी, अंबाझरी	7158
	25. आयुध निर्माणी, भुसावल	1679
मध्य प्रदेश	26. आयुध निर्माणी, इटारसी	1884
(6)	27. आयुध निर्माणी, खमरिया	9706
	28. तोप गाड़ी निर्माणी, जबलपुर	8099
	29. वाहन निर्माणी, जबलपुर	9271
	30. ग्रे आयरन फाउंडरी, जबलपुर	2096
	31. आयुध निर्माणी, कटनी	2374
तमिलनाडु	32. कॉर्डाइट निर्माणी, अरुवनकाडु	3284
(6)	33. भारी वाहन निर्माणी, आवडी	4522
	34. आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	3298
	35. इंजन निर्माणी, आवडी (परियोजना)	586
	36. आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली	2512
	37. हैवी एलॉय पेनेट्रेटर प्रोजेक्ट, तिरुचिरापल्ली	582
आंध्र प्रदेश	38. आयुध निर्माणी, मेडक (परियोजना)	2358
(1)		
उड़ीसा	39. आयुध निर्माणी, बोलंगीर (परियोजना)	547
(1)		
	कुल	146219

समेकित आधारभूत संरचना विकास योजना

*218. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आधारभूत संरचना विकास योजना किन राज्यों में शुरू की गई है;

(ख) इस योजना को शुरू करने के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत विकसित/उपलब्ध की गई आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). 6 अगस्त, 1991 को लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए घोषित की गई नीतिगत उपायों के अनुसरण में, सरकार ने ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवस्थापनापरक विकास योजना शुरू की हैं। यह योजना सभी राज्यों के लिए है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. देश में पिछड़े जिलों/ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50 एकीकृत अवस्थापनापरक विकास केन्द्र स्थापित करना, जिनमें वे जिले शामिल नहीं हैं जो विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत आते हैं।
2. रोजगार के अवसर जुटाने तथा निर्यात में वृद्धि की दृष्टि से लघु तथा अति लघु एककों के समूह को बढ़ावा देना।
3. कृषि तथा उद्योग के बीच मजबूत संपर्क को बढ़ावा देना।
4. चुनिंदा केन्द्रों में सामान्य सेवा सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग सेवाएं मुहैया करना।
5. नये/मौजूदा केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, दूर-संचार आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाना/बढ़ोत्तरी करना।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की हैं :—

राज्य का नाम	परियोजना का स्थापनास्थल	परियोजना लागत	सहकारी अनुदान	सिडबी से ऋण	अन्य
हरियाणा	खैरपुर (सिरसा)	3.76	1.34	2.00	0.42
राजस्थान	संगारिया (जोधपुर)	5.14	1.97	2.95	0.22
गुजरात	मियानी (जूनागढ़)	5.00	1.85	2.77	0.30
कर्नाटक	कानबारगी (बेलगांव)	5.0558	2.00	3.00	0.558
आंध्र प्रदेश	उडमलपुर(जिला कुर्नूल)	3.28	0.825	1.267	0.967
महाराष्ट्र	घाटोडी (जिला यवतमाल)	5.18	2.00	3.00	0.18
जम्मू तथा कश्मीर	उधमपुर	5.00	2.00	1.10	1.90
केरल	कझाकुट्टम (जिला त्रिवेन्द्रम)	5.02	1.94	2.91	0.17
पंजाब	टांडा (जिला होशियारपुर)	3.05	1.22	1.83	-
तमिलनाडु	मदुराई	5.00	2.00	3.00	-
योग		45.4858	17.1425	23.827	4.715

(घ) उक्त योजना में औद्योगिक भूखंड/स्थल, सड़कें, सीवर तथा नाले, पानी विद्युत आपूर्ति नेटवर्क, दूर-संचार, कच्चे माल व तैयार उत्पादों के लिए भंडार गृह आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान हेतु परिकल्पना की गई है।

लघु पनबिजली परियोजनाएं

* 219 **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से लघु पनबिजली परियोजनाओं के बारे में "टर्न-की" आधार पर योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त क्षेत्र में कंपनियां स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग) विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां। टर्न-की योजना बनाने तथा लघु पनबिजली परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए संभाव्यता वाले राज्यों को संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां बनाने का सुझाव दिया गया है। उनमें निजी क्षेत्र की एक कंपनी, केन्द्र और राज्य सरकारें शामिल होंगी। वे सर्वेक्षण, डिजाइन

और निष्पादन सहित संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक की पूरी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर लघु पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद करेंगी।

(ग) अब तक किसी भी राज्य में कोई संयुक्त क्षेत्र की कंपनी स्थापित नहीं की गई है। तथापि यह समझा जाता है कि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भारतीय न्यायालयों में विदेशी वकील

*220. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों से कानून की डिग्री प्राप्त भारतीय वकीलों को इस समय विदेशों के न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से कानून की डिग्री प्राप्त वकीलों को भारत में वकालत करने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या वकीलों के संघों और अन्य संगठनों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ). प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्री का दौरा

2137. **श्री अमल दत्त** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदय कितने-कितने दिन देश और विदेश में पृथक रूप से दौरे पर रहे;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या यह व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस राशि का स्रोत क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग). इस अवधि के दौरान मंत्री 74 दिनों के लिए देश में और 2 दिनों के लिए देश के बाहर दौरे पर रहे। अब तक उनसे प्राप्त बिलों में आन्तरिक दौरों पर 71,618.00 रुपये और विदेश के दौरों के लिए 52,174.00 रु. का व्यय हुआ। देश में दौरों के दौरान (रसायन और उर्वरक मंत्री) ने राची, पटना, हजारीबाग, भोपाल, आगरा, कोएलवार, मनैर, मद्रास, तिरुपति, कार्थीन बम्बई, सहरसा, मोतीहारी, बेतिया, दरभंगा, रक्सोल और लखनऊ की यात्रा की। मंत्री ने देश के बाहर दौरे के दौरान मासकट और आबूधाबी का भ्रमण किया।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्री द्वारा दौरे

2138. **श्री सुधीर गिरि** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश और विदेश में कितने-कितने दिनों तक दौरे पर रहे;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना-कितना धन खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्चा केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह पैसा कहां से आया?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय 90 दिन के देशान्तर्गत दौरे पर थे। उन्होंने विदेश का कोई दौरा नहीं किया है।

(ख) और (ग). ऐसे दौरों तथा उपगत व्ययों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के दौरे के ब्यौरे

मार्ग	अवधि		व्यय(रु.)
1	2		3
दिल्ली-रायपुर-	1.4.94	-7 दिन	6448/-
हैदराबाद-दिल्ली	7.4.94		
दिल्ली-हैदराबाद-	9.4.94	-4 दिन	7408/-
दिल्ली	12.4.94		

1	2		3
दिल्ली-रायपुर-दिल्ली	20.4.94 21.4.94	-2 दिन	4539/-
दिल्ली-कलकत्ता/डिब्रूगढ़-कलकत्ता-दिल्ली	28.4.94 1.5.94	-4 दिन	12342
दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली	13.5.94 15.5.94	-3 दिन	7408/-
दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली			3804/-
दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	1.6.94 2.6.94	-2 दिन	6120/-
दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	3.6.94 10.6.94	-8 दिन	7616/-
दिल्ली-बंगलौर-मद्रास-दिल्ली	17.6.94 21.6.94	-5 दिन	11383/-
भुवनेश्वर-दिल्ली	24.6.94 25.6.94	-2 दिन	3060/-
दिल्ली-नागपुर-बम्बई-दिल्ली	27.6.94 29.6.94	-3 दिन	8122/-
दिल्ली -भुवनेश्वर-दिल्ली	2.7.94 8.7.94	-7 दिन	7616/-
दिल्ली-बम्बई-दिल्ली	9.7.94 10.7.94	-2 दिन	7708/-
दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली	22.7.94 23.7.94	-2 दिन	8703/-
दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	27.8.94 29.7.94	-3 दिन	10192
दिल्ली-बम्बई-मद्रास-दिल्ली	3.9.94 8.9.94	-6 दिन	14034/-
दिल्ली-भोपाल-इन्दौर	15.9.94 16.9.94	-2 दिन	2653/-
इन्दौर-दिल्ली	18.9.94	-1 दिन	2278/-
दिल्ली-मद्रास-दिल्ली	22.9.94 25.9.94	-4 दिन	12538/-
दिल्ली-रायपुर-भुवनेश्वर-दिल्ली	5.10.94 10.10.94	-6 दिन	6937/-
दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	12.10.94 20.10.92	-9 दिन	10192/-
दिल्ली-हैदराबाद-भुवनेश्वर-दिल्ली	22.10.94 25.10.94	-4 दिन	9887/-
दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	29.10.94 1.11.94	-4 दिन	10192/-
		90 दिन	1,81,180/-

मंत्री महोदय की यात्रा

2139. श्री शिवाजी पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय कितने-कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गये;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितना-कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के बजट के अंतर्गत किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस निधि के स्रोत क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्री महोदय की यात्रा

2140. श्री सुदर्शन रायचौधरी :
श्री अमल दत्त :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय कितने-कितने दिनों के लिए अलग-अलग देश और विदेश की यात्राओं पर गये;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के बजट के अंतर्गत किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस निधि का स्रोत क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). देश और विदेश की यात्राओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तीय वर्ष, 1994-95 के दौरान श्रीमती शीला कौल, शहरी विकास मंत्री द्वारा की गई यात्राओं के विवरण

क्रमांक	तारीख	यात्रा का स्थान	दिनों की सं.	व्यय	प्रयोजन
			देश में		
1.	29.8.94 से 31.8.94 तक	लखनऊ	3	रु. 1,336	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में संस्कृत दिवस समारोह में भाग लिया।
2.	2.9.94 से 4.9.94 तक	बंगलूर	3	रु. 12,422	भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीजीओ बिल्डिंग के उद्घाटन बाबत्।
3.	28.9.94 से 30.9.94 तक	बंगलूर/मद्रास	3	रु. 14,034	बंगलूर और श्रीपेरुम्बदूर में शहरी जन परिवहन पर सेमिनार का उद्घाटन और हुडको निर्माण कार्यों का निरीक्षण।
4.	6. 11.94 से 9.11.94 तक	बम्बई	4	रु. 8,466	यात्रा का प्रयोजन : इस मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति।
5.	14.11.94 से 15.11.94 तक	लखनऊ	2	रु. 3,205	लालगंज में जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह।
			विदेश में		
1.	19.6.94 से 3.7.94 तक	लन्दन(यू.के.)	15	रु. 2,15,865	म्यूनिसिपल गवर्नेंस अर्बन सिस्टम और न्यू टाऊन कान्सेट के प्रबन्ध एवं अध्ययन के लिए।
2.	18.11.94 से 26.11.94 तक	हांगकांग, मेलबोर्न एवं सिंगापुर	9	रु. 1.13,920	आस्ट्रेलिया सरकार और ओ ई सी डी द्वारा आयोजित की जा रही "सिटीज् एण्ड द न्यू ग्लोबल इकोनोमी" पर कान्फ्रेंस में भाग लेना।

प्राधिकारियों द्वारा जब्त किए गए माल का नष्ट किया जाना

2141. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 8 सितम्बर, 1994 को दिए गए अपने फैसले में यह बताया है कि प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके द्वारा जब्त किए गए माल के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर सरकार द्वारा उसके मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विधान बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). जी, हां। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को प्रवर्तित करने की शक्तियां राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में संशोधन/विधायन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। चूंकि यह निर्णय अभिग्रहीत की गई वस्तुओं की, प्रवर्तित करने वाले प्राधिकरणों की उपेक्षा के कारण हानि होने उनके अनुपयोगी हो जाने के संबंध में है, अतः केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कोई विधान बनाने का प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं समझती है।

ट्राइसेम

2142. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में ट्राइसेम कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में ट्राइसेम (ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना) की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से निरंतर बातचीत के द्वारा ट्राइसेम कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की

जाती रही है। ध्यान दिए जाने योग्य कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र और उनके संबंध में की गई कार्यवाही निम्नानुसार है :—

1. यह महसूस किया गया था कि प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के वजीफे और प्रशिक्षकों आदि के लिए मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, मंत्रालय ने 1.6.94 से अपने वजीफे, मानदेय, कच्चेमाल/औजार किटों के लिए भत्तों के मानदंडों में संशोधन किया है।

2. ट्राइसेम कार्यक्रम में ध्यान दिए जाने योग्य मुख्य क्षेत्र इसके तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता संबंधी रहा है। इस मंत्रालय ने प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, सामुदायिक पालिटेक्नीकों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता की और राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है।

3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे राज्य स्तरीय समन्वय समिति के तहत विशिष्ट रूप से टाइसेम के लिए एक उप-समिति का गठन करें। इस कार्यक्रम के लिए एक जिला स्तरीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

4. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि प्रशिक्षण सिर्फ उन्हीं ट्रेडों में दिया जाना चाहिए जिनमें विपणन संभाव्यताएं हैं। ट्राइसेम के अंतर्गत सिलाई, टाइपिंग और वाहन चालन का प्रशिक्षण चयन आधार पर दिया जाना चाहिए और किसी भी जिले में इन मदों के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत वर्ष के दौरान जिले में प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण

वर्ष	लक्ष्य	प्रशिक्षित युवकों की संख्या	प्रशिक्षित युवकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों की संख्या	प्रशिक्षित युवकों में महिलाओं की की संख्या	कुल आवंटन (आवर्ती खर्च)	केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय रिलीज
1992-93	9090	11209	6565	4711	121.20	60.60	102.65
1993-94	9877	12037	6749	4336	314.48	157.24	157.24
1994-95 (अक्तूबर 94 तक)	8976	3533	1816	1608	251.34	125.67	62.84

[हिन्दी]

हिन्दू विवाह अधिनियम

2143. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू विवाह अधिनियम में यह सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान है कि अधिनियम के अनुसार हुए विवाह अन्य देशों के कानूनों से भंग न हों;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार इस संबंध में किसी अन्य देश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पुनर्मूल्यांकन भंडार (रिजर्वेशन रिजर्व्स)

2144. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कंपनी कार्य विभाग की सितम्बर, 1994 की अधिसूचना के बावजूद पिछली तिथि में प्रस्ताव पास करके अपने पुनर्मूल्यांकन भंडारों का पूंजीकरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 6.9.94 को जारी परिपत्र सं. 9/94 के अनुसार, विद्यमान प्राइवेट/

निकटता से (क्लोजिली) धारित और असूचीबद्ध कंपनियों को सलाह दी गई थी कि स्थिर परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षतियों में से बोनस शेयर जारी न करें। इस प्रकार की कोई शिकायत इस विभाग के नोटिस में नहीं आई है।

[हिन्दी]

जर्मन प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

2145. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में वार्ता करने के लिए अक्तूबर, 1994 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जर्मनी में शिलेजविंग-हौलेसटाइन राज्य के आर्थिक, प्रौद्योगिक और परिवहन मंत्रालय के कार्यकारी सचिव एवं विदेश व्यापार प्रतिनिधि डा. डायटर मम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने "पावर एण्ड एनर्जी 1994/नकटेक 94" की प्रदर्शनी के अवसर पर 7-10 दिसम्बर, 1994 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी उद्योगपति शामिल थे।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें की और दोनों ही देशों में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान किया। इस अवसर पर शिलेजविंग-हौलेसटाइन जर्मनी की पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकियों पर भारत जर्मन वाणिज्य चैम्बर द्वारा 9 दिसम्बर, 1994 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें भारत और जर्मन कंपनियों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श हुआ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डिजिटल इकाई

2146. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा ठाणे के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम इलेक्ट्रॉनिकी मंडल में एक असैम्बली यूनिट की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन मॉनिटरों, प्रिंटरों और की-बोर्डों की क्षमता कितनी है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जी, हां। मॉनीटरों, प्रिन्टरों और कुंजी पटलों की उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :—

वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता
(1) मॉनीटर	22,500 नग
(2) प्रिन्टर	9,900 नग
(3) कुंजी पटल	18,000 नग

[हिन्दी]

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2147. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1994 तक बिहार में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) प्रत्येक उपक्रम का वार्षिक उत्पादन, लाभ और हानि तथा कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार का और निवेश करने का प्रस्ताव है तथा इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31.3.1993 तक की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 14 उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित हैं। 31.3.1993 तक सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में किये गये कुल निवेश का उद्यम-वार ब्यौरा 23.2.1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड -1 में विवरण पृष्ठ 92 से लेकर विवरण पृष्ठ 101 में दिया गया है।

(ख) 31.3.1993 को गत तीन वर्षों के वार्षिक उत्पादन तथा गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित लाभ/उठाई गई हानि तथा कर्मचारियों का उद्यम-वार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड-1 में क्रमशः विवरण पृष्ठ संख्या 147 से लेकर विवरण पृष्ठ संख्या 180 तक, विवरण पृष्ठ संख्या 42 से लेकर विवरण पृष्ठ संख्या 46 तक तथा विवरण पृष्ठ संख्या 210 से लेकर विवरण पृष्ठ संख्या 217 तक दिया गया है।

(ग) 31.3.1993 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं तथा उनके पूरा होने के सम्भावित समय का ब्यौरा इसी खण्ड में पृष्ठ संख्या 47 से लेकर संख्या 60 तक दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख

2148. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में भूमि संबंधी आंकड़ों का कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड बनाया गया है;

(ख) राज्य के ऐसे अन्य जिले कौन-कौन से हैं जहां भूमि संबंधी आंकड़ों के कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड रखे जा रहे हैं; और

(ग) सभी जिलों के भूमि संबंधी आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). : उत्तर प्रदेश राज्य में कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों को रखने के उद्देश्य से अब तक 11 जिलों अर्थात् दर्याग्या, इटावा, आगरा, मुरादाबाद, मैनपुरी, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, गोंडा, हरदोई तथा नैनीताल को भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में लागू करने का प्रश्न चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के निष्पादन और आने वाले वित्तीय वर्षों में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भारत सरकार के बजट आबंटन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

प्लूटोनियम ऑक्साइड

2149. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र यूरेनियम के स्थान पर मिश्रित प्लूटोनियम ऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे संयंत्रों की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और, प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिटों में से एक यूनिट में मिश्रित यूरिनियम-प्लूटोनियम ऑक्साइड (मॉक्स) से बने कुछ परीक्षण ईंधन समुच्चय स्थापित किए गए हैं।

(ख) मिश्रित ऑक्साइड से बने ईंधन बंडलों का उपयोग करना एक विकासशील प्रौद्योगिकी है। इस किस्म के ईंधन के लिए संसाधन देश में ही उपलब्ध हैं और अन्ततः ये समृद्ध यूरेनियम का विकल्प बन जाएंगे।

(ग) मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करने से संयंत्र की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं बढ़ेगा।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार द्वारा ज्यादा दाम वसूलना

2150. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 1993 के "राष्ट्रीय सहारा" में केन्द्रीय भंडार द्वारा वस्तुओं के अधिक दाम वसूलने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख)और (ग). यह समाचार केन्द्रीय भण्डार की वसन्त विहार शाखा द्वारा वस्तुओं के अधिक दाम वसूलने की शिकायतों तथा तारीख 10.8.1993 को शिकायत लेने के लिए केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों के उपलब्ध न होने के संबंध में है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा वसन्त विहार शाखा के कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं के अधिक दाम वसूलने से संबंधित आरोपों की जांच की गई तथा जांच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि स्टोर से खरीदी गई 38 वस्तुओं में से तीन के दाम अधिक वसूले गए थे। अधिक दाम वसूलने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध केन्द्रीय भण्डार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की गई। शिकायकर्त्ताओं को भी सलाह दी गई कि वे अधिक वसूली गई राशि वापस ले लें। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं कि स्टोर द्वारा बिक्री किए जा रहे सभी पैकिटों पर दामों के स्टिकर लगे हों।

[अनुवाद]

कृषि भूमि पर आवासीय भवन

2151. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री 8 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं. 842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (ग) से (ङ) के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली में कृषि योग्य भूमि पर अब तक कितने आवासीय भवन बनाए गए हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गयी है। उपायुक्त, दिल्ली ने सूचित किया है कि 1-12-93 की स्थिति के अनुसार, 4335 मामले ध्यान में आए हैं जिनमें भूमि उपयोग परिवर्तन के बिना कृषि भूमि पर अवैध रूप से रिहायशी मकान बनाए गए हैं। ऐसे मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें भूमिदारों को उक्त भूमि को 3 माह की अवधि के भीतर कृषि भूमि में परिवर्तन के लिए समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसा न किए जाने की स्थिति में यह भूमि गांव सभा को सौंपी जाती है। उन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा -ए के तहत बेदखली आदेश पारित किए जाते हैं जिन्होंने गांव सभा भूमि पर रिहायशी भवन बना लिए हैं और उसे कृषि उपयोग में परिवर्तित नहीं करवा पाये हों।

जनवरी, 1994 से अब तक 35 निर्माणों को गिरा कर 394.10 बीघा भूमि वसूल की गयी है।

राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कृषि भूमि पर अवैध निर्माण न हो इसके लिए निगरानी रखें।

[हिन्दी]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

2152. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के कतिपय अन्य स्थानों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक-एक न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केंद्रीय सरकार ने इस बारे में कोई पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है?

विधि,न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित किए जाने के लिए जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि उसी प्रस्ताव में यह सूचित किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उस क्षेत्र में न्यायपीठ स्थापित करने के लिए इस समय इसलिए सहमत नही हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति अनुकूल नहीं है। केन्द्रीय सरकार मामले पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

कोका कोला

2154. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला ने बॉटलरों के साथ अपने समझौते में अनेक प्रतिबन्धात्मक खंडों की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो ये खंड किस प्रकृति के हैं;

(ग) 1993-94 के दौरान इस प्रकार के प्रतिबन्धों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कितने समझौते किए; और

(घ) अप्रैल, 1994 के बाद आज तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कितने समझौते किए हैं और कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (iii) के अंतर्गत मै., कोका कोला कं., संयुक्त राज्य अमेरिका और मै., वृन्दावन एग्रो इंडस्ट्रीज लि., हाथरस के विरूद्ध दिनांक 18.4.94 का एक आवेदन और मै. पेप्सिको इंक. (आई एन सी) संयुक्त राज्य अमेरिका, पेप्सी फूड्स लि. और मै. आगरा बीवरेजेज कार्पो . लि. के विरूद्ध दिनांक 29.6.94 का एक और आवेदन उनके बीच बोतलें भरने (बांटलिंग) के लिए हुए समझौते में अवरोधक खंडों का समावेश करने के वास्ते एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष दायर किए हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने दोनों ही मामलों में जांच की नोटिसें पहले ही संस्थित कर दीं हैं। चूंकि आयोग एक न्यायिककल्प निकाय है, अतः दोनों ही मामले न्यायाधीन हैं।

सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भवनों को किराए पर उठाना

2155. **डा. रमेश चंद तोमर** : क्या शहरी विकास मंत्री 17 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 3274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगत नीतिगत निर्णय की जानकारी भूमि और विकास अधिकारी द्वारा सभी सांस्कृतिक संगठनों को दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). मौजूदा नीति की समीक्षा के फलस्वरूप संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

अंटार्कटिका के संबंध में अध्ययन

2156. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोवा ने स्वयं अथवा किसी अन्य देश के सहयोग से 1993-94 के दौरान अंटार्कटिका की कोई प्रयोगमूलक/अध्ययनपरक यात्राएं शुरू की हैं अथवा निकट भविष्य में ऐसी यात्राएं शुरू करने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) नहीं, श्रीमान्। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने स्वयं अथवा किसी अन्य देश के सहयोग से अंटार्कटिक की कोई यात्रा नहीं की । भविष्य में ऐसे किसी अभियान की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, श्रीमान।

रोहिणी में प्लाटों का आबंटन

2157. **श्री शशि प्रकाश** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी आवास योजना के अंतर्गत 1991 में प्लाट आबंटित किए थे;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 32 मीटर प्लाटों के कतिपय आबंटितियों को 30 अगस्त, 1994 तक बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा गया था; और

(घ) यदि हां, तो रोहिणी में 32 मीटर प्लाटों के शेष आबंटितियों के मामले में ऐसी नीति न अपनाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। डीडीए ने सूचित किया है कि 27.3.1991 को एक ड्रा निकाला गया जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को 5740 भूखण्ड आबंटित किये गये थे :

ई डब्लू एस/जनता	978
एल.आई.जी.	2729
एम.आई.जी.	2033
	5740

(ग) जी, नहीं। डीडीए ने सूचना दी है कि आबंटियों को भुगतान करने के लिए निर्धारित समय दिया गया था लेकिन कुछ आबंटियों ने निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात भुगतान किया अतः शर्तों तथा निबंधनों के तहत उनका आबंटन निरस्त किया जाना था। मामले पर विस्तृत रूप से विचार करने के पश्चात् डीडीए द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि जिन आबंटियों ने स्वत : पहले ही 30.9.1994 तक भुगतान कर दिया है तथा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, उनका आवंटन बहाली प्रभारों तथा भुगतान की विलंबित अवधि के ब्याज के भुगतान पर नियमित कर दिया जाय :—

1. वे मामले, जिनमें पूरा भुगतान 28.2.1993 के पश्चात् है (भुगतान की अन्तिम तारीख) लेकिन 31.8.1993 से पूर्व (तीसरी किस्त की बढ़ाई गयी अन्तिम तारीख) को प्राप्त हुआ।
2. वे मामले, जिनमें आंशिक भुगतान 31.8.1993 से पहले और शेष अथवा पूर्ण भुगतान 31.8.1993 के पश्चात् प्राप्त हुआ।
3. वे मामले, जिनमें पहली या दूसरी अथवा तीसरी किस्त के बारे में सूचना उपलब्ध है लेकिन पूरे भुगतान के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, और
4. वे मामले जिनमें मांग पत्र न्यायालय में स्थगन आदेशों के निरस्त होने पर अक्तूबर/नवम्बर, 1993 में जारी किये गये लेकिन भुगतान निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् अर्थात पहली किस्त 30 दिन और दूसरी किस्त 90 दिन के बाद प्राप्त हुआ।

(घ). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नीतिगत निर्णय की प्रयोज्यता को उक्त चार प्रकार के मामलों तक सीमित कर दिया गया था।

रेडियोधर्मिता से खतरा

2158. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में यूरेनियम की खानों के आस-पास ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य पर रेडियोधर्मिता का प्रभाव पड़ने के संबंध में समाचार देखे हैं;

(ख) यदि हां, तो लोगों को इस विकिरण से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विकिरण से प्रभावित हुए व्यक्तियों का चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था करने तथा उन लोगों से जिन्हें स्थाई तथा अपूरणीय क्षति हुई है, को कुछ मुआवजा देने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। यह रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। बिहार में यूरेनियम की खानों के आसपास रहने वाले ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पर विकिरण सक्रियता का कोई प्रभाव नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

हजरतबल से पकड़े गए लोग

2159. **डा. जी.एल. कनोजिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा बलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान हजरतबल से कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं;

(ख) उनमें से विदेशी नागरिक कितने थे तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या है तथा इस समय वे लोग कहां रह रहे हैं; और

(ग) आतंकवादियों द्वारा अपहृत किए गए व्यक्तियों के बदले में कितने आतंकवादियों को किस तारीख को छोड़ा गया था तथा उनके विरूद्ध क्या आरोप थे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार 16.11.1993 को 62 व्यक्ति हजरतबल से बाहर आये थे और उन्होंने प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इनमें से 35 व्यक्तियों को, जिन्हें स्क्रीनिंग करने पर निर्दोष पाया गया, 18.11.1993 को रिहा कर दिया गया। शेष व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से दो व्यक्ति पाक अधिकृत कश्मीर के निवासी थे, पर उन पर मुकदमा चलाया गया और उनकी हिरासत में रहने की अवधि को न्यायालय द्वारा कैद की अवधि करार दी गयी। इनमें से एक व्यक्ति शाहीन भट्ट, जिसके बारे में बताया गया कि वह घुसपैठ करके पुनः राज्य में आ गया है, 12 नवम्बर, 1994 को जम्मू में गिरफ्तार किया गया और उस पर संबंधित कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्ति विभिन्न तारीखों को, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अनुसरण में जमानत पर हैं।

[अनुवाद]

हिन्डन नहर पर पुल का निर्माण

2160. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू अशोक नगर के समानांतर अतिक्रमणों को हटाने के हाल ही के प्रयासों के पश्चात् डी.डी.ए. कालोनी वसुंधरा इन्कलेव को जोड़ने के लिये हिंडन नहर के आर-पार पुल निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन्कलेव को त्रिलोकपुरी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को जोड़ने के लिये हिंडन नदी तथा गाजीपुर नाले के आर-पार वसुंधरा इन्कलेव में दूसरा पुल बनाने के लिये कोई अतिरिक्त प्रस्ताव तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क)थिल्ला रेगूलेटर के निकट बनाया जाने वाला पुल योजना अवस्था में है।

(ख) त्रिलोक पुरी से गाजीपुर वाला क्षेत्र में हिन्डन कट कैनाल पर एक पुल बनाकर इस क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक रास्ता सुलभ करने का निर्णय लिया गया है, यह मयूर विहार चरण-II के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को जोड़ेगा।

(ग) भूमि, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकार में है और भूमि अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के साथ मामला उठाया गया है।

केरल में मतदाता सूची

2161. **श्री थाइल जॉन अंजलोज़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मतदाता-सूची तैयार की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक तैयार कर ली जाऐगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). केरल राज्य में अर्हता की तारीख 1.1.1995 के प्रति निर्देश से, निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए समय कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम नामावलियां 9 मार्च, 1995 को प्रकाशित की जानी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

2162. **श्री पी.सी. चाको** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को रूग्ण घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक पुनर्स्थापित किए गए उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ङ) बाकी उपक्रम रूग्ण न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). 14.11.1994 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 52 रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों को 1991 में यथा संशोधित रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1985 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल में पंजीकृत करा दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल ने पंजीकृत किए गए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के संबंध में नवीकरण/पुनर्स्थापन संबंधी योजना तैयार करने के लिए प्रचालन अभिकरण नियुक्त किया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल ने पंजीकृत किये गये केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 रूग्ण उद्यमों में से 2 उद्यमों के नवीकरण और 3 उद्यमों को बंद करने की अनुशंसा की है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के 52 रूग्ण उद्यमों के नाम उनकी नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन और कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निदेशक मंडलों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना और उनका व्यवसायीकरण करना, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में कमी करना, उत्पाद मिश्र का विविधकरण करना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन करना, अनुसंधान तथा विकास करना, निर्यात संवंर्धन और कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ बैठकें आयोजित करना शमिल है।

विवरण

क्र.सं.	मामला संख्या	कंपनी	प्रचालन अभिकरण	राज्य	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	501/92	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर लि.	आईसीआईसीआई	उत्तर प्रदेश	जांच चल रही है
2.	502/92	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.	आईडीबीआई	नागालैंड	बन्द करने की सूचना
3.	503/92	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.		हरियाणा	17(2)
4.	504/92	स्कूटर्स इण्डिया लि.	आईडीबीआई	उत्तर प्रदेश	जांच चल रही है
5.	505/92	भारत गोल्ड माइन्स लि.	आईसीआईसीआई	कर्नाटक	तदैव
6.	506/92	टेनरी एण्ड फुटवियर कं. लि.	आईएफसीआई	उत्तर प्रदेश	बन्द करने की सूचना
7.	507/92	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.	आईसीआईसीआई	उत्तर प्रदेश	जांच चल रही है
8.	508/92	भारतीय साईकिल निगम लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश
9.	509/92	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	आईसीआईसीआई	महाराष्ट्र	जांच चल रही है
10.	510/92	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	आईएफसीआई	पश्चिम बंगाल	तदैव
11.	511/92	भारी इंजीनियरी निगम लि.	आईडीबीआई	बिहार	तदैव
12.	512/92	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.	आईडीबीआई	कर्नाटक	तदैव
13.	513/92	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि.	आईडीबीआई	महाराष्ट्र	बन्द करने की सिफारिश
14.	514/92	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.	आईडीबीआई	उड़ीसा	18(4)
15.	515/92	भारतीय उर्वरक निगम लि.	आईडीबीआई	बिहार	जांच चल रही है
16.	516/92	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो. लि.		असम	तदैव
17.	517/92	बीको लॉरी लि.	लागू नहीं	पश्चिम बंगाल	17(2)
18.	518/92	ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.	आईएफसीआई	उत्तर प्रदेश	बन्द करने की सिफारिश
19.	519/92	एल्गिन मिल्स कं. लि.	आईडीबीआई	उत्तर प्रदेश	तदैव
20.	520/92	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजी.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश
21.	521/92	भारतीय परियोजना एवं निर्माण निगम लि.		बिहार	जांच चल रही है

1	2	3	4	5	6
22.	522/92	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.	सीबी	कर्नाटक	बन्द करने की सूचना
23.	523/92	भारतीय टायर निगम लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	जांच चल रही है
24.	524/92	वेबर्ड इण्डिया लि.	आईआरबीआई	पश्चिम बंगाल	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश
25.	525/92	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	आईडीबीआई	बिहार	जांच चल रही है
26.	526/92	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	योजना का प्रारूप
27.	527/92	कानपुर टेक्सटाईल लि.	आईडीबीआई	उत्तर प्रदेश	बन्द करने की सूचना
28.	528/92	ब्रेथवेट लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	जांच चल रही है
29.	529/92	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि.	आईआरबीआई	पश्चिम बंगाल	18 (4)
30.	530/92	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	आईडीबीआई	उत्तर प्रदेश	जांच चल रही है
31.	531/92	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	एसबीआई	पश्चिम बंगाल	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश
32.	532/92	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	जांच चल रही है
33.	533/92	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लि.	आईआरबीआई	पश्चिम बंगाल	तदैव
34.	534/92	नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि.	आईएफसीआई	कर्नाटक	तदैव
35.	535/92	नेटेका (गुजरात) लि.	आईडीबीआई	गुजरात	तदैव
36.	536/92	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	आईडीबीआई	महाराष्ट्र	तदैव
37.	537/92	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्युलेशन कं. लि.	आईडीबीआई	बिहार	तदैव
38.	538/92	बंगाल इम्युनिटी लि.	आईआरबीआई	पश्चिम बंगाल	योजना का प्रारूप
39.	501/93	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	आईडीबीआई	मध्य प्रदेश	जांच चल रही है
40.	502/93	माइका ट्रेडिंग कारपो. ऑफ इण्डिया	एसबीआई	बिहार	बन्द करने की सूचना
41.	503/93	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	जांच चल रही है
42.	504/93	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	आईडीबीआई	उत्तर प्रदेश	तदैव
43.	505/93	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	आईडीबीआई	महाराष्ट्र	तदैव
44.	506/93	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो.	आईआरबीआई	पश्चिम बंगाल	जांच चल रही है
45.	509/93	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	आईडीबीआई	राजस्थान	तदैव
46.	501/94	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	आईडीबीआई	नई दिल्ली	तदैव
47.	502/94	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि.	आईडीबीआई	पश्चिम बंगाल	तदैव
48.	503/94	इस्को उज्जैन पाईप एण्ड फाउंड्री कं. लि.	आईआरबीआई	मध्य प्रदेश	
49.	504/94	सर्दर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि.		आंध्र प्रदेश	तदैव
50.	505/94	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि.		पश्चिम बंगाल	तदैव
51.	506/94	रेरौल बर्न लि.	आईआरबीआई	पश्चिम बंगाल	तदैव
52.	507/94	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स इण्डिया लि.	आईडीबीआई	आंध्र प्रदेश	तदैव
	17(2) –	कंपनी की योजना अनुमोदित			
	18(4)–	स्वीकृत योजना			

छावनी क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

2163. **डा. सुधीर राय :**
श्री मुही राम सैकिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छावनी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सैनिक स्कूलों के प्रशासन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सेना शिक्षा कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक अफसर को सामान्य समस्याओं का हल ढूंढ़ने में सहायता करने तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संचालन के लिए वृहत-स्तर पर नीति बनाने/निर्णय लेने में वास्तविक रूप से योगदान करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ). सैनिक स्कूलों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है। परंतु, इस संबंध में अभी कोई ठोस बात नहीं हो पाई है।

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का विज्ञापन

2164. **श्री एस. शिवरामन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार हेतु मंत्रालय द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार के लिए विज्ञापनों पर 1 अप्रैल, 94 से 30 नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान 23,78,016.00 रुपये की धनराशि व्यय की गई हैं।

विस्थापित परिवारों के घर

2165. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उन कश्मीरी पंडितों के घरों का कोई सर्वेक्षण अथवा उनकी गणना की है जो आतंकवाद के खतरे के कारण घाटी छोड़कर चले गए हैं;

(ख) श्रीनगर तथा घाटी के अन्य शहरों में ऐसे कितने घर हैं; और

(ग) छोडे गए इन घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). सर्वेक्षण करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने एक प्रपत्र तैयार किया है जिसमें प्रवासियों से अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। राज्य राहत प्राधिकारियों को 50,000 से अधिक फॉर्म प्राप्त हुए हैं। पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों के क्षेत्र-वार ब्यौरे की सही तस्वीर, राज्य सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण को पूरा कर लिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगी। इस प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर के राहत आयुक्त ने, दावों के सत्यापन की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना की है। पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।

सामुदायिक केन्द्र

2166. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में आगे और समुदाय केन्द्र खोलना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मतदाता सूची

2167. **श्री चित्त बसु :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार ने मतदाता सूची से बंगाली भाषी कई लोगों के नाम हटा दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए इस निर्णय की पुनरीक्षा करने का है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित न रहने पाए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर सके थे, इसके लिए निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में विहित प्रक्रिया अपनाए जाने के पश्चात निर्वाचक नामावलियों से हटा दिए गए हैं।

(ख) कोई भी व्यथित व्यक्ति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 में उपबंधित के अनुसार मुख्य निर्वाचक आफिसर को अपील कर सकता है।

भारत विरोधी अभियान

2168. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ संगठनों द्वारा कश्मीर घाटी में कश्मीरियों को भारत के विरूद्ध एकजुट करने के लिए भारत विरोधी प्रचार और दुष्प्रचार किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग). जम्मू और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान और उसके संरक्षण प्राप्त उग्रवादी गुटों तथा अग्रणी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर भारत-विरोधी गलत सूचनाएं देने तथा दुष्प्रचार अभियान चलाए जाने के बारे में सरकार को जानकारी है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में तथ्य उपलब्ध करवा कर; राज्य में कट्टरवादिता और आतंकवादी हिंसा फैलाने तथा हत्याएं करवाने में पाकिस्तान द्वारा निरन्तर सीधे मदद देते रहने के बारे में सूचना को प्रचार और प्रसार करके, देश और विदेश में विभिन्न संभाषियों के साथ नियमित विचार-विनियम करके तथा प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया चैनलों के द्वारा वास्तविक स्थिति बतला कर : और राज्य के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाकर इस प्रकार के दुष्प्रचार का विभिन्न स्तरों पर मुकाबला करने और पर्दाफाश करने के लगातार प्रयास किए गए हैं।

"हुडको" के ऋण पर ब्याज दर

2169. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम का विचार आवास प्रयोजनों हेतु अपने द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज दरें घटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऋणों पर ब्याज दर किस सीमा तक घटाये जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). हुडको ने 9.11.94 से उच्च आय समूहों के लिए आवास स्कीमों हेतु ऋणों बाबत अपनी उधार देने की दरें 17 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष और भूमि अधिग्रहण स्कीमों के बारे में 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी है।

यूरिया की कमी

2170. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**
श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समय देश में यूरिया की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) 1993-94 के दौरान देश में कुल यूरिया की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(घ) यूरिया का उत्पादन करने वाले एकक स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूरिया के आयात के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जबकि देश में यूरिया की उपलब्धता सामान्यतः संतोषजनक है, चालू रबी मौसम के लिए निम्न अधिशेष भण्डार मांग पैटर्न में परिवर्तनों, कुछ एककों में उत्पादन कटौतियों और संचलन बाधाओं में कुछ राज्य में यूरिया की अस्थाई और स्थानीकृत कमियां आई हैं। राज्य सरकारों, माल की प्राप्ति परिचालन और संचलन से संबद्ध आपूर्तिकर्त्ताओं और अभिकरणों के साथ समन्वय से स्थिति पर सक्रत निगरानी रखी जा रही है। जहां आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। इनमें काम बन्दियों को पुनर्निर्धारित करके तथा गैस पर आधारित उर्वरक एककों को फीडस्टाक की उपलब्धता को सुधारू बनाकर स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम् बनाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण उर्वरक एककों में उत्पादन को पुनः आरम्भ करने/रख-रखाव के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करना आयातित यूरिया के आवगियों को बढ़ाना तथा पत्तनों/संयंत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को यूरिया के परिचालन तथा संचलन की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

(ग) और (घ). 1993-94 में क्रियाशील यूरिया संयंत्रों की अवस्थिति तथा उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1994-95 के दौरान टाटा कैमिकल्स लि., बबराला (उ. प्र.) के यूरिया संयंत्र ने उत्पादन आरम्भ किया ।

(ङ) और (च). अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन चालू रबी मौसम के लिए किये गये आवंटनों के मुताबिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया की पर्याप्त मात्रा का आयात करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। अक्तूबर-नवम्बर 94 की अवधि के दौरान 5.81 लाख टन यूरिया का आयात किया गया है, जबकि गत वर्ष समकालीन अवधि के दौरान 4.54 लाख टन का आयात किया गया था।

विवरण

संयंत्र	उत्पाद	अवस्थिति	उत्पादन (1993-94)
1	2	3	4
सार्वजानिक क्षेत्र			
एफ आई सी :			
सिन्दरी	यूरिया	बिहार	243.9
रामागुंडम	यूरिया	आन्ध्र प्रदेश	193.0
तलचर	यूरिया	उड़ीसा	124.6
जोड़ :			561.5
एन एफ एल :			
नागंल-II	यूरिया	पंजाब	351.1
भटिंडा	यूरिया	पंजाब	511.6
पानीपत	यूरिया	हरियाणा	516.4
विजयपुर	यूरिया	मध्य प्रदेश	878.3
जोड़ :			2257.4
एच एफ सी :			
नामरूप-II	यूरिया	आसाम	7.2
नामरूप-III	यूरिया	आसाम	182.6
दुर्गापुर	यूरिया	प. बंगाल	40.9
बरौनी	यूरिया	बिहार	22.0
जोड़ :			252.7
एफ ए सी टी :			
कोचीन-I	यूरिया	केरल	242.3
आर सी एफ :			
ट्रॉम्बे	यूरिया	महाराष्ट्र	83.2
ट्राम्बे-V	यूरिया	महाराष्ट्र	312.3
थाल	यूरिया	महाराष्ट्र	1341.9
जोड़ :			1737.4
एम एफ एल :			
मद्रास	यूरिया	तमिलनाडु	96.9
एन एल सी :			
नवेली	यूरिया	तमिलनाडु	111.0
योग	सार्वजनिक क्षेत्र		5259.2
सहकारी क्षेत्र			
इफ्को			
कलोल	यूरिया	गुजरात	357.6
फुलपूर	यूरिया	उत्तर प्रदेश	540.5
आंवला	यूरिया	उत्तर प्रदेश	906.4
योग :			1804.5
कृभको :			
हजीरा	यूरिया	गुजरात	1515.4
योग सहकारी क्षेत्र			3319.9
निजी क्षेत्र			
जीएमएफसी : बरोदा	यूरिया	गुजरात	351.0
एसएफसी :कोटा	यूरिया	राजस्थान	405.8
चांद छाप :कानपुर	यूरिया	उत्तर प्रदेश	601.3
जेडएसी : गोवा	यूरिया	गोवा	381.0
स्पीक : टूटीकोरिन	यूरिया	तमिलनाडु	586.1
एमसीएफ : मंगलोर	यूरिया	कर्नाटक	189.4
जीएनएफसी :भरुच	यूरिया	गुजरात	653.7
एनएफसी एल :			
काकोनाड़ा	यूरिया	आंध्र प्रदेश	591.2
आईजीएफसीसी :			
जगदीशपुर	यूरिया	उत्तर प्रदेश	685.3
चम्बल फर्टिलाइजर	यूरिया	राजस्थान	124.4
योग : निजी क्षेत्र			4569.2
योग (सार्वजनिक-सहकारी -निजी) :			13148.3

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र से विकिरण

2171. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनेडियाई टेलीविजन में यह समाचार प्रसारित हुआ है कि राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की दो इकाइयां असुरक्षित हैं और इन इकाइयों से विकिरण रिसाव का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या संयंत्र के कार्यकरण के तकनीकी पहलुओं के बारे में कनेडियाई वैज्ञानिकों के साथ कोई चर्चा की गई है और इसके लिए उनकी सहायता मांगी गई है;

(घ) क्या इस तरह के विकिरण रिसाव के न होने को सुनिश्चित करने हेतु कोई नियमित जांच की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) कनाडा टेलीविजन ने राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की सुरक्षा के संबंध में एक रिपोर्ट प्रसारित की थी।

(ख) कनाडा टेलीविजन की रिपोर्ट में राजस्थान परमाणु बिजलीघर के रिएक्टरों की दाबसह नली की विश्वसनीयता के संबंध में उठाए गए मुद्दों के बारे में समुचित रूप से बताया गया है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के रिएक्टर दाबसह नलियों से संबंधित किसी खराबी अथवा दुर्घटना के बगैर काम करते रहे हैं तथा भविष्य में इस बारे में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ग) दाबित भारी पानी रिएक्टरों की दाबसह नली की विश्वसनीयता के तकनीकी पहलुओं के बारे में कनाडा के वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सरकार ने अब तक कोई सहायता नहीं मांगी है।

(घ) और (ङ). सन् 1983 और 1986 में कनाडा में दो रिएक्टरों की दाबसह नलियों के खराब हो जाने के बाद में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा दाबसह नली की सुरक्षा के मसले पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। दाबसह नलियों की स्थिति को मानीटर करने के लिए सभी रिएक्टरों की दाबसह नलियों का नियमित रूप से निरीक्षण उन रिएक्टरों को वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद रखे जाने की अवधि के दौरान किया जाता है। संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी परमाणु बिजलीघरों में और उनके आस-पास विकिरण स्तरों का निरन्तर मानीटरन किया जा रहा है। बिजलीघरों में परिचालन संबंधी उन्नत पद्धतियां अपनाने से दाबसह नलियों के खराब होने की संभावना कम हुई है। दाबसह नलियों को हटाने और उनके स्थान पर दूसरी नलियां लगाने की प्रक्रियाएं स्थापित की गई और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चूंकि राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट सन् 1981 से काम कर रहा है, अतः शीतलक चैनलों का विस्तृत सेवाकालीन निरीक्षण करने का काम हाथ में लिया गया है जिसके लिए बिजलीघर को अगस्त, 1994 से बंद रखा हुआ है। निरीक्षण के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर इस यूनिट को फिर से चालू किया जाएगा अथवा शीतलक चैनलों को बदलने हेतु यूनिट को लंबी अवधि के लिए बंद रखने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निरीक्षण संबंधी कार्यों को सूक्ष्मता से मानीटर किया जा रहा है। रिएक्टरों को यह सुनिश्चित कर लेने के बाद ही फिर से चालू किया जाएगा कि वे बोर्ड की सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

अम्बाला छावनी की यूनिट में बम विस्फोट

2172. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 1994 को अम्बाला छावनी के यूनिट कार्यालय में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). 155 मि.मी. तोप के गोला-बारूद का दागा हुआ एक गोला, जिसे निष्क्रिय समझा गया था, एक तोपखाना यूनिट के कमांडिंग अफसर ने प्रदर्शन के प्रयोजन से अपने कार्यालय में रख लिया था। अचानक ही यह गोला फट गया जिससे कार्यालय के एक अर्दली को मामूली चोट आई। ऐसी दुर्घटनाओं की जांच के लिए यथानिर्धारित प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू कर दी गई।

मतदाताओं को परिचय पत्र

2173. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री राजवीर सिंह :
श्री साइमन मरांडी :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री ललित डोराव :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने के संबंध में हाल ही में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक राज्य-वार कितने परिचय-पत्र जारी किए गए;

(घ) उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई और इस उद्देश्य से राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ङ) 1995 में किन-किन राज्यों में चुनाव होने हैं;

(च) क्या निर्वाचन आयोग का विचार निर्धारित समय के अंदर परिचय पत्र तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को नए मार्ग निर्देश जारी करने का है;

(छ) यदि हां, तो सभी मतदाताओं को परिचय पत्र कब तक जारी हो जाएंगे; और

(ज) किस अवधि तक ये परिचय पत्र वैध होंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निदेशों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 19 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक में इस बात पर मतैक्य था कि फोटो पहचान पत्र जारी करने की स्कीम को चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). जारी किए गए पहचान पत्रों की संख्या और उन पर उपगत व्यय के संबंध में सरकार द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार, संपूर्ण व्यय प्रारंभिक तौर पर संबद्ध राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और स्कीम पर उनके द्वारा उपगत व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी। अतः इस प्रक्रम पर केन्द्रीय सहायता का कोई आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में निर्वाचन वर्ष 1995 में होने हैं।

(च) और (छ). निर्वाचन आयोग ने फोटो पहचान पत्र जारी करने की समय सीमा तारीख 15 जनवरी, 1995 तक बढ़ा दी है और आशा है कि उक्त तारीख तक राज्य सरकारों द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

(ज) दस वर्ष ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों का विकास

2174. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

(i) बस्तर ज़िले के विकास के लिए 1993-94 से 1998-99 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 98.26 करोड़ रुपये की कुल लागत पर माडल विकास योजना। इसमें जनजातीय जनसंख्या, जो जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 69 प्रतिशत है, पर विशेष बल सहित बस्तर जिले के व्यापक विकास के लिए एक पैकेज स्कीम की परिकल्पना की गई है। इस माडल विकास योजना में कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन, बागवानी वन, रेशम उत्पादन और जल संसाधन शामिल हैं।

(ii) रायगढ़ जिले में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र में कालीन शिल्प के विकास के लिए परियोजना। इस परियोजना की कुल लागत 650.00 लाख रु. है, जिसमें से 350.00 लाख रु. की गैर-आवर्ती लागत अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में मांगी गई है।

(iii) मध्य प्रदेश में बिलास जिले के कटघोड़ा में हस्तशिल्प विकास केन्द्र खोलना। इस परियोजना की कुल लागत 336.99 लाख रु. है जिसमें से 252.28 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है।

(ग) और (घ). (i) पर दिए प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार के बस्तर जिले में विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को पुनः तैयार कर और उस जिले के समग्र विकास के लिए एक अल्पकालिक तथा साथ ही एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। (ii) और (iii) पर दिए गए प्रस्तावों का कल्याण मंत्रालय में अध्ययन किया जा रहा है।

अखबारों पर रोक

2175. श्री केशरी लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने श्रीनगर में कुछ अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रकाशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन अखबारों को फिर से प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, जमायते-उल मुजाहिद्दीन आतंकवादी गिरोह ने "अल सफा" और "श्रीनगर टाईम्स" दो स्थानीय दैनिक उर्दू अखबारों पर प्रतिबंध लगाया है।

(ग) स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार की नीति और प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि प्रेस/समाचार पत्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

2176. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में, विशेषकर डोडा जिले में पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार मारे गये तथा घायल हुए सिविल/रक्षा अधिकारियों/सेना के जवानों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति को हुई हानि का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गये, कितने पकड़े गये, कितने आतंकवादियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया तथा कितने आतंकवादियों को दण्ड दिया गया;

(घ) क्या सरकार को राज्य में आतंकवादियों द्वारा तबाही किए जाने तथा लूटे जा रहे जंगलों की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की लकड़ी को आतंकवादियों द्वारा जला दिया गया; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनार्वृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1992, 1993 और 1994 (31 अक्तूबर तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा कार्मिकों की संख्या क्रमशः 1036, 1229 और लगभग 1064 थी। इनमें से, इन्हीं वर्षों में डोडा में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 25, 92 और 93 सितम्बर तक थी।

(ख) वर्ष 1992 से 1994 (31 अक्तूबर तक) के दौरान आतंकवादी गतिविधि में 636 सरकारी भवनों, शिक्षा संस्थानों और पुलों के क्षतिग्रस्त/नष्ट होने की सूचना है।

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान 3609 आतंकवादी मारे गए और 664। गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अधीन कार्यवाही शुरु की गई थी और ये कार्यवाहियां प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) से (च). सरकार की जानकारी है कि आतंकवादियों ने वन संपत्ति को काफी क्षति/हानि पहुंचाई है तथापि इसकी ठीक-ठीक मात्रा या कीमत बताना संभव नहीं है। ऐसी बरबादी को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध, खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों और नाजुक क्षेत्रों में मजबूत कर दिए गये हैं और आतंकवादी विरोधी अभियानों को पुरजोर ढंग से चलाया जा रहा है।

अमरनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर हमला

2177. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान आज तक अमरनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादियों द्वारा कितने हमले किए गए;

(ख) इन हमलों के दौरान कितने यात्रियों की जानें गईं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे कितने हथगोले जब्त किए गए?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). आतंकवादी गुट, हरकत-उल-अंसार ने धमकियां जारी की थीं और अगस्त, 1994 में अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 16.8.1994 को उग्रवादियों ने खानाबल, जिला अनंतनाग, में एक कारवां पर गोलीबारी की थी, जिसमें तीन सिविलियन और एक सुरक्षा बल कार्मिक घायल हुआ था, 17.8.1994 को एक बेस कैम्प और पहलगाम में यात्रा बसों के खड़े करने के स्थान की ओर दो राकेट छोड़े गए जिसके कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई; तथा उसी तारीख को राम भान, जिला डोडा, के निकट, यात्रियों के एक कारवां पर उग्रवादियों ने दो गोले फेंके जिससे जान अथवा माल की कोई क्षति नहीं हुई।

यात्रा को सुरक्षित और सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए थे, जिससे यात्रा सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक ढंग से पूरी हो सकी।

अगस्त,1994 के दौरान, 428 गोले/हथगोले बरामद किए गए तथा 396 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के लिए विश्व बैंक-ऋण

2178. **श्री एन. डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव से सहमत हो गया है;

(ख) क्या इस संबंध में विश्व बैंक के दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य राज्यों तक बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए एक प्रस्ताव पर विश्व बैंक के साथ चर्चा की जा रही है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य पिछड़े जिलों में गरीबों के रोजगार और आय में वृद्धि करना होगा ताकि गरीबी वाले जिलों में मूलभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाया जा सके तथा गरीबी उन्मूलन के एक ठोस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने और उसकी निगरानी करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों की क्षमता बढ़ानी होगी।

(ख) विश्व बैंक के अभिनिर्धारण दल ने 18 अक्तूबर से 17 नवम्बर 1994 तक पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों का दौरा किया।

(ग) और (घ). इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आयकर अपील न्यायाधिकरण में लंबित मामले

2179. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अपील न्यायाधिकरण में कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या प्राप्त हुए मामलों और निपटाये गये मामलों की संख्या में काफी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) तारीख 1.10.1994 को आय-कर अपील अधिकरण में लंबित मामलों की कुल संख्या 2,73,150 थी।

(ख) और (ग). अधिकरण में संस्थित किए जाने वाले मामलों की संख्या अधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या से अधिक है।

(घ) अधिकरण में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं। सदस्यों को ऐसे स्थानों पर दौरे पर भेजा जाता है जहां या तो लंबित मामले अधिक हैं या नियमित न्यायपीठें कार्य कर रही हैं। सुनवाई के लिए समान विषयवस्तु वाली अपीलों की एक समूह में रखा जाना, शीघ्र निपटारे के लिए पूर्व निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की संवीक्षा करना और विभिन्न स्थानों पर शिविर न्यायालयों की व्यवस्था करना ऐसे कुछ अन्य उपाय हैं जो लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए गए हैं।

[अनुवाद]

अखबारी कागज की मिलें

2180. **श्री रामनिहोर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागजों की अनुसूचित मिलों की गत तीन वर्षों के दौरान अधिष्ठापित क्षमता और प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता कितनी रही;

(ख) क्या इन मिलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता अखबारी कागज का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार का अखबारी कागज के आयात संबंधी नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान अधिसूचित अखबारी कागज मिलों की अधिष्ठापित तथा उत्पादन क्षमता इस प्रकार रही है :-

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन (लाख टन में)
1991-92	3.13	2.86
1992-93	3.73	3.12
1993-94	5.35	3.61

(ख) जी, नहीं। देश में अखबारी कागज की कमी है। अखबारी कागज की कमी की मांग को स्वदेशी उत्पादन तथा आयात दोनों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ). अखबारी कागज की आयात नीति की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तब इसमें उचित संशोधन करने पर विचार किया जाता है।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा मलेरिया की दवा विकसित किया जाना

2181. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने मलेरिया को रोकथाम हेतु दवा विकसित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके परीक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उन दवाओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मलेरिया के उपचार के लिए औषधियां विकसित करने का कार्यक्रम जारी है। सीडीआरआइ ने प्लासमोडियम विवेक्स मलेरिया के नियंत्रण के लिए, विशेषकर दोबारा मलेरिया हो जाने वाले मामलों में प्रभावकारी 80/53 नाम के नए रासायनिक मिश्रण का संश्लेषण किया है। क्लीनिकल परीक्षण के पहले चरण में यह मिश्रण सुरक्षित पाया गया है। द्वितीय चरण के प्रभाव का मूल्यांकन पी. विवेक्स मलेरिया के रोगी पर मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली में किया जा रहा है। सीडीआरआइ द्वारा विकसित की गई दूसरी औषधि आर्टीथर है जो चीन में पाए जाने वाले पौधे आर्टिमिसिया एन्नुआ से प्राप्त होती है देश में जिसका प्रचलन सीएसआइआर की एक अन्य प्रयोगशाला केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान (सिमैप) लखनऊ द्वारा किया गया। पैरासाइट प्लासमोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाले मलेरिया के बिगड़े रूप सेरेबरल मलेरिया के लिए आर्टीथर प्रभावकारी है। द्वितीय चरण का क्लीनिकल परीक्षण पूरा किया जा चुका है। तृतीय चरण के क्लीनिकल परीक्षण के लिए भारत के औषधि नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर ली गई है और यह परीक्षण शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

सीडीआरआइ ने औषधियों के क्लीनिकल परीक्षण और वाणिज्यीकरण के लिए दो कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उर्वरकों पर राजसहायता

2182. **श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की मध्यस्थता के बिना निर्माताओं को फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर राजसहायता सीधे दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माताओं ने पुरानी प्रणाली को फिर से शुरु किए जाने का अनुरोध किया है जिसमें राजसहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). 1992-93 और 1993-94 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से अनियंत्रित फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों पर विशेष रियायत की योजना कार्यान्वित की गयी थी और इस प्रयोजन के लिए उन्हें निधियां जारी की गयी। तथापि, वर्ष 1994-95 के लिए राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत बिक्री की रिपोर्टों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में उर्वरक उत्पादकों को और एम ओ पी के मामले में निर्यातकों को सीधे भुगतान किए जाएं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार

2183. **श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "केन्द्रीय भंडारों" में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ख) उनमें उपरोक्त अवधि के दौरान हुए घाटे/लाभ का वर्ष-वार ब्योरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा "केन्द्रीय भंडार" में कोई निवेश नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार ने निम्नलिखित लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया है :-

	लाख रुपये
1991-92	113.41
1992-93	195.03
1993-94	248.97

[हिन्दी]

परती भूमि का विकास

2184. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूमि विकास विभाग द्वारा अब तक कुल कितनी भूमि विकसित की गई है;

(ख) क्या इस विकसित भूमि को भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे श्रमिक लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जुलाई, 1992 में, इसके प्रारंभ से 31 मार्च, 1994 तक बंजरभूमि विकास विभाग ने, इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 92,114 हैक्टेयर वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की है।

(ख) व (ग). बंजरभूमि विकास विभाग देश में बंजरभूमि विकास को केवल बढ़ावा देता है लेकिन भूमि आबंटित नहीं करता। भूमि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूलों का कार्य-निष्पादन

2185. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में 10वीं 12वीं कक्षाओं में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पास हुए छात्रों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या इस प्रतिशतता में काफी गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सैनिक स्कूलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दसवीं और बारहवीं कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता इस प्रकार है :-

वर्ष	दसवीं कक्षा (%)	बारहवीं कक्षा (%)
1991-92	99.70	95.40
1992-93	99.80	87.60
1993-94	99.80	90.70

(ख) इस प्रतिशतता में ज्यादा कमी नहीं आई है।

(ग) और (घ). विशेष रूप से, कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय देकर परीक्षा परिणामों को कम से कम 90 प्रतिशत के स्तर से ऊपर रखने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

वादी के रूप में सरकार

2186. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री नीतीश कुमार :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1994 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने मुकदमे लंबित थे, जिनमें सरकार को वादी बनाया गया;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय में 1.4.1994 को लगभग 13594 मामले लंबित थे जिनमें भारत संघ वादी था। प्रश्न के शेष भाग की बाबत जानकारी किसी केन्द्रीय स्थान पर नहीं रखी जाती।

(ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और यथासंभव शीघ्र उससे निपटने के लिए तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4.12.1993 को हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया जिसमें न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक कदम उठाने की सिफारिश की गई है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तत्पश्चात्, ग्रामीण मुकदमे-बाजी प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामले और वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित उपर्युक्त संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर और विचार करने के लिए विधि मंत्रियों के तीन कार्यकारी समूहों की बैठक हुई। दिसंबर, 1993 संकल्प के कार्यान्वयन और कार्यकारी समूहों द्वारा की गई सिफारिशों का विधि मंत्रियों ने नवम्बर, 1994 में कलकत्ता में हुए अपने खुले अधिवेशन में पुनर्विलोकन किया। अधिवेशन में अंगीकृत किए गए संकल्प की एक प्रति विवरण रूप में संलग्न है।

विवरण

विधि मंत्रियों की बैठक, 1994

कलकत्ता संकल्प

प्रस्तावना

1. न्यायालयों और अधिकरणों में बकाया मामलों के विषय पर 4 दिसंबर, 1994 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा अंगीकृत संकल्प के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और ग्रामीण मुकदमेबाजी, प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामलों और वैकल्पिक विवाद समाधान के संबंध में उक्त संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशों को और विस्तृत करने के लिए भी 17 नवंबर, 1994 को कलकत्ता में विधि मंत्रियों की बैठक हुई थी। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री एम.एम. अहमदी और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने विशेष अभिभाषण दिए।

2. विधि मंत्रियों ने, विधि मंत्रियों के कार्यकारी समूहों में जिन्होंने मुम्बई (6 अक्तूबर, 1994), चंडीगढ़ (31 अक्तूबर, 1994) और नई दिल्ली (5 नवंबर, 1994) में बैठकें की थी, किए गए कार्य के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प का कार्यान्वयन

3. विधि मंत्रियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प को सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उक्त संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशें स्वीकार कर ली है। विधि मंत्रियों ने डाक एल एम एम/94/सं. 4 की भी समीक्षा की जिसमें मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शित करने वाला विवरण दिया गया था। इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और न्यायपालिका ने उक्त संकल्प में अंतर्विष्ट कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, विधि मंत्रियों ने यह टिप्पणी की कि इस संबंध में की गई प्रगति पूर्णतया संतोषजनक नहीं है उन्होंने युक्तियुक्त समय के भीतर सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह विचार किया कि संकल्प में अंतर्विष्ट सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मार्ग में वित्तीय या अन्य रुकावटों को न आने दिया जाए। उन्होंने सभी संबद्ध व्यक्तियों से उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के मामले में पूरा सहयोग देने का आह्वान किया। विधि मंत्रियों ने यह आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारें, भारत के योजना आयोग द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई रकमों का उपयोग करेगी।

वैकल्पिक विवाद समाधान

4. विधि मंत्रियों ने यह स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने विवादियों द्वारा वैकल्पिक तरीकों अर्थात माध्यस्थम, बीच बचाव, सुलह और बातचीत जैसे उपायों द्वारा अपने विवादों का समाधान करने की वांछनीयता पर जोर दिया क्योंकि वे प्रक्रिया में नमनीयता का उपबंध करते हैं, और मूल्यवान समय तथा धन की बचत करते हैं और पारंपरिक विचारण के भार से बचते हैं।

5. विधि मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया कि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 का इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विचार से तालमेल नहीं रह गया है और माध्यस्थम् पर व्यापक विधि बनाई जाए जो अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम विषयक यू एन सी आई टी आर ए एल माडल विधि पर आधारित हो। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि उक्त विधि में सुलह संबंधी उपबंध भी सम्मिलित किए जाएं जो यू एन सी आई टी आर ए एल के सुलह नियमों पर प्रतिरूपणित हों। विधि मंत्रियों ने सिफारिश की कि नई विधि अंतर्राष्ट्रीय और देशीय दोनों माध्यस्थम् और सुलह को लागू होनी चाहिए।

ग्रामीण–मुकदमेबाजी

6. विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि न्यायालयों में इस समय लंबित मामलों का एक बड़ा भाग मुकदमेबाजी का है और उन्होंने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने ग्रामीण मुकदमेबाजी के कम खर्चीले और शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से न्यायिक प्रणाली के पुर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका सामान्यतया यह विचार था कि ग्रामीण मुकदमेबाजी के निपटारे के लिए न्याय पंचायतें कारगर साधन सिद्ध नहीं हुई हैं।

7. इस बात पर आम सहमती थी कि पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने पर न्यायालय, ग्रामीण मुकदमेबाजी से प्रभावी रूप से निपट सकेंगे। विधि मंत्रियों ने इस बाबत कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई पायलट प्रोजेक्ट स्कीम पर ध्यान दिया जिसने चुनिंदा जिलों में, एक वर्ष की अवधि के भीतर, लगभग पचास प्रतिशत मामलों को निपटाया है। इस स्कीम की सराहना करते हुए विधि मंत्रियों ने अन्य राज्यों में कर्नाटक मॉडल को अपनाए जाने की सिफारिश की। विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने वैसी ही स्कीमें अपने राज्यों में आरंभ की हैं।

8. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि ग्रामीण मुकदमेबाजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयासों की पूर्ति लोक अदालतों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। इस बात पन संतोष व्यक्त करते हुए कि लोक अदालतों को शीघ्र ही कानूनी प्रास्थिति प्रदान की जाएगी, विधि मंत्रियों ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को शीघ्र प्रवृत्त किए जाने को आसान बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की सिफारिश की। विधि मंत्रियों ने इस पर भी ध्यान दिया कि पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में परंपरागत और रूढ़िगत परिषदें इन राज्यों की जनता को कम खर्चीला और शीघ्र न्याय दिला रही हैं।

9. विधि मंत्रियों ने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने हिमाचल प्रदेश में सुलह न्यायालयों के पैटर्न की सराहना की थी और यह विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही अन्य राज्यों में ऐसे न्यायालय गठित किए जाएंगे।

10. विधि मंत्रियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र विद्यमान हैं और सिफारिश की कि ऐसे केन्द्र अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाने चाहिए।

11. विधि मंत्रियों ने मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की उस सिफारिश का स्मरण कराया जिससे कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की बाबत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों का, ऐसे मामलों की पहचान करके, जिनको निपटाने की उन्हें संहिता के अधीन शक्ति दी गई है, उपयोग किया जाए और इस बात पर बल दिया कि ऐसे मजिस्ट्रेटों का नियुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

12. विधि मंत्रियों ने यह भी महसूस किया कि ऐसे प्रवर्गों के आपराधिक मामलों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए जो लंबे समय तक लंबित रहने के कारण वापस किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में विधि मंत्रियों ने न्यायालयों में सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के संबंध में उपर्युक्त विनिश्चय करने के प्रयोजन से

कुछ राज्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ मुख्य सचिव, विधि सचिव और प्रशासनिक सचिव से मिलकर बनी समितियों का गठन किए जाने पर विचार करने की सिफारिश की। मंत्रियों ने महसूस किया कि तुच्छ मुकदमेबाजी से, जिसमें सरकार पक्षकार हो, बचने की दृष्टि से नए सिरे से प्रयास किए जाएं।

13. विधि मंत्रियों ने और ध्यान दिया कि प्रक्रिया और साक्ष्य की विधियों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक अधिकरण

14. विधि मंत्रियों ने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प में इस बात पर विचार किया गया था कि उनमें की गई सिफारिशों को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, प्रशासनिक अधिकरणों को भी लागू किया जाए और सरकार उन अधिकरणों में बकाया मामलों से संबंधित समस्याओं पर विचार करें। उन्होंने विशिष्ट रूप से, उक्त संकल्प की उन सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिनमें अन्य बातों के साथ ऐसी समय-सीमा नियत करने, जिसके भीतर अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए, प्रत्येक अधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या का आवधिक पुनर्विलोकन करने, केवल आपवादिक परिस्थितियों में स्थगनादेश देने, मौखिक बहस के लिए समय-सीमा नियत करने, संक्षिप्त में निर्णय देने की आवश्यकता, मामलों को समूहबद्ध करने, अधिकरणों के लिए आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था करने, पुराने मामलों को पूर्विकता देने और आरक्षित निर्णयों को युक्तियुक्त समय के भीतर सुनाए जाने की आवश्यकता की सिफारिशें की गई थी।

15. विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकारी समूह ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है। उन्होंने डाक सं. एल एम एम (डब्ल्यू. जी-8)/94/3 में अंतर्विष्ट प्रशासनिक अधिकरण के कार्यकरण के पुनर्विलोकन विषयक कार्य पत्र पर विचार किया।

16. विधि मंत्री इस बात पर सहमत थे कि प्रशासनिक अधिकरणों की बाबत मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प की सिफारिशों की यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि इन अधिकरणों में रिक्त पदों को अविलंब भरा जाना चाहिए। ताकि बकाया मामलों में वृद्धि न हो सके।

17. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल उचित रूप से अधिक अवधि के लिए होना चाहिए और इस संबंध में विभिन्न अधिनियमितियों के उपबंधों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

18. विधि मंत्रियों ने इस पर भी बल दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि अधिकरण के सदस्यों के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो अन्य बातों के साथ मामलों पर कार्यवाही करने की अपेक्षित योग्यता, उचित वैयक्तिक आचरण तथा नैतिक व्यवहार, दृढ़ता और निर्भीकता रखते हों।

19. विधि मंत्रियों की यह भी राय थी कि सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बीच तथा दो पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बीच विवादों को न्यायालय या अधिकरण में नहीं ले जाना चाहिए और ऐसे विवादों को पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से निपटाया जाना चाहिए।

20. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति का प्रधान, केन्द्रीय स्तर पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती और राज्य स्तर पर संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य-न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती होना चाहिए और ऐसी चयन समिति का स्थायी निकाय होना चाहिए।

21. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अधिकरणों पर प्रशासनिक नियंत्रण एक ही मंत्रालय/विभाग को न्यस्त किया जाना चाहिए।

22. विधि मंत्रियों की यह भी राय थी कि प्रशासनिक निकायों द्वारा पारित आदेश सदैव आख्यापक आदेश होने चाहिए ताकि अधिकरण इस बात का मूल्यांकन कर सकें कि प्राधिकारियों ने अपने विनिश्चय करने में, वास्तव में, किस बात को महत्व दिया है।

23. विधि मंत्रियों ने कलकत्ता में वर्तमान खुला अधिवेशन आयोजित करने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने और उसे सफल बनाने में किए गए सभी प्रयासों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

कंपनी पंजीयक

2187. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से इक्विटी आधारित कंपनियों में दस गुनी वृद्धि के फलस्वरूप निवेशकर्ताओं और कंपनियों के बीच विवादों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कंपनी पंजीयक प्रणाली के कार्यकरण को कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जनता की शेयरधारिता में वृद्धि के फलस्वरूप निवेशकों की शिकायतों की संख्या में कई वर्षों से वृद्धि हुई है।

(ख) कंपनी कार्य विभाग में प्राप्त शिकायतों पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त मामलों में, कंपनी रजिस्ट्रारों को चूक करने वाली तथा अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी जाती है। कंपनी रजिस्ट्रार भी निवेशकों की शिकायतें सीधे ही प्राप्त कर रहे हैं और उनसे कहा गया है कि वे शिकायतों को प्राथमिकता दें।

[हिन्दी]

सुदूर संवदी उपग्रह

2188. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे उपग्रहों का निर्माण करने और सुदूर संवेदी उपग्रहों के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के लिए भारत-फ्रांस संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). जी, नहीं। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रेंच अंतरिक्ष एजेंसी (सी.एन.ई.एम.) के बीच 1993 में हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत शामिल सहयोग के क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोगों के लिए अभीष्ट उपग्रहों और बेलूनों में सहयोगी कार्यक्रमों का अध्ययन, उपग्रह संचार, उपग्रह सुदूर संवेदन और उपग्रह मौसम विज्ञान उपयोगों से संबद्ध अध्ययन, भू-केन्द्रों का प्रचालन और उपग्रह मिशनों का प्रबंध, प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययनों तथा संयुक्त कार्यकारी ग्रुपों में भाग लेने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों का आदान-प्रदान संबंधी कार्य शामिल हैं। इस सहयोगी करार के अंतर्गत विशिष्ट कार्यक्रमों पर समझौते की बातचीत विविध चरणों में है।

[अनुवाद]

आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र के लिए निधि

2189. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्यों को विशेष धनराशि उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग के पास आतंकवाद से प्रभावित राज्यों को विशेष निधियां उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर को केन्द्रीय सहायता संबंधी श्वेत पत्र

2190. **श्री चेतन पी.सी. चौहान :**
श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता और अनुदान के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी

2191. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी (एनआईआईटी) के क्रियाकलापों और इसके स्नातक, असोसिएट और अध्येता के लिए शुरू किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको स्वीकृति प्रदान की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए एन आर टी पी सी के अंतर्गत एनआईआईटी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने एन आई आई टी को उसके द्वारा निकाले गये विविध विज्ञापनों की प्रतियां भेजने के लिए कहा है ताकि अनुचित व्यापार

प्रथाओं से संबंधित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अनुसरण में उनकी जांच की जा सके। जहां तक एन आई आई टी के जी एन आई आई टी पाठ्यक्रम का संबंध है, आयोग ने जांच का नोटिस पहले ही जारी कर दिया है। चूंकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक न्यायिककल्प निकाय है, अतः मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

बर्फीली चट्टानों का गिरना

2192. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिकों ने राजमार्गों अथवा आबादी वाले क्षेत्रों में बर्फीली चट्टानों के गिरने को रोकने के लिए कोई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तकनीक का किन-किन क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। "बर्फीली चट्टाने" बड़े-बड़े खंडों के रूप में होती हैं जोकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले सघन बर्फीले ग्लेशियर से टूटकर बनती हैं। अधिक ऊंचाई वाले इन क्षेत्रों में राजमार्ग तथा आबादी वाले क्षेत्र नहीं हैं। तथापि, वैज्ञानिकों ने कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम स्खलन को रोकने के लिए तकनीकें विकसित कर ली हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गंदी बस्ती वासियों को मकान

2193. **श्री आर. अन्बारासु** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विश्व बैंक की सहायता से सभी महानगरों में विशेषकर मद्रास शहर में गंदी बस्ती वासियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). विश्व बैंक की सहायता से मद्रास सहित महानगरीय शहरों में स्लमवासियों को मकान मुहैया कराने के लिए कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी आवास का आवंटन

2194. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान वरीयता आधार पर और बिना बारी के/तदर्थ/प्राथमिकता के आधार पर टाइप-वार कितने सरकारी आवास आवंटित किए गए और इसकी तुलना में गत तीन वर्षों में कितने आवंटन किए गए;

(ख) निर्धारित अनुपात की अपेक्षा बिना बारी के/तदर्थ/प्राथमिकता आधार पर अधिक आवंटन किए जाने के क्या कारण है;

(ग) किन-किन सक्षम प्राधिकारियों ने इस तरह के आवंटन किए है;

(घ) इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) निर्धारित अनुपात का कड़ाई से पालन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). तदर्थ आबंटन, अनुपूरक नियमावली-317 बी-25 के प्रावधानों के तहत, शहरी विकास मंत्री/शहरी विकास राज्य मंत्री द्वारा मंजूर किए जाते हैं। अमुक और इसी तरह के अन्य आधारों पर बिना बारी के आबंटन हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होने के कारण प्रायः अपेक्षिक अनुपात सर्वथा बनाये रखना व्यवहार्य नहीं रहा है। फिर भी, अनुपात को बनाये रखने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। मांगी गयी अन्य सूचना संकलित की जा रही है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में बम विस्फोट

2195. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 1994 में अब तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर हुई बम विस्फोट की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ख) इस संबंध में हुई जांच के क्या परिणाम निकले और प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) इनमें से प्रत्येक घटना के लिए जिम्मेवारी लेने का दावा करने वाले उग्रवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दुर्घटना के शिकार अथवा इसमें मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हुए बम विस्फोटों/धमाकों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं;

	1991	1992	1993	1994 (30 नवम्बर तक)
घटनाएं	677	757	1005	1092
मारे गए				
सिविलियन	41	98	78	107
सुरक्षा बल	68	15	53	23
उग्रवादी	7	20	30	15
घायल हुए				
सिविलियन	551	683	719	1262
सुरक्षा बल	178	273	485	328
उग्रवादी	–	–	2	7

(ख) इस अवधि के दौरान आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में लिप्त होने के लिए जम्मू और कश्मीर में 7130 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) विभिन्न उग्रवादी गुटों, नामतः हिजबुल मुजाहिद्दीन, इखवान-उल-मुसलमीन, अल-उमर-मुजाहिद्दीन, जे.के.एल.एफ. हिजबुल्ला, हरकत-उल-अंसार, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन इत्यादि ने, समय-समय पर, विभिन्न विस्फोटों के लिए जिम्मेदार होने का दावा किया है।

(घ) उग्रवादी हिंसा में मारे गए निर्दोष सिविलियनों के निकटतम संबंधी को अनुग्रहपूर्वक राशि के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

सिविल सेवा परीक्षा

2196. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का एक प्रश्न पत्र अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस परीक्षा में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). कोठारी समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा की मौजूदा योजना के तहत, केवल मुख्य स्तर की परीक्षा के लिए अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र निर्धारित किया गया है और वह दसवीं के स्तर का है। इस प्रश्न-पत्र के अंकों की गणना अन्तिम रैंक के निर्धारण में भी नहीं की जाती अर्थात् यह प्रश्न-पत्र केवल अर्हक स्वरूप का है।

सिविल सेवा परीक्षा सहित संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को बनाये रखने अथवा समाप्त करने के प्रश्न की डा. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। इस संबंध में समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्रियों के विचार आमंत्रित किए गए हैं।

[अनुवाद]

सियाचिन में सैनिकों की दयनीय स्थिति

2197. डा. विश्वनाथम कैनिथी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियाचिन में प्रतिकूल मौसम के कारण प्रतिदिन मरने वाले सैनिकों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मरने वाले सैनिकों और अक्षम हुए सैनिकों या बीमारी के कारण ऊंचे स्थानों पर तैनात किए जाने के अयोग्य हुए सैनिकों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सैनिकों की मृत्यु दर में कमी लाने और उनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). सियाचिन में युद्ध और वहां की जलवायु संबंधी गंभीर स्थितियों-दोनों के कारण कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए हैं। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे देना सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(2) सियाचिन में कम से कम सैनिक हताहत हों, इसके लिए वहां के मौसम को विषमता से सैनिकों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(क) सियाचिन सहित बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने से पूर्व उनकी संपूर्ण डाक्टरी जांच की जाती है।

(ख) सैनिकों के सियाचिन पहुंचने से पहले उन्हें धीरे-धीरे विभिन्न ऊंचाइयों पर वहां की जलवायु का अभ्यस्त बनाया जाता है।

(ग) सैनिकों को पौष्टिक भोजन, वहां की जलवायु से बचाव के लिए संरक्षी कपड़े, चश्में, बूट आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) सैनिकों को बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीमारी से बचाव करने और बीमारी का शीघ्र पता लगाने से संबंधित स्वास्थ्य-शिक्षा दी जाती है। बीमार पड़ जाने की स्थिति में सैनिकों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी जाती है और आवश्यक होने पर उन्हें उपचार के लिए यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र वहां से अन्यत्र भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

2198. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने गुजरात में प्रतिवर्ष कितने सरकारी क्वार्टरों का निर्माण किया; और

(ख) इनमें से अब तक कितने क्वार्टर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क)

	1991-92	1992-93	1993-94
टाइप I	74	69	70
टाइप II	99	58	28
टाइप III	48	55	55
टाइप IV	9	-	37
टाइप V	8	-	18
	238	181	206

(ख) निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् क्वार्टर ग्राहक विभागों को सौंप दिये जाते हैं। आबंटन उनके द्वारा किया जाता है। साधारण पूल क्वार्टरों के मामले में, आवंटन के. लो. नि. वि. द्वारा किया जाता है। साधारण पूल वास के अंतर्गत सभी क्वार्टर आबंटित कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

परती भूमि विकास

2199. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुल कितनी हैक्टेयर परती भूमि को हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी हैक्टेयर परती भूमि को लाया जायेगा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र को कुल कितनी धनराशि दी है;

(घ) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) यदि कोई धनराशि शेष रह गई है, तो उसका उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) बंजरभूमि सहित भूमि पर वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों द्वारा 4.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है और 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी भूमि पर रोपण हेतु 3067.83 लाख बीजांकुर वितरित किया गया है।

(ख) 1994-95 के दौरान 1.36 लाख हैक्टेयर पर वनीकरण/वृक्षारोपण और निजीभूमि पर रोपण हेतु 838.72 लाख बीजांकुरों के वितरण का लक्ष्य 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

(ग) से (ङ). 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण के लिए महाराष्ट्र को 21,738.43 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई। जिसके मुकाबले में 21,930.74 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियां विभिन्न केन्द्र तथा राज्य योजनाओं जैसी समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं, स्वैच्छिक एजेंसी को अनुदान सहायता, प्रौद्योगिकी विकास तथा विस्तार, निवेश संवर्धन योजना, बंजरभूमि विकास कार्य बल, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जवाहर रोज़गार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, सामाजिक वानिकी, बागवानी से संबंधित रोजगार गारंटी योजना और सामाजिक वानिकी से संबंधित रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत की जाती है।

रिफ्रैक्टरी तथा सिरामिक एकक

2200. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी तथा सिरामिक एककों को बन्द कर देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है; और

(घ) कंपनी के राष्ट्रीयकरण से अब तक इसके रिफ्रैक्टरी तथा सिरामिक प्रभाग के कर्मचारियों के साथ मुकदमेबाजी में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड ने 1984 में अपने दो एककों-रानीगंज संख्या-2 कारखाने तथा दुर्गापुर कारखाने को बंद करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, इन दोनों एककों को बंद करने के लिए मार्च, 1984 में नोटिस जारी किया गया था। संबंधित एककों कामगार कलकत्ता उच्च न्यायालय में चले गए और उन्होंने इस संबंध में स्थगन ले लिया।

(ग) इन दोनों एककों के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम अपनाई है, उनकी संख्या इस प्रकार है;

अधिकारी	1
अन्य वर्ग	371

(घ) कंपनी से प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी के राष्ट्रीयकरण से, इसके रिफ्रेक्टरी तथा सिरामिक प्रभाग के कर्मचारियों के साथ मुकदमेबाजी, पर कुल 15.37 लाख रुपये की लागत आई है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जा

2201. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 तक भूतपूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व राज्यपालों भूतपूर्व सचिवों सहित विशिष्ट व्यक्तियों का कितने बंगलों अथवा फ्लैटों पर अवैध कब्जा है;

(ख) इन कब्जा धारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज तक कितने बंगले/फ्लैट खाली कराए गये;

(घ) शेष परिसरों को खाली कराने और प्रत्येक कब्जाधारी से देय राशि वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ङ) इस समय विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के. थुंगन) : (क) सामान्य पूल के 16 बंगले/फ्लैट्स पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व राज्यपालों और सचिवों सहित विशिष्ट व्यक्तियों के अवैध कब्जे में है।

(ख) इन दखलकारों के नाम तथा प्रत्येक के विरूद्ध बकाया धनराशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक सामान्य पूल के 28 बंगले/फ्लैट्स खाली करवाए गए हैं।

(घ) सभी मामलों में आबंटन रद्द कर दिए गए हैं और परिसरों को खाली करवाने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सभी संबंधित व्यक्तियों से बकाया सरकारी धनराशि जमा कराने का अनुरोध भी किया गया है।

(ङ) और (च). पूर्व सांसद डा. जे.के. जैन मामले में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सरकारी आवास खाली करने के लिए 04.01.95 तक का समय दिया है।

विवरण

पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व राज्यपालों और भारत सरकार के पूर्व सचिवों सहित विशिष्ट व्यक्तियों के अवैध कब्जे वाले बंगलों/फ्लैटों तथा 30.06.94 की स्थिति के अनुसार उनके विरुद्ध बकाया लाइसेंस के ब्यौरे

क्र.सं.	नाम	आवास	30.06.94 की स्थितिनुसार बकाया धनराशि
1	2	3	4
1.	श्री भीष्म नारायण सिंह	सी-1/1, पंडारा पार्क	- किराये की देनदारी अभी निर्धारित की जानी है।
2.	श्री के. सी. लेंका	5, बी. आर मेहता लेन	शून्य
3.	स्व. श्री दरबारा सिंह भू. पू. सांसद (रा. स.) का परिवार	9, के. एम. मार्ग	15,59,823.00
4.	पं. रविशंकर, भू. पू. सांसद	95, लोदी एस्टेट	2,81,658.00
5.	श्री एम. सी. भान्द्रे, भू. पू. सांसद	3, एम. एल. एन. मार्ग	53,686.00
6.	श्री एम. पदमनाभन, भू. पू. सांसद	7, रायसीना रोड	50,690.00

1	2	3	4
7.	डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, भू. पू. सांसद	5, सफदरजंग रोड	92,720.00 अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम मानक द्वारा बंगला अपने दखल में रखने का अनुरोध विचाराधीन।
8.	श्री कमल मोरारका, भू.पू. सांसद	12, तीन मूर्ति लेन	68,147.00
9.	श्री जे.के. जैन, भू.पू. सांसद	ए-बी-10, डा. जा. हु. मार्ग	शून्य
10.	स्व. श्री भाग्य गोवर्द्धन, भू. पू. सां. (लोक सभा) का परिवार	19, डा. बी.डी. मार्ग	1,20,449.00
11.	श्री एम.एम. अली खान	103-105, नार्थ एवेन्यू	3,00,177.00
12.	श्रीमती अमरजीत कौर, पत्नि-स्व. श्री भाई समीन्दर सिंह भू. पू. सांसद	बी-2, बी. के. एस. मार्ग	38,763.00
13.	श्री एस. पी. बाग्ला	सी-ii/33, तिलक मार्ग	15,296.00
14.	डा. के. एस. सिंह	सी-i/6, तिलक मार्ग	1,12,891.00
15.	श्री रविन्द्र नायक	6-3(एम. एस.) शाह रोड	1,97,661.00
16.	श्री एस. बी. रमेश बाबू	2-3 (एम. एस.) शाह रोड	1,38,323.00

जैव-प्रौद्योगिकी आविष्कारों में पेटेंट की भूमिका

2202. **डा. असीम बाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने "जैव-प्रौद्योगिकी आविष्कारों में पेटेंट की भूमिका" संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). "जैवप्रौद्योगिकी आविष्कारों को प्रोत्साहित करने में पेटेंटों तथा पेटेंट सूचना की भूमिका" संबंधी एक राष्ट्रीय सेमिनार औद्योगिक विकास विभाग के सहयोग से, बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा राष्ट्रसंघ की एक विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से 7-8 नवम्बर, 1994 के दौरान दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेमिनार को कुल 10 वक्ताओं, जिनमें 4 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिनियुक्त थे और 6 भारत के थे, ने संबोधित किया। लगभग 100 प्रतिभागी इस सेमिनार में उपस्थित थे जिनमें विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, वैज्ञानिक तथा उद्योग कार्मिक, पेटेंट अटार्नी, भारत के पेटेंट कार्यालय से विशेषज्ञ तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एक अधिकारी शामिल थे। सेमिनार से देश के वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा औद्योगिक समुदाय के बीच जैवप्रोद्योगिकी के विकास में बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दों की भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

(ग) और (घ). जैवप्रौद्योगिकी आविष्कारों में नए पेटेंटों के बारे में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से कोई बातचीत नहीं हुई है।

गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2203. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपलब्ध कराई गई धनराशि, की गई मांग के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार की जाती हैं, इन स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और इनकी मानीटरिंग संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जाती हैं।

चालू वर्ष 1994-95 में योजना आयोग को गुजरात सरकार से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अतिरिक्त निधियों हेतु कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अंतर्गत जांच हेतु मामले।

2204. **श्री तारा सिंह :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमति सिंह बरार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सितम्बर, 1994 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कुल कितने मामले दर्ज हुए;

(ख) गत दो वर्षों से कुल कितने मामले लंबित है;

(ग) क्या सरकार ने ब्यूरो के क्रियाकलाप को बेहतर बनाने हेतु इसका विस्तार किए जाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 1123.

(ख) 30.9.1994 की स्थिति के अनुसार जांच अधीन मामलों की संख्या 1380 है, जिनमें 174 ऐसे मामले शामिल हैं जिनका जांच कार्य दो वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

(ग) और (घ). जी, हां।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण को और सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न स्तर के कुल 354 नये पदों की मंजूरी दी है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय प्रतिनियुक्ति भत्ते में मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि करके, जो 1.5.94 से अधिकतम 500/-रुपये प्रतिमास होगा, प्रतिनियुक्ति की शर्तों में संशोधन किया गया है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विधि अधिकारियों के लिए जुलाई, 1994 में परिधान अनुरक्षण भत्ता बढ़ाए जाने के अतिरिक्त, परिधान भत्ते एवं न्यायालय भत्ते की मंजूरी दी गई।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए एक लाख रुपये तक अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान के रूप में अतिरिक्त बीमा राशि की मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निरीक्षक के स्तर तक के सभी कार्यकारी कार्मिकों को अवकाश के दिन/शनिवार/रविवार को कार्य करने के एवज में नकद राशि भत्ते की मंजूरी दी गई है जो मई, 1994 से एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन की सीमा तक दी जा सकेगी।

विवरण

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में हाल ही में सृजित पद

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	अपर निदेशक	1
2.	संयुक्त निदेशक	4
3.	उप-महा निरीक्षक	5
4.	पुलिस अधीक्षक	12
5.	पुलिस उप-अधीक्षक	36
6.	निरीक्षक	65
7.	सहायक उप-निरीक्षक	24
8.	हवलदार	54
9.	सिपाही	24
10.	वरिष्ठ लोक अभियोक्ता	11
11.	लोक अभियोक्ता	18
12.	सहायक लोक अभियोक्ता	27
13.	कार्यालय अध्यक्ष	1
14.	मुख्य लिपिक	6
15.	उच्च श्रेणी लिपिक	16
16.	अवर श्रेणी लिपिक	16
17.	आशुलिपिक ग्रेड "ख"	4
18.	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	5
19.	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	25
		354

ग्रामीण क्षेत्र के लिए आबंटन

2207. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए आबंटन धनराशि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(ग) इस राशि में वृद्धि से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). वर्तमान में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि आठवीं

पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में निर्दिष्ट है, आठवीं योजना अवधि के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। तथापि, प्रत्येक वर्ष के लिए योजना/बजट में वास्तविक प्रावधान पृथक रूप से किया जाएगा।

(ग) जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

आधारभूत संरचना के विकास हेतु विशेषज्ञों का पैनल

2206. **श्री शरत् पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास हेतु विशेषज्ञों का पैनल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नलकूप

2207. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष में विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र में नलकूप लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिना इन्डेन्ट की हुई औषधियों का बकाया

2208. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न औषधि निर्माताओं पर बिना इन्डेन्ट की हुई औषधि की बड़ी मात्रा में बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन बकाया औषधियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). अब तक 70 मामलों में 256.02 करोड़ रु. की देनदारियों की राशि का परिकलन किया गया है और औषध कंपनियों को बता दी गई है, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं। इनमें से लगभग 174 करोड़ रु. के अंतर्ग्रस्त मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन हैं। शेष देनदारियों में से 29 कंपनियों से 18.27 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई है। संदर्भित अवधि के दौरान सरकार ने अन्य चूककर्ता औषध कंपनियों के साथ भी मामला उठाया है और सरकार को, संगत जानकारी/आंकड़े देने के लिए इनकों 600 से भी ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। ताकि सरकार देनदारी, यदि कोई हों, का निर्धारिण कर सके। कुछ कंपनियों से आंशिक उत्तर प्राप्त हुए हैं और कुछ मामलों में, कंपनियों ने तर्क दिया है कि सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी उनके पास अब उपलब्ध नहीं है। चूककर्ता औषध कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत सरकार के पास अंतर्निहित शक्तियां है कि सरकार किसी भी स्रोत से स्वतः देनदारियों का निर्धारण कर सकती है।

माननीय प्रधान मंत्री के निदेश पर सरकार ने औषध कंपनियों के विरुद्ध निर्धारित देनदारियों से संबंधित सारे मामले की समीक्षा के लिए 21 मार्च, 1994 को एक तीन सदस्यी समिति का गठन किया है। समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

विवरण

क्र.सं.	उच्चतम न्यायालय मामले वाली कंपनी		(रु. लाखों में) देनदारी की राशि	जमा कराई गई राशि
1	2	3	4	5
1.	मै. सिनामिड (आई) लि.	अक्तू., 83 तक	490.47	100.00
	(डाईमिथाइलक्लोरो-टेट्रा साइक्लिन और सूत्रयोग)	1984-87	830.05	
		योग	1320.50	
2.	मै. हैक्सट इंडिया लि.	दिसं., 1983	2491.05	312.10
	(बरालगन टिटोन, पीएमपी क्रुसेमाइड, फेनीरेमाइन मैलिएट, ग्लिबेनक्लेमाइड, और सूत्रयोग)	तक		
		1984-87	5209.75	
		कुल योग	7780.80	

1	2	3	4	5
3.	मे. जोन वायथ और	दिसं. 83 तक	206.97	45.00
4.	मे. जोफ्रीमेनर्स (बेंजाथीन, पेन. और सूत्रयोग)	1984-87	299.95	
		योग	506.92	
5.	मे. मेरिंड (आई) लि.	दिसं. 83 तक	781.58	-
	(डेक्सामेथासोन एवं सूत्रयोग)	1984-87	1610.14	
		योग-	2391.72	-
6.	मे. फाइजर लि.	दिसं. 83 तक	87.61	43.80
	(आक्सीटेट्रासाइक्लिन एवं सूत्रयोग)			
7.	मे. फ्रेंको इंडिया और	दिसं. 83 तक	14.42	1.43
8.	मे. ग्रीफेन लैब्स,	1984-87	निर्धारित नहीं*	
	(फेनोक्सीमिथाइल पेन. टेब्लेट)	योग	14.42	
9.	मे. तमिलनाडु दाढा	दिसं. 83 तक	37.97	-
	(केल्सियम लेक्टेट)	1984-87	निर्धारित नहीं*	
		योग	37.97	
10.	मे. अनिल स्टार्च	दिसं. 83 तक	11.61	-
	(डेक्ट्रोज एनहाईड्रस)	1984-87	1.16	
		योग	12.77	
11.	मे. एस. जी. फार्मास्युटिकल्स	दिसं. 83 तक	205.36	
	(आक्सीफेनाबूटाजोन)	1984-87	निर्धारित नहीं*	
12.	मे. एथनोर लि. (टे)	योग	205.36	
13.	मे. एथनोस लि. (टेट्रामिसोल	दिसंबर, 83 तक	10.19	10.19
	एचसीएल-डीकेरीज टेब).	उप-योग (क)	12368.28	512.52
क्र.सं.	**पैरा 7 (2) के अंतर्गत वसूली**			
	रिफैम्पीसीन			
1.	मे. बायेकेम फार्मास्युटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	-
2.	मे. लायका लैब्स	4/79 से 3/84	57.57	5.70
3.	मे. एस्ट्रा आयडियल	82-83 से 5/84	24.11	2.41
4.	मे. माइक्रो लैब्स.	79-80 से 82/83	2.24	-
5.	मे. थेमिस केमीकल्स	82-83 से 83-84	36.31	-
6.	मे. एलेक्बिक केमीकल्स	81-82 से 83-84	38.73	3.80
7.	मे. बाम्बे ड्रग्स हाउस	80-81 से 83-84	1.73	-
8.	मे. फार्मड लि.	79-80 से 83-84	66.01	-
9.	मे. डोलफिन लैब्स	79 से 1983	18.11	-
10.	में. एल्बर्ट डेविड लि.	11/81 से 9/83	3.91	3.91
11.	मे. फार्मा. एंड केमीकल इंड.	80-81 से 82-83	87.99	
12.	मे. केडिला लैब्स	79-80 से 83-84	76.52	7.50
13.	मे. साराभाई केमीकल्स	82-83 से 83-84	4.14	2.00

*एन.ए.-निर्धारित नहीं.

1	2	3	4	5
14.	मे. ल्यूपिन लैब्स	8/80 से 3/84	215.89	21.60
15.	मे. रैनबक्सी लैब्स	4/79 से 6/84	36.23	3.63
16.	मे. बार्लेस फार्मास्युटिकल्स	4/82 से 2/84	2.82	0.29
17.	मे. एथीको ड्रग्स एंड केमी. कं.	5/82 से 3/84	140.98	–
18.	मे. आईडीपीएल	12/80 से 1/86	2.13	–
19.	मे. एच ए एल	81-82 से 83-84	36.66	–
20.	मे. मर्करी लैब्स	4/79 से 12/83	20.17	–
		उप-योग :	906.53	50.84
डिपराडेमोल				
21.	मे. जर्मन रिमेंडीज	4/79 से 7/84	59.95	59.95
जेंटामाइसिन				
22.	मे. फुलफोर्ड (आई) लि.	79-80 से 2/84	194.62	50.00
23.	मे. बायोकेम फार्मास्यु.	79-80 से 3/84	33.88	–
24.	मे. लाइका लैब्स	7/79 से 3/84	17.47	1.75
25.	मे. निकोलस लैब्स	79-80 से 3/84	53.03	10.00
		उप-योग :	299.00	62.75
सालबूटामोल				
26.	मे. खण्डेलवाल लैब्स	79-80 से 81-82	0.15	–
27.	मे. बीडल वेयर	4/79 से 3/83	142.74	–
सल्फामेथोक्साजोल				
28.	मे. बरोज वेल्कम	1979 से फर. 84	191.15	–
फ्ल्यूओसिनोलोन एसीटोनाइड.				
29.	मे. लाइका लैब्स	1979 से अग. 87	670.73	–
एथाम्बूटोल				
30.	मे. लाइका लैब्स	1.4.79 से 31.1.86	53.84	–
डैक्सामेथासोन				
31.	मे. वायेथ लैब्स	1.4.79 से 14.3. 84	90.05	–
क्लोफाजेमाइन				
32.	मे. एस. जी. फार्मास्यु.	4/79 से 3/83	5.01	–
एम्पीसीलिन एंड अमोक्सीलिन				
33.	मे. बायोकेम फार्मास्युटिकल्स.	79/80 से 83-84	11.80	–
आक्सीफेमाबूटाजोन				
34.	मे. टेबलेटस इंडिया लि.	79-80 से 83-84	9.49	–
मेट्रोनिडाजोल				
35.	मे. बूटस इंडिया लि.	79-80 से 8/87	62.17	62.17
36.	मे. एस.एस.पी.एल.	79-80 से 83-84	7.82	–
37.	मे. के.एस.डी.पी.एल.	79-80 से 83--84	5.50	–
38.	मे. खण्डेलवाल लैब्स	79-80 से 3/84	1.35	–
39.	मे. आई. डी. पी. एल.	79-80 से 3/84	20.33	–
		उप-योग (ख) :	97.16	62.17

1	2	3	4	5
ग. अन्य मामले.				
1.	मे. ग्लेक्सो इंडिया लि. (बीटामेथासोन एवं इसके लवण)	1981 से अग. 87	7178.00	819.00
2.	मे. साराभाई केमीकल्स (विटामिन. सी.)	विविध	20.00	20.00
3.	मे. सेंडोज इंडिया लि. (मल्टीविटामिन, सूत्रयोग)	1.4.86 से सित. 87	74.68	37.74
4.	मे. फाइजर (मल्टीविटामिन सूत्रयोग)	अप्रेल, 86 से दिसं. 88	98.00	49.00
5.	मे. पारके डेविस (मल्टीविटामिन सूत्रयोग)	8/83 से 8/87	1466.15	-
6.	मे. एबोट लैब्स (मल्टीविटामिन सूत्रयोग)	3/86 से 8/87	182.38	91.19
7.	मे. वार्नर हिन्दुस्तान (अब पारके डेविस) (आइसोकिन एंड पिरीडियम टैब्स)	1982 से 1986	106.36	55.49
8.	मे. बोराहिंगर नील (यूग्लूकोन टैब्स)	13.12.84 से 31.1.88	97.74	-
9.	मे. कैरूज (कम्बीफलेम टैब्स)	नवं. 86 से दिसं. 88	710.24	-
10.	मे. आई. डी. पी. एल. (आयातित प्रपुंज औषध)	1985-86 से 1987-88	336.45	-
11.	मे. करूपा ट्रेडर्स (रिफैक्पीसिन)	1989-90	20.48	-
12.	मे. आई. डी. पी. एल. (सल्फाडियामिडाइन)	8/87 से 11/87	37.30	-
13.	मे. ए. पी. केमीकल्स (पैरासीटामोल)	2/88 से 11/90	25.43	-
14.	मे. मलाडी ड्रग्स (एफीड्रीन)	4/88 से 3/90	116.30	-
15.	मे. ल्यूपिन लैब्स (रिफैल्पीसिन)	1988 से 1991	3.72	-
16.	मे. ल्यूपिन लैब्स. (इथाम्बूटोल)	1989 से 1990	17.31	-
17.	मे. फाइजर इंडिया लि. (प्रोटीनेक्स)	4/86 से 7/89	81.83	-
18.	मे. बायर इंडिया लि. (क्लारोगुइन फास्फट)	1979-80 से 1988	107.37	-
		उप-योग (ग) :	10679.74	1072.72
	कुलयोग (क, ख, ग) :	25601.87	1827.50	

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गुजरात में चलाए जा रहे औद्योगिक एकक

2209. **श्री के. प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायेजित/चलाए जा रहे औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में आयोग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने सहकारी और गैर-सरकारी एककों को सहायता दी गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) गुजरात में किए जा रहे खादी और ग्रामोद्योग कार्यकलापों में खादी (सूती, ऊनी और रेशमी) तथा ग्रामोद्योगों में ग्राम्य पोटरी, हस्त निर्मित कागज बेंत और बांस, घानी तेल, बेंत और गुड़ खांडसारी, पामगुड़, अनाजों और दालों का प्रसंस्करण, नीओसोप, कुटीर चमड़ा, बढ़ईगीरी और लोहारगीरी, बायोगैस, पालीवस्त्र, फाइबर, अगरबत्ती, मधुमक्खी पालन, इलैक्ट्रानिक्स इत्यादि शामिल हैं। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में 39 संस्थायें खादी के उत्पादन में लगी हुई हैं और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 87 संस्थायें ग्रामोद्योगों के विकास में लगी हैं।

अपने नियमित कार्यक्रम के अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग 50 पिछड़े जिलों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। पहले चरण में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए 16 जिलों में से बनासकंठा को चुना गया है।

125 पिछड़े ब्लोकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब तक चुने गये 71 ब्लाकों में से 6 ब्लाक अर्थात 1. धरमपुर (वलसाड़), 2. पालसाना (सूरत), 3. जसदान (राजकोट), 4. मेगराज (साबरकंठा), 5. सावर कुंडला (भावनगर) और 6. देसाडा (सुरेन्द्रनगर) गुजरात में हैं।

(ख) गुजरात में खादी और ग्रामोद्योग कार्यकलाप जो अधिकतर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं, के अधीन पिछले तीन वर्षों के लिए उत्पादन, बिक्री, रोजगार और आय संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(उत्पादन, बिक्री और आय-रु. लाख में)

(रोजगार : लाख व्यक्ति)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	रोजगार	आय
1991-92				
खादी	2726.17	3320.82	0.53	1464.45
ग्रामोद्योग	7306.75	6250.24	0.37	1314.94
1992-93				
खादी	2892.15	3466.89	0.53	1531.19
ग्रामोद्योग	7466.32	6311.70	0.38	1414.30
1993-94				
खादी	3183.82	3873.70	0.56	1719.99
ग्रामोद्योग	6264.39	6836.83	0.32	1596.94

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए गुजरात राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये लाभान्वित होने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	संस्थाएं	लाभान्वित व्यक्ति
1	2	3
1991-92		
खादी	194	-
ग्रामोद्योग	839	6243
1992-93		
खादी	213	-
ग्रामोद्योग	786	6308
1993-94		
खादी	225	-
ग्रामोद्योग	825	9010

मंत्रियों का दौरा

2210. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान उद्योग राज्य मंत्रियों ने देश के अंदर और विदेशों में अलग-अलग कितने दिन दौरों पर गए;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक ऐसे दौरे पर कितनी राशि खर्च हुई;

(घ) क्या इसके लिए खर्च का वहन केन्द्र सरकार के बजट से किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का स्त्रोत क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 (1.4.94 से 30.11.94) के दौरान राज्य मंत्री (औ. वि. और भा. उ.) देश के भीतर 75 दिन तक और देश के बाहर 16 दिन तक दौरे पर रहे थे। इसी प्रकार राज्य मंत्री (ल. उ. एवं कृ. ग्रा. उ) देश के भीतर 114 दिन तक और देश के बाहर 14 दिन तक दौरे पर रहे थे।

(ख) से (ङ). दौरों के ब्यौरें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1994-95 (1.4.91 से 30.11.94) के दौरान राज्य मंत्री (औ.वि. और भा.उ.) और राज्य मंत्री (ल.उ. एवं कृ.ग्रा.उ.) द्वारा किए गए दौरों के ब्यौरों

राज्य मंत्री (औ.वि. और भा. उ.)

क्र.सं.	दौरे का स्थान	दौरे की तारीख	किया गया खर्च (रु.)	धनराशि का स्रोत
1	2	3	4	5
1.	पटना-भागलपुर-बेगूसराय	31.3.94 से 4.4.94	रु. 6,936/-	केन्द्रीय सरकार का बजट
2.	तेहरान (ईरान)	10.4.94 से 13.4.94	रु. 39,540/-	-वही-
3.	बंगलोर	23.4.94 से 24.4.94	रु. 9,624/-	-वही-
4.	पटना	27.4.94 से 1.5.94	रु. 5,188/-	-वही-
5.	पटना-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर	6.5.94 से 8.5.94	रु. 5,188/-	-वही-
6.	पटना	13.5.94	रु. 4,682/-	-वही-
7.	लंडल-स्टोकोलम-गोटटेनबर्ग	24.5.94 से 27.5.94	रु. 81,491/-	-वही-
8.	पटना-मोकामा-बरिहिया	6.6.94 से 8.6.94	रु. 5,188/-	-वही-
9.	पटना	16.6.94	रु. 2,594/-	-वही-
10.	अहमदाबाद	18.6.94	रु 4,379/-	-वही-
11.	बंबई-कोयम्बतूर-त्रिचुर-कोटी-मैसूर-बंगलौर	20.6.94 से 23.6.94	रु. 11,928/-	-वही-
12.	पटना-बरिडिया-मुजफ्फरपुर	25.6.94 से 28.6.94	रु. 4,802/-	-वही-
13.	पटना	12.8.94 से 13.8.94	रु. 5,188/-	-वही-
14.	पटना-हथिडाह-बरिहिया-सूरजगढ़-बेगूसराय	28.8.94 से 2.9.94	रु. 5,188/-	-वही-
15.	पटना-बरभिधा-सेखपुरा-सिंकंदरा-हल्सी	6.9.94 से 9.9.94	रु. 5,188/-	-वही-
16.	हैदराबाद-हनमकोंडा	11.9.94	रु. 9,633/-	-वही-
17.	कलकत्ता-गुवाहाटी	13.9.94 से 15.9.94	रु. 12,646/-	-वही-
18.	मद्रास-तिरुपति	19.9.94 से 21.9.94	रु. 12,598/-	-वही-
19.	पटना	23.9.94 से 25.9.94	रु. 5,269/-	-वही-
20.	पटना-जोसिडिह-देवघर-मधुपुर	30.9.94 से 5.10.94	रु. 5,398/-	-वही-
21.	इंडोनेशिया-मलेशिया और सिंगापुर	17.10.94 से 24.10.94	रु. 42,195/-	-वही-
22.	पटना	1.11.94 से 4.11.94	रु. 5,308/-	-वही-
23.	पटना	6.11.94 से 9.11.94	रु. 5,338/-	-वही-
24.	पटना	16.11.94 से 17.11.94	रु. 5,278/-	-वही-
25.	कलकत्ता-सुल्तानगंज-भागलपुर-माकनपुर-रांची	19.11.94 से 22.11.94	रु. 8,265/-	-वही-
26.	पटना-बरिहिया-सूरजगढ़-लखीसराय-सदाइबिधा-घिरोधंद-रामगढ़-सिंकदरा-शेखपुरा-बाराबिधा।	25.11.94 से 29.11.94	रु. 5,338/-	-वही-

राज्य मंत्री (ल. उ. एवं कु. ग्रा. उ.)

क्र.सं.	दौरे का स्थान	दौरे की तारीख	किया गया खर्च (रु.)	धनराशि का स्रोत
1	2	3	4	5
1.	भूवनेश्वर	1.4.94 से 2.4.94	रु. 6,928/-	केन्द्रीय सरकार का बजट
2.	मद्रास-त्रिवेंद्रम-टेंकामी-तूटीकोरिन-अकेमकोविल-पापनासम	9.4.94 से 12.4.94	रु. 28,842/-	-वही-
3.	मद्रास-पांडिचेरी-कोयम्बतूर-पोलरचि-बंबई	14.4.94 से 16.4.94	रु. 11,820/-	-वही-
4.	मद्रास	24.4.94 से 25.4.94	रु. 9,725/-	-वही-
5.	बंबई-त्रिवेंद्रम-टेंकासी	30.4.94 से 1.5.94	रु. 14,045/-	-वही-
6.	गोवा	7.5.94	रु. 7,803/-	-वही-
7.	चंडीगढ़ (गाडी से)	8.5.94	रु. 30/-	-वही-
8.	मद्रास-बंबई	14.5.94 से 16.5.94	रु. 11,916/-	-वही-
9.	मद्रास-सेलम-ईरोड़-मदुराई-त्रिवेन्द्रम	19.5.94 से 25.5.94	रु. 13,616/-	-वही-
10.	मद्रास-मदुराई-कोयम्बतूर	28.5.94 से 4.6.94	रु. 12,306/	-वही-
11.	मद्रास-त्रिवेंद्रम-टेंकासी	16.6.94 से 20.6.94	रु. 12,286/-	-वही-
12.	लंडन-स्टोकहोल्म-उमीआ	5.6.94 से 10.6.94	रु. 83,916/-	-वही-
13.	मद्रास-मदुराई-टेंकासी-त्रिवेंद्रम	25.6.94 से 30.6.94	रु. 15,989/-	-वही-
14.	मद्रास-मदुराई-त्रिवेंद्रम	9.7.94 से 10.7.94	रु. 12,205/-	-वही-
15.	हैदराबाद-महबूबनगर-मद्रास	17.7.94 से 18.7.94	रु. 10,942रु-	-वही-
16.	दौसा	21.7.94	रु. -	-वही-
17.	मद्रास	23.7.94	रु. 10,270/-	-वही-
18.	मद्रास-मदुराई-टेंकासी-त्रिवेंद्रम	29.7.94 से 1.8.94	रु. 18,215/-	-वही-
19.	मद्रास	7.8.94 से 8.8.94	रु. 11,931/-	-वही-
20.	बंबई-मदुराई-टेंकासी-मद्रास	12.8.94 से 16.8.94	रु. 13,361/-	-वही-
21.	मद्रास	20.8.94 से 21.8.94	रु. 10,818/-	-वही-
22.	मद्रास-ईरोड-कोयम्बतूर-बंगलौर-टेंकासी	26.8.94 से 3.9.94	रु. 13,564/-	-वही-
23.	कलकत्ता-मद्रास-मदुराई-पांडिचेरी-दिंडीगुल-कुम्भुम-त्रिवेंद्रम-बंबई	7.9.94 से 12.9.94	रु. 22,098/-	-वही-
24.	मद्रास	17.9.94 से 18.9.94	रु. 8,996/-	-वही-
25.	लुधियाना	19.9.94	रु. 669/-	-वही-
26.	मद्रास	20.9.94	रु. 12,838/-	-वही-
27.	बंबई-त्रिवेंद्रम-कोचीन-मद्रास-मदुराई	22.9.94 से 25.9.94	रु. 35,313/-	-वही-
28.	कलकत्ता	27.9.94	रु. 5,493/-	-वही-
29.	मद्रास-त्रिवेंद्रम-कोचीन-टेंकासी-तिरुनेलवेली-मदुराई	29.9.94 से 2.10.94	रु. 15,534/-	-वही-
30.	मद्रास-त्रिवेंद्रम	7.10.94 से 9.10.94	रु. 15,629/-	-वही-

1	2	3	4	5
31.	मद्रास-बंबई	26.10.94 से 27.10.94	रु. 15,565/-	केन्द्रीय सरकार का बजट
32.	लंडन-ईस्तानकुल	18.10.94 से 25.10.94	रु. 1,15,300/-	-वही-
33.	मद्रास-मदुराई-टेंकासी-मुंबई	29.10.94 से 31.10.94	रु. 11,888/-	-वही-
34.	मद्रास-त्रिवेंद्रम-टेंकासी-मदुराई	5.11.94 से 9.11.94	रु. 15,738/-	-वही-
35.	बंबई-त्रिवेंद्रम-मदुराई-कोयम्बतूर	12.11.94 से 15.11.94	रु. 15,324/-	-वही-
36.	मद्रास-बंगलौर-बंबई	19.11.94 से 22.11.94	रु. 13,886/-	-वही-
37.	बंगलौर-मद्रास	27.11.94	रु. 12,263/-	-वही-
38.	गोवा-कुडल	30.11.94	रु. 10,837/-	-वही-

[हिन्दी]

धन का अन्यत्र उपयोग

2211. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, यह सच है कि देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में गैर-योजनागत कार्यों के लिए धन का उपयोग करने के कारण विकास योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान विकास योजनाओं तथा गैर योजनागत कार्यों पर किए गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). राज्य के योजना परिव्ययों में गैर-योजना व्यय को पूरा करने के पश्चात् राज्य के अपने निजी संसाधन तथा केन्द्रीय योजना सहायता सहित केन्द्रीय सहयोग शामिल होता है, अनुमोदित तथा संशोधित अनुमोदित, परिव्यय, जो भी हो, राज्य सरकारों के साथ परामर्श से योजना आयोग द्वार तय किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश सहित, कुछ राज्यों के मामले में वर्ष 1993-94 में संशोधित अनुमोदित परिव्ययों में मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों की अपेक्षा कमी मुख्यता राज्य के अपने संसाधनों में गिरावट के कारण हुई है, विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में संसाधनों में उनके गैर-योजना अंतर को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता को दूसरे कामों में लगाने की अनुमति दी गई है।

(ग) तथा (घ). इस संबंध में किसी प्रकार के नए दिशा-निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार के स्वैच्छिक संगठन

2212. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित बिहार के कौन-कौन से गैर-सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों को बिहार में विकास कार्यों के लिए अनुदान दिया जा रहा है और यह अनुदान कब से दिया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संगठनों को दिये गये अनुदान के उचित उपयोग के संबंध में कुछ प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). दिल्ली स्थित बिहार के स्वयंसेवी संगठनों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कापार्ट (लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा संस्वीकृत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कांपार्ट द्वारा ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की सहायता सितम्बर, 1986 जब से कापार्ट अस्तित्व आया, से दी जा रही है।

(ग) कापार्ट के पास परियोजनाओं की निगरानी हेतु एक प्रणाली है। इसने विभिन्न अनुभवी लोगों का मानिटर के रूप में पैनल बनाया है। परियोजनायें स्वीकृत किये जाने के उपरांत निधियां उपयुक्त किश्तों में रिलीज की जाती है। पहली किश्त रिलीज किये जाने के पश्चात् स्वयंसेवी एजेंसी को उचित समयावधि के अंदर निर्धारित प्रोफोर्मा में प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। सामान्यतया इस चरण में सभी परियोजनाओं की निगरानी रखी जाती है। मानिटर की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना के कार्यान्वयन में यदि कोई विचलन

पाया जाता है तो एजेंसी को उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु सलाह दी जाती है। स्वयंसेवी एजेंसी से मार्गदर्शिकाओं के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के बारे आश्वासन मिलने के पश्चात् दूसरी किश्त रिलीज की जाती है। इस तरह से स्वयंसेवी एजेंसी को संपूर्ण निधियां रिलीज की जाती है। परियोजना पूरी होने के पश्चात् एजेंसी अंतिम प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करती है।

विवरण

क्र.सं.	स्वयंसेवी संगठन का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सस्वीकृत राशि (रुपये)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सस्वीकृत राशि (रुपये)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	सस्वीकृत राशि (रुपये)
1.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी सहायता संघ	3	2,44,000	–	–	2	6,49,000
2.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सोसायटी	1	15,000	2	4,18,500	–	–
3.	बंजर भूमि विकास ऐसोसियेशन	1	2,47,000	1	2,47,000	–	–
4.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सामाजिक कल्याण ऐसोसियेशन	2	2,62,500	4	11,16,885	6	15,52,972
5.	अखिल भारतीय परिवार कल्याण परिषद	2	42,500	2	1,17,00	5	13,55,920
6.	अखिल भारत महिला ऐसोसियेशन	2	42,500	2	2,08,160	3	14,82,970
7.	प्राटन	–	–	1	2,59,542	1	33,755
	योग :	11	8,53,500	12	23,67,087	17	50,74,617

[अनुवाद]

विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता

2213. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते संबंधी प्रक्रिया को उदारवादी बनाकर औद्योगिक एवं व्यापार नीतियों में काफी परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सीधे विदेशी निवेश और निवेश के वास्तविक अंतर्वहन के बीच बहुत अंतर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित मानदंडों के अधीन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (अर्थात् औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उद्योग) में 51 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वतः मंजूरी देता है। इसी प्रकार, निर्धारित मानदंडों, अर्थात् । करोड़ रुपये तक एकमुश्त भुगतान, घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत रायल्टी के भीतर विदेशी तकनीकी सहयोग समझौतों के प्रस्तावों को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः स्वीकृत दी जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा विदेशी तकनीकी सहयोग समझौतों के अन्य प्रस्ताव अथवा दोनों के लिए प्रस्ताव, जो उपर्युक्त मानदंडों के बाहर हैं, हेतु स्वतः अनुमोदन देने के लिए सामान्य कार्य-प्रणाली के अधीन सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से लेकर अक्तूबर, 1994 तक विदेशी सहयोग के 5149 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन के मानदंडो के अधीन 2186 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल स्वीकृति प्रस्तावों में से, 23906.44 करोड़ रु. राशि के लिए 2544 प्रस्ताव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए हैं (इसमें यूरो-इश्यूज के जरिये 4551.09 करोड़ रु. की राशि जुटाना शामिल है)।

1991 से अक्तूबर, 1994 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अंतःप्रवाह 5033.51 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ). परियोजनाओं का कार्यान्वय और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अंतःप्रवाह परियोजनाओं की फ्लन अवधि पर निर्भर करता है जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना के लिए अलग-अलग होता है। पावर, ईंधन इत्यादि जैसी वृहत् परियोजनाओं की फ्लन अवधि ज्यादा है। वृहत् परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदित विदेशी निवेश और यूरो-इश्यूज के जरिये जुटाये जाने वाले विदेशी निवेश को छोड़कर अनुमोदन अन्तःप्रवाह अनुपात लगभग 2:1 होगा।

असुरक्षित सरकारी मकान

2214. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान "क्षतिग्रस्त" घोषित किए गए सरकारी क्वाटरों की टाइप-वार और क्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मरम्मत करके आवंटन हेतु स्वीकृत क्वाटरों की टाइप-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या कुछ क्वाटरों को क्षति ग्रस्त घोषित किया गया है और उनमें केन्द्रीय निर्माण विभाग के कर्मचारी अवैध रूप से रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क)

	टाइप-I	-	78 क्वार्टर
	टाइप-II	-	783 क्वार्टर
	टाइप-III	-	22 क्वार्टर
	टाइप-IV	-	2 क्वार्टर
	टाइप-V तथा इससे उपर दो बंगले।		
(ख)	टाइप-I	-	21 क्वार्टर
	टाइप-II	-	1 क्वार्टर
	टाइप-III	-	3 क्वार्टर
	टाइप-IV	-	1 क्वार्टर

(ग) और (घ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि क्षतिग्रस्त घोषित किये गये क्वार्टरों में से कुछ क्वार्टर अपने कर्मचारियों को उनके अपने जोखिम पर अस्थायी रूप से आवंटित किए गए हैं। इन अस्थायी आवंटियों से इन क्वार्टरों का लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।

कानपुर छावनी में पानी के टैंक

2215. **डा. लाल बहादुर राजल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कानपुर छावनी क्षेत्र में पानी के विभिन्न टैंकों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ टैंकों से काफी लम्बे समय से बहुत ज्यादा पानी लीक हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कानपुर छावनी क्षेत्र में सैन्य इंजीनियरी सेवा, तथा छावनी बोर्ड द्वारा निर्मित पानी के टैंकों पर 47.36 लाख रुपए खर्च हुए।

(ख) अप्रैल, 1994 में निक्षेप कार्य के रूप में जब उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर द्वारा निर्मित पानी के एक टैंक की जल वहन क्षमता का परीक्षण किया गया तो गुंबद में कुछ रिसाव दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम के प्राधिकारियों ने तुरंत ही इस टैंक के पानी के रिसाव का उपचार किया और अब पानी का यह टैंक संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

21 दिसम्बर, 1994 को होने वाली सदन की बैठक के लिए भारी जल

2216. **श्री लाल बाबू राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार ने भारी जल की क्या दर निर्धारित की है और दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : भारी पानी की कीमत पूंजीगत लागत, मूल निवेशों का लागत प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी खर्चों आदि को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की जाती है। उत्पादन लागत प्रत्येक संयंत्र के मामले में भिन्न-भिन्न होती है। विभिन्न भारी पानी संयंत्रों में उत्पादित भारी पानी को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और औसत दर निकाली जाती है। भारी पानी चूंकि एक सामरिक महत्व की साम्रगी है, इसलिए इसकी कीमत बताना जनहित में नहीं है।

उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाना

2217. **डा. एम.पी. यादव :**
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अधीन बंद पड़े उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु किसी योजना को शुरू करने एवं उन एककों में तुरंत उत्पादन शुरू कर देने का है;

(ख) क्या इन निगमों के अधीन एककों में मशीनों की संख्या बढ़ाने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के संबंध में भी कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के तहत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) दोनों को रुग्ण कंपनियां घोषित कर दिया है। बी आई एफ आर ने भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. (आई सी आई सी आई) को एच एफ सी और एफ सी आई दोनों के लिए प्रचालन अधिकरण नियुक्त किया है और वित्तीय तथा प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा प्रत्येक कंपनी के लिए एककवार पुनरुद्धार योजनाएं बी आई एफ आर को प्रस्तुत करने के लिए इसे निदेश दिया है। इन कंपनियों का पुनरुद्धार बी आई एफ आर जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा। इस बीच एच एफ सी और एफ सी आई को उनके संयंत्रों में प्रचालन जारी रखने के लिए सरकार इन कंपनियों की बजटीय सहायता प्रदान कर रही हैं। हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि चालू वर्ष के दौरान इन कंपनियों को 109.75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपने कुछ एककों में उत्पादन पुनः आरम्भ कर सके जो कि स्रोतों की कमी के कारण चल नहीं रहे थे।

[अनुवाद]

औद्योगिक मेथानॉल का मूल्य

2218. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या औद्योगिक मेथानॉल के मूल्य पिछले एक वर्ष से लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके मूल्यों में लगातार वृद्धि होने से डी.एम.टी. फार्मोलडीहाइड और प्लाईवुड और राल उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक मेथानॉल के मूल्यों में वृद्धि न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेथानाल की कीमत में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कीमतों में भी दर्शित होती है। यद्यपि प्लाइवुड उद्योग पर किसी दुष्प्रभाव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के रसायनों के लिए मेथानाल एक अंतरवस्तु है, अतः इसकी कीमत में वृद्धि का प्रभाव ऐसे रसायनों के उत्पादन की लागत में वृद्धि पर पड़ता है।

(घ) सरकार मेथानाल के संबंध में कीमत नियंत्रण लागू करने पर विचार नहीं कर रही है।

उर्वरकों का आयात

2219. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में उर्वरकों के आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है,

(ख) नवम्बर, 1994 के अन्त तक इसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी थी; और

(ग) अब तक कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1.3.1993 से रुपए की आंशिक परिवर्तनशीलता से देश में उर्वरकों के आयात के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) और (ग). यूरिया, डाई-अमोनिया फास्फेट, डी ए पी और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) ऐसे मुख्य उर्वरक हैं जो देश में आयात किए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान 14.58 लाख टन यूरिया और लगभग 7.32 लाख टन डी ए पी और 14.10 लाख टन एम ओ पी आयात किए गए थे। 14.45 लाख टन यूरिया के आयात पर सरकारी खाते से 673.32 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ। डी ए पी और एम ओ पी, जो असरणीबद्ध है, के आयातों के संबंध में मूल्य सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। तथापि, संदर्भाधीन अवधि के

दौरान द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित 2.71 लाख टन एम ओ पी पर 69.15 करोड़ रुपए की राशि की विदेशी मुद्रा व्यय की गयी है।

जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी नीति

2220. श्री बीर सिंह महतो : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) "शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था नीति" विषय पर मार्च, 1993 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) पूरी लागत वसूली का सिद्धांत अपनाना,

(2) जल आपूर्ति को उपयोगी सेवा माना जाए,

(3) लागत में कटौती,

(4) संबंधित संस्थाओं को शुल्क निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता देना,

(5) अलग वाणिज्यिक उपयोग का लेखा-जोखा रखना,

(6) बेहतर कार्य-पद्धति (ओ एण्ड एम) तथा बिना नाप तौल पानी उपयोग अंकुश लगाना

(7) संस्थागत प्रबंध,

(8) सरकारी/गैर सरकारी भागीदारी

(9) सामाजिक भागीदारी

(10) तैनात व्यक्तियों की कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण

(11) जल स्रोतों का प्रबंध

(12) गन्दे जल की पुनः सफाई और उपयोग

(ख) योजना आयोग ने 8 वीं योजना में शहरी जल तथा स्वच्छता प्रबंध हेतु 5757.28 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। इस राशि को राज्यों तथा संघ राज्यों के बीच बाबत् योजना आयोग द्वारा तैयार बांट-क्रम संलग्न विवरण में है।

(ग) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में शहरी जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध पर व्यय के राज्य तथा संघ राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

जल आपूर्ति एवं सफाई-प्रबंध सेक्टर
राज्य-वार नियत/खर्च राशि-1992-93 तथा 1993-94

(रुपये करोड़ में)

राज्य/ संघ राज्य		आठवीं योजना	1992-93	1993-94
		योजना आयोग द्वारा नियत	वास्तविक व्यय	संशोधित नियत तथा संभावित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	272.22	78.73	58.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.34	2.55	3.12
3.	आसाम	44.57	2.88	5.94
4.	बिहार	206.54	8.29	1.50
5.	गोवा	55.30	11.99	18.17
6.	गुजरात	91.00	27.47	75.35
7.	हरियाणा	114.00	10.79	12.53
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00	11.57	53.48
9.	जम्मू और कश्मीर	146.50	19.48	22.91
10.	कर्नाटक	290.00	67.98	62.02
11.	केरल	241.66	41.83	25.09
12.	मध्य प्रदेश	160.29	34.07	27.75
13.	महाराष्ट्र	908.57	92.18	166.15
14.	मणिपुर	40.00	3.31	5.30
15.	मेघालय	13.80	2.41	5.83
16.	मिजोरम	28.15	8.89	9.24
17.	नागालैण्ड	12.50	0.88	2.38
18.	उड़ीसा	51.66	11.95	13.65
19.	पंजाब	14.50	**	**
20.	राजस्थान	405.35	63.68	95.92
21.	सिक्किम	9.50	2.34	2.61
22.	तमिलनाडु	1042.00	229.67	209.41
23.	त्रिपुरा	15.00	1.79	9.86
24.	उत्तर प्रदेश	347.21	23.57	40.62
25.	पश्चिम बंगाल	84.00	0.76	9.11
	योग (राज्य)	4653.06	759.06	936.53

** राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल।

1	2	3	4	5
26.	अ. और निकोबर द्वीप समूह	3.45	0.40	0.41
27.	चण्डीगढ़	30.00	6.80	14.00
28.	दादर और नगर हवेली	1.75	0.00	0.11
29.	दमन और द्वीव	1.95	0.08	0.24
30.	दिल्ली	795.00	126.10	141.90
31.	लक्ष्य दीप	0.49	0.00	0.20
32.	पाडिचेरी	8.58	1.99	2.81
योग (संघ राज्य)		841.22	135.37	159.67
कुल योग		5494.28	894.43	1096.20

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.डी.ए.)

2221. **श्री शरत पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अतर्गत जमीन का नक्शा तैयार करने हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.डी.ए.) को सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। तथापि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के समन्वित स्थायी विकास मिशन कार्यक्रम और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत 80 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिलों के प्रत्येक खंड में जहां जमीन के नक्शे पहले से तैयार नहीं किए गए हैं वहां नक्शे बनाए जाएंगे और उनको जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सहित जिला प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

परती भूमि को उपजाऊ बनाना

2222. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-इस्राइल समझौते से परती भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इसको प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) प्रथम चरण में कितने हैक्टेयर परती भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा और यह भूमि किन-किन राज्यों में स्थित होगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (ग). बंजर भूमि विकास विभाग देश में बंजरभूमि के विकास के लिए विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों का पता लगा रहा है। नई प्रौद्योगिकियों में एक जोजोवा वृक्षारोपण द्वारा बंजर भूमि का विकास है। भारत के कुछ भागों में इस्राइल की तरह कृषि-जलवायु परिस्थिति है, जिसमें बंजर भूमि के विकास के लिए जोजोबा वृक्षारोपण का प्रयोजन है। बंजर भूमि विकास विभाग ने 1994 के दौरान राजस्थान में दौरान करने के लिए इस्राइल से विशेषज्ञों का दल बुलाया था। इन विशेषज्ञों के दल के दौरे के पश्चात् बंजरभूमि विकास विभाग इस्राइल की सुविज्ञता के लाभ द्वारा राजस्थान में एक या दो जोजोवा मॉडल फार्मों को स्थापित करने पर विचार-विमर्श कर रहा है। इन फार्मों के परिणाम के आधार पर देश में बृहत पैमाने पर जोजोवा प्रजाति के वृक्षारोपण के विस्तार की संभावना है।

विदेशी विधि फर्में

2223. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमरीकी कंपनियों सहित विदेशी विधि कंपनियों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). भारतीय विधिज्ञ परिषद ने बताया है कि उन्हें विदेश की किसी विधि फर्म से भारत में अपना शाखा खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विधि फर्म, मैसर्स बेकर एंड मैकेन्जी, वाशिंगटन, डी.सी.ने भारत में अपना कार्यालय स्थापित किए जाने के विषय में सरकार का मार्ग-दर्शन चाहा था। भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारत में विदेश की विधि फर्मों के स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञा देने के पक्ष में नहीं है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रिक ट्रॉली स्थापित किया जाना

2224. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का आंध्र प्रदेश में तिरूमला-तिरूपति पहाड़ियों पर देश की पहली इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस प्रणाली स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परियोजना की लागत इलेक्ट्रिक ट्राली बस प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी तथा परियोजना विनिर्देशनों पर निर्भर करेगी। परियोजना के कार्यान्वयन पर 2 से 3 वर्ष तक का समय लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

ट्राइसेम के अन्तर्गत सहायता

2225. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय युवकों के लिये स्वरोजगार के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) गत वर्ष विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या कितनी है और इस पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-I व II में दर्शायी गई है।

(ख) गत वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित युवाओं की राज्यवार संख्या, उन पर किया खर्च, संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

ट्राईसेम (आवर्ती खर्च)

(लाख रुपए में)

क्र.सं	राज्य/संघशासित क्षेत्र	कुल आवंटन	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	684.92	342.46	342.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.22	25.61	25.61
3.	असम	225.40	112.70	112.70
4.	बिहार	1274.48	637.24	637.24
5.	गोवा	11.66	5.83	5.83
6.	गुजरात	251.34	125.67	125.67
7.	हरियाणा	60.40	30.20	30.20
8.	हिमाचल प्रदेश	19.80	9.90	9.90
9.	जम्मू व कश्मीर	140.00	70.00	70.00
10.	कर्नाटक	459.84	229.92	229.92
11.	केरल	167.28	83.64	83.64
12.	मध्य प्रदेश	867.96	433.98	433.98
13.	महाराष्ट्र	746.64	373.32	373.32
14.	मणिपुर	36.94	18.47	18.47
15.	मेघालय	39.24	19.62	19.62
16.	मिजोरम	16.58	8.29	8.29
17.	नागालैंड	27.58	13.79	13.79
18.	उड़ीसा	555.72	277.86	277.86
19.	पंजाब	43.00	21.50	21.50
20.	राजस्थान	360.52	180.26	180.25
21.	सिक्किम	4.60.	2.30	2.30
22.	तमिलनाडु	619.24	309.62	309.62
23.	त्रिपुरा	52.68	26.34	26.34
24.	उत्तर प्रदेश	1669.12	834.56	834.56
25.	पश्चिम बंगाल	613.84	306.92	306.92
26.	अण्डमान व निकोबार	11.74	11.74	-
27.	दादर व नगर हवेली	2.48	2.48	-
28.	दमन व दीप	4.62	4.62	-
29.	लक्षद्वीप	1.16	1.16	-
30.	पांडिचेरी	5.00	5.00	-
	कुल	9025.00	4525.00	4500.00

विवरण II

ट्राईसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाना

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	कुल आवंटन	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	212.02	106.01	106.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.00	23.00	23.00
3.	असम	69.76	34.88	34.88
4.	बिहार	391.54	195.77	195.77
5.	गोवा	10.00	5.00	5.00
6.	गुजरात	77.80	38.90	38.90
7.	हरियाणा	18.70	9.35	9.35
8.	हिमाचल प्रदेश	10.00	5.00	5.00

1	2	3	4	5
9.	जम्मू व कश्मीर	25.40	12.70	12.70
10.	कर्नाटक	142.34	71.17	71.17
11.	केरल	51.78	25.89	25.89
12.	मध्य प्रदेश	252.98	126.49	126.49
13.	महाराष्ट्र	231.12	115.56	115.56
14.	मणिपुर	11.44	5.72	5.72
15.	मेघालय	12.14	6.07	6.07
16.	मिजोरम	10.00	5.00	5.00
17.	नागालैंड	10.00	5.00	5.00
18.	उड़ीसा	172.02	86.01	86.01
19.	पंजाब	13.32	6.66	6.66
20.	राजस्थान	111.60	55.80	55.80
21.	सिक्किम	10.00	5.00	5.00
22.	तमिलनाडु	191.70	95.85	95.85
23.	त्रिपुरा	16.30	8.15	8.15
24.	उत्तर प्रदेश	462.04	231.02	231.02
25.	पश्चिम बंगाल	190.00	95.00	95.00
26.	अण्डमान व निकोबार	5.00	5.00	–
27.	दादर व नगर हवेली	5.00	5.00	–
28.	दमन व दीव	5.00	5.00	–
29.	लक्षद्वीप	5.00	5.00	–
30.	पांडिचेरी	5.00	5.00	–
	कुल	2775.00	1400.00	1375.00

विवरण III

1993-94 के दौरान ट्राईसेम के अंतर्गत प्रगति

(लाख रुपए में)

क्र.म.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	किया गया खर्च
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18047	379.800
2.	अरुणाचल प्रदेश	886	22.520
3.	असम	9970	143.221
4.	बिहार	28566	472.830
5.	गोवा	275	34.390
6.	गुजरात	12037	283.780
7.	हरियाणा	6536	144.000
8.	हिमाचल प्रदेश	810	20.353
9.	जम्मू व कश्मीर	1469	41.060
10.	कर्नाटक	15171	416.256
11.	केरल	5549	247.290
12.	मध्य प्रदेश	54111	541.490
13.	महाराष्ट्र	23063	455.700
14.	मणिपुर	617	13.925
15.	मेघालय	358	10.780
16.	मिजोरम	1348	31.780
17.	नागालैंड	596	22.250
18.	उड़ीसा	9985	204.400
19.	पंजाब	3870	73.550
20.	राजस्थान	10813	109.780
21.	सिक्किम	184	1.060
22.	तमिलनाडु	16082	483.640
23.	त्रिपुरा	1689	20.683
24.	उत्तर प्रदेश	63649	1030.540
25.	पश्चिम बंगाल	17421	280.710
26.	अण्डमान व निकोबार	476	0.250
27.	दमन व द्वीव	30	2.720
28.	दादर व नगर हवेली	25	0.577
29	लक्षद्वीप	4	0.820
30.	पांडिचेरी	184	11.300
		303821	5501.54

[अनुवाद]

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

2226. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन के मामले को अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य फिर कब से आरम्भ किया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख). प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच आंबटित विद्यमान सीटों की संख्या पर प्रभाव

डाले बिना 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन के लिए उपबंध है, लोक सभा में विचार किए जाने के लिए लंबित है। इस बाबत आगे कार्रवाई, उक्त विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात् ही की जा सकती है।

अवैध इमारतों पर स्थगन आदेश

2227. **श्री जीवन शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 दिसम्बर 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में "एच सी वैकेटस ऑलस्टे आर्डसे ऑन इल्लीगल स्ट्रकचर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में निचली अदालतों द्वारा जारी किए गए स्थागनादेश खारिज हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

2228. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसकी परिकल्पना हाल ही में औषधि नीति में की गई थी, की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने इस निकाय को स्थापित करने का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस संबंध में सरकार का कितना वित्तीय योगदान है;

(ङ) इस निकाय के लिए विशेषज्ञों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है और

(च) उक्त निकाय की स्वायत्ता के लिए निर्धारित मार्गनिदेशों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च). राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) स्थापित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। तथापि, इसके प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

विधि सचिवों की बैठक

2229. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विधि सचिवों की कोई बैठक चण्डीगढ़ में हाल ही में सम्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाए किये गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विधि सचिवों और विधि मंत्रियों के कार्यकारी समूह की तारीख 29 से 31 अक्तूबर, 1994 के दौरान चंडीगढ़ में एक बैठक हुई। कार्यकारी समूह ने ग्रामीण मुकदमेबाजी के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

(ग) ग्रामीण जनता को कम खर्चीली विधिक सहायता प्रदान करने के लिए लोक अदालतें गठित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के लिए जूते उपलब्ध कराना

2230. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों के लिए बूट और जूते की खरीद के मामले में टैनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर में पूरी निर्माण क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) निजी क्षेत्र से इन मदों की घटिया किस्मों की आपूर्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या खरीद मूल्य गुणवत्ता आश्वासन के महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और भविष्य में इसकी सभी मदों को सरकारी क्षेत्र से प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सशस्त्र सेनाओं के लिए बूट आयुध उपस्कर निर्माणी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बाजार से खरीदे जाते हैं। आयुध उपस्कर निर्माणी की क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद ही बूटों और जूतों की खरीद के लिए आर्डर समय-समय पर लागू सरकारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न सप्लायरों को दिए जाते हैं। मौजूदा आदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसी प्रकार की मूल्य प्राथमिकता पाने के पात्र नहीं हैं परंतु यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेदित मूल्य न्यूनतम वैध मूल्य बोली के 10 प्रतिशत के अंतर्गत हों तो उस

स्थिति में संबंधित उपक्रम को खरीद के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है अर्थात् उस उपक्रम को न्यूनतम वैध बोली की दर पर सप्लाई करनी होगी।

सभी सामान गुणता आश्वासन एजेंसियों द्वारा विधिवत निरीक्षण करने के बाद खरीदा जाता है ताकि गुणता संबंधी विनिर्दिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

खरीद मूल्य का निर्धारण निविदा में भाग लेने वाली फर्मों द्वारा निवेदित प्रतियोगी दरों के आधार पर किया जाता है न कि गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा किए गए लागत-विश्लेषण के आधार पर । गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा किए जाने वाले लागत विश्लेषण में कच्चे माल के खरीद मूल्य, ऊपरी खर्चों, लाभ, वित्तपोषण प्रभरों, सामान रद्द किए जाने पर दिए जाने वाले भत्तों आदि, जोकि अलग-अलग फर्मों के मामले में अलग-अलग होते हैं, जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। अतः इस लागत को बूटों/जूतों का केवल निर्देशात्मक मूल्य माना जा सकता है।

सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाएं

2231. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ उनके संबंध के बारे में एक कार्य योजना को हाल ही में अंतिम रुप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) मार्च, 1994 को आयोजित सम्मेलन में स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकार के बीच सहयोगी संबंध के लिए कार्रवाई योजना का प्रधान मंत्री ने हाल ही में अनुमोदन कर दिया है।

(ख) कार्रवाई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच सभी स्तरों, अर्थात् जिला, राज्य क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारों जैसा सहयोगी संबंध होना चाहिए।
2. स्वैच्छिक संगठनों के दो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं: (एक) समाज में गरीब और प्रतिकूल स्थिति वाले लोगों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा जागरुकता और कर्त्तव्यनिष्ठा के माध्यम से एकजुट और संगठित करना; (दो) सरकारी सहायता अथवा अन्य स्रोतों से सहायता से विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वितरण सेवाएं उपलब्ध कराना।
3. सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों को एक साथ विकास के प्रतिरुप तैयार करने के लिए कार्य करना चाहिए जो कि लोगों को सदैव सर्वाधिक महत्व दें।
4. सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच गहन परस्पर सहयोग के लिए संस्थागत व्यवस्था केन्द्र से पंचायत स्तर तक स्थापित की जानी चाहिए।
5. सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच संबंध संचालित करने वाले विद्यमान नियम और विनियम सरल और आसान बनाए जांए।

(ग) कार्य योजना की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त तन्त्र स्थापित किया गया है। संयुक्त तन्त्र की प्रथम बैठक 2.12.1994 में हुई थी।

[हिन्दी]

गुजरात में भूकम्पीय वेधशाला

2232. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में भूकम्पों को देखते हुए एक आधुनिक भूकम्पीय वेधशाला की स्थापना करने और चलती-फिरती इकाइयों की तैनाती हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या उद्देश्य हासिल होगा तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारत मौसम विज्ञान विभाग भुज में एक स्थाई भूकंपीय वेधशाला परिचालित कर रहा है जबकि गुजरात इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई भूकंपीय वेधशालाओं की देख-रेख कर रहा है।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय के दौरे

2233. डा. राम चन्द्र डोम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कितने-कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गए;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्र सरकार के बजट से किया गया ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धन कहां से खर्च किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग). ग्रामीण विकास मंत्रालय में दोनों राज्य मंत्रियों द्वारा किये गए दौरों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I व विवरण-II में दिये गए हैं।

(घ) जी हां। कुछ मामलों को छोड़कर जहां परिवहन की सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण-I

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर के दौरों का विवरण

भाग-1 देश के भीतर दौरे

दिनांक	दौरे का स्थान	खर्च
31.3.94 से 1.4.94	पटना	4,176/-रुपये
8.4.94 से 10.4.94	बम्बई	11,092/-रुपये
14.4.94 से 16.4.94	हैदराबाद	5,948/-रुपये
11.4.94 से 12.4.94	पटना	4,176/-रुपये
13.4.94	अमृतसर	राज्य सरकार का प्रबंध
23.4.94	पटना	2,088/-रुपये
16.5.94 से 18.5.94	बेंगलौर, हैदराबाद, कलकत्ता	11,574/-रुपये
29.5.94 से 1.6.94	कलीमपौंग, दार्जिलिंग, पुर्निया	5,148/-रुपये
3.6.94 से 4.6.94	कलकत्ता	3,135/-रुपये
11.6.94 से 12.6.94	पटना-कलकत्ता	5,195/-रुपये
25.6.94 से 26.6.94	पटना	4,176/-रुपये
27.6.94 से 28.6.94	हैदराबाद-वारागल	5,348/-रुपये
1.7.94 से 2.7.94	बम्बई	5,546/-रुपये
6.7.94 से 7.7.94	पटना	4,176/-रुपये
22.7.94 से 23.7.94	पटना	4,176/-रुपये
30.8.94 से 2.9.94	पटना, लखनऊ, अमेठी	3,010/-रुपये
5.9.94 से 10.9.94	पटना, देवगढ़, दुमका, साहिलगज	3,445/-रुपये
15.9.94 से 19.9.94	मद्रास-गांधीधाम-तिरूपति	8.996/-रुपये
29.9.94	हैदराबाद	6,880/-रुपये
24.9.94 से 26.9.94	बम्बई-वरधा	7,634/-रुपये
29.9.94	हैदराबाद	6.880/-रुपये
1.10.94 से 3.10.94	पटना-भागलपुर-देवगढ़-मधुपुर	2,497/-रुपये
6.10.94 से 7.10.94	चण्डीगढ़-लुधियाना	पंजाब सरकार का वायुयान
14.10.94	बहादुरगढ़	कार द्वारा खर्च की गणना नहीं की गई
21.10.94 से 23.10.94	पटना	2,597/-रुपये
24.9.94 से 4.10.94	वलसाड	रेल द्वारा एच. ओ. आर. पर
12.10.94 से 17.10.94	वही	वही
22.10.94 से 24.10.94	लखनऊ	वही
19.10.94 से 7.11.94	वलसाड	वही
16.11.94 से 21.11.94	वही	वही
भाग -2 देश से बाहर दौरे	शून्य	

विवरण-II

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई एच. पटेल के दौरों का विवरण

भाग-1 देश के भीतर दौरे

दिनांक	दौरे का स्थान	खर्च
30.3.94 से 6.4.94	अहमदाबाद-वलसाड	1,939/-रुपये
7.4.94 से 9.4.94	मद्रास-पाडिचेरी-पोर्ट ब्लेयर-कलकत्ता	13,435/-रुपये
10.4.94	अहमदाबाद	3,878/-रुपये
14.4.94 से 17.4.94	कलकत्ता-अगरतला	7,380/-रुपये
29.4.94 से 1.5.94	वलसाड	रेल द्वारा एच.ओ.आर पर
16.5.94 से 18.5.94	रतलाम	वही
18.5.94	मुजफ्फरनगर	कार द्वारा खर्च की गणना नहीं की गई
20.5.94 से 30.5.94	वलसाड	रेल द्वारा एच.ओ. आर पर
2.6.94 से 5.6.94	कलकत्ता-दीमापुर-गुआहाटी	8,735/-रुपये
6.6.94 से 8.6.94	देहरादून	रेल द्वारा एच.ओ. आर. पर
18.6.94 से 22.6.94	वलसाड	वही
23.6.94 से 25.6.94	बागडोभरा-गंगटोक	6,120/-रुपये
29.6.94 से 1.7.94	कलकत्ता आईजवाल	8,718/-रुपये
5.7.94 से 9.7.94	त्रिवेन्द्रम-कोचीन-अगाती-कवाराटी कोचीन	9,967/-रुपये
2.7.94 से 4.7.94	वलसाड-बम्बई	रेल द्वारा एच. ओ. आर पर
19.7.94 से 21.7.94	कलकत्ता-इटानगर-बम्बई-वलसाड	11,555/-रुपये
17.7.94	अलीगढ़	कार द्वारा खर्च की गणना नहीं की गई
5.8.94 से 8.8.94	वलसाड	रेल द्वारा एच.ओ.आर.पर
26.8.94 से 5.9.94	वलसाड	वही
7.9.94 से 8.9.94	अहमदाबाद	4,476/-रुपये
12.9.94 से 17.9.94	हैदराबाद-बम्बई-वलसाड	5,402/-रुपये
23.9.94 से 24.9.94	बम्बई -सूरत	3,143/-रुपये
25.10.94 से 26.10.94	पटना-राजगीर	राज्य सरकार हैलिकाप्टर
7.11.94 से 9.11.94	बम्बई	इन्डियन एयर लाइन्स से अभी प्राप्त नहीं हुआ।
19.11.94 से 22.11.94	पटना-दरभंगा-समस्तीपुर मधुबनी-मुज्जफरपुर	वही
24.11.94 से 25.11.94	रांची	वही
भाग-2	**देश से बाहर के दौरे**	
20.6.94 से 22.6.94	काठमांडू	4,140/-रुपये

वसंत कुंज में स्ववित्त पोषित फ्लैटों का निर्माण

2234. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में वसंत कुंज के सेक्टर-सी, पोकेट-9 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्ववित्त पोषित फ्लैटों का निर्माण देर से तथा दोषयुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आवंटितियों को अधूरे बने फ्लैटों का कब्जा दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्हें वसन्त कुंज सेक्टर-सी, पोकेट-9 में एस.एफ.एस फ्लैटों के दोषपूर्ण निर्माण की जानकारी नहीं है, तथापि सामान्य कारणों यथा-सीमेन्ट और स्टील की कमी, क्षेत्र की विशिष्ट बनावट, कहीं-कहीं जमीन में पीलापन तथा गहरी खाइयों आदि के कारण निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने में भी कुछ विलम्ब हुआ।

(ग) और (घ). ये फ्लैट, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जुटायी जाने वाली बिजली सुविधा के अलावा अन्य सभी सुविधाओं से पूर्ण हैं। लेकिन फ्लैटों का कब्जा केवल उन्हीं आवंटियों को दिया गया है जिन्होंने बिना बिजली पानी के कब्जा लेने का लिखित अनुरोध किया है। डेसू से पाकेट में शेष विद्युतीकरण कार्य पूरा करने और प्रत्येक फ्लैट में अविलम्ब कनेक्शन देने का अनुरोध किया गया है। डेसू ने कहा है कि आवंटियों को मांग करने पर बिजली कनेक्शन तत्काल बिना कठिनाई के दिया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनाओं का विकास

2235. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास हेतु प्रतिवर्ष कुल कितना आबंटन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र को इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में शुरु की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास हेतु महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) योजना आयोग राज्यों के लिए इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट उप क्षेत्रवार आबंटन नहीं करता है। इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :

अवधि	परिव्यय
1994-95	140.6 करोड़ रुपए
आठवीं योजना	611 करोड़ रुपए

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय सरकार के परिव्यय से, अपनी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के स्रोतों से, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं।

(ग) इलेक्ट्रानिकी अनुप्रयोगों (चरण-I) के लिए उच्च शुद्धता वाले रसायनों, पॉलिमरों और प्रीकर्सरों पर मिशन मोड परियोजना इलेक्ट्रानिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मेट) की पुणे स्थित प्रयोगशाला में आठवीं योजना अवधि में शुरू करने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1993 तथा 1994 (अक्तूबर 1994 तक) के दौरान इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं के साथ-साथ घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्प्यूटर पेरीफरल, फैक्स मशीन, वीडियो कैसेट, कैसेट प्लेयर, सेमीकण्डक्टर युक्तियों, कम्पैक्ट डिस्क, क्वार्टज उत्पादों, रिकार्डिंग स्टूडियों के विनिर्माण के लिए विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड/ प्राधिकृत समिति द्वारा महाराष्ट्र राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के 22 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

2236. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के जांच विभाग ने विदेशी कोला कंपनियों के समझौतों का अध्ययन किया है तथा अप्रैल 1994 में आयोग में इस आशय की अपनी शिकायत दर्ज करायी हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रतिस्पर्द्धा में

रुकावट उत्पन्न कर रही है और इस प्रकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी नियमों तथा विनियमों का दुरुपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस प्रतिबंधात्मक धारा को कब तक हटा दिया जायेगा; और

(ग) इन कंपनियों के बीच उचित प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जी, हां। महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10(क) (III) के अन्तर्गत मैसर्स कोका कोला कंपनी यू.एस. ए. तथा मै., बृन्दावन एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध एक आवेदन दिनांक 18.4.94 को तथा पैप्सी कम्प. इन्स. (आई एन सी) एवं पैप्सी फूड्स लिमिटेड एवं आगरा बेवेरेग्स कार्पोरेशन लि. के विरुद्ध दूसरा आवेदन दिनांक 29.6.94 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये थे। माननीय आयोग ने उक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध पहले ही जांच के नोटिस जारी कर दिये हैं। चूंकि आयोग एक न्यायिककल्प निकाय है, अतः दोनों ही मामले न्यायाधीन हैं।

वेतन-ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

2237. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों में वेतन-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवेनश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों में वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे की समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है। इसकी युक्तिसंगति पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

केन्द्रीय भंडार

2238. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री 10 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2605 के (ग) से (ङ) और (ज) भागों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). उत्पाद शुल्क प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च, 1994 से पूर्व कपड़े धोने के साबुन पर कोई शुल्क नहीं लगता था तथा मार्च के महीने अर्थात संसद में वित्त विधेयक, 1994 प्रस्तुत किए जाने के बाद कपड़े धोने के साबुन पर 10 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाया गया। विद्युत सहायता के बिना बनाये गये कपड़े धोने के साबुन पर मई, 1994 से उत्पाद शुल्क हटा लिया गया तथापि इस अवधि के दौरान लघु उद्योग इकाईयों के अधीन निर्माताओं पर उत्पाद शुल्क लागू था तथा उन्हें रियायती दरों पर शुल्क देना था।

निर्धारित दरों के अनुसार मार्च-अप्रैल, 1994 के दौरान चूंकि मैसर्स मोती सोप फैक्टरी की कुल बिक्री 30 लाख रुपये से कम थी इसलिए उन्होंने कोई उत्पाद शुल्क नहीं दिया तथापि मैसर्स चर्खा डिटरजैण्ट एण्ड सोप एन्टरप्राइजेज (फरिश्ता) जो एक लघु उद्योग इकाई है, की कुल बिक्री 30 लाख रुपये से 75 लाख रुपये के बीच थी इसलिए उन्होने 5 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क दिया।

(ग) वित्त विधेयक, 1994 के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाने के कारण कीमतों में वृद्धि, जिसे सरकार द्वारा मई, 1994 में वापस ले लिया गया, के फलस्वरूप ली गई अतिरिक्त राशि को आपूर्तिकत्ताओं से वापिस ले लिया गया।

[हिन्दी]

विस्थापित काश्मीरियों की क्षतिपूर्ति

2239. **डा. जी.एल. कनोजिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में उन काश्मीरियों को मुआवजा दिया जा चुका है जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपनी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा है और शेष मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा;

(ख) वर्तमान में जम्मू में शरणार्थी कैम्पों में कितने तंबूओं की स्थापना की जा चुकी है और इन तंबूओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) शरणार्थी कैम्पों में खाने वाली समस्याएं क्या हैं जिनके निपटारे के लिए जम्मू उधमपुर, काठुआ और दिल्ली में विभिन्न शरणार्थी कैम्पों में रहने वाले विस्थापितों ने बार-बार सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(घ) उनकी सम्पत्ति उन्हें पुनः प्राप्त कराने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 16.11.1994 तक प्रवासियों के 1097 दावों का निपटान किया गया और रिहायशी मकानों को हुई क्षति के कारण अनुग्रह राहत के रूप में 5.26 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गयी।

इसके अतिरिक्त, 31.10.1994 तक संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के 5619 बीमा दावों का निपटान भी किया गया है। प्रवासियों के लम्बित दावों के त्वरित निपटान और प्रगति पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। शेष दावों को तेजी से निपटाने के लिए सभी सम्भव प्रयास कए जा रहे हैं।

(ख) जम्मू में लगभग 1,500 परिवार शिविरों में रह रहे हैं। राज्य सरकार, पुराने टेन्टों और /या आऊटर फलाईस को समय-समय पर बदलती रहती हैं। चालू वर्ष के दौरान, 500 टैन्ट और 200 आउटर फलाईस बदले गए।

(ग) प्रवासियों की समस्याओं, जिनमें अन्य के साथ-साथ राहत का समय पर वितरण, आवास, सफाई व्यवस्था, जल-आपूर्ति और शिविरों के हालात के बारे में प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा सांवधिक समीक्षा की जाती है और जहां तक सम्भव हो उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं।

(घ) उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उग्रवाद के खिलाफ ठोस अभियान चलाने और लोगों में विश्वास पैदा करने तथा ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रवासी, घाटी में अपने घरों को लौट सकें।

[अनुवाद]

यमुना पर पुल का निर्माण

2240. डा. परशुराम गंगवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निजामुद्दीन यमुना-पार पुल पर भीड़-भाड कम करने के लिए तथा नोएडा को जोड़ने हेतु नई दिल्ली में आश्रम के निकट यमुना पर प्रस्तावित पुल के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित सड़कों के विकास तथा रख-रखाव के लिये भारत सरकार जिम्मेवार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से अन्य सभी सड़कें मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। आश्रम के समीप यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर है। बनाओं, अपनाओ और बेच दो योजना के तहत यह कार्य दि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज को सौंपा गया है। संरेखण कार्य को अंतिम रुप दे दिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरा करने का लक्ष्य तारीख मार्च, 1995 है।

मिग-29 का अनुरुपक

2241. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैमानिकी विकास अभिकरण ने हाल ही में मिग-29 के संचालन और रख-रखाव हेतु अपना अनुरुपक बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुरुपको की निर्यात संभावनाओं का मूल्यांकन करने हेतु हाल ही में कोई बाजार सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रख-रखाव संबंधी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वायुसेना द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते वैमानिकी विकास एजेंसी ने मिग-29 वायुयान के लिए रख-रखाव संबंधी एक सिमुलेटर का विकास कर लिया है।

(ख) यह सिमुलेटर वैयक्तिक कंप्यूटर पर आधारित इंटर ऐक्टिव ग्राफिक्स डिसप्ले सिस्टम है, जिस पर मिग-29 वायुयान के रख-रखाव संबंधी आकड़े दिए गए हैं। इस प्रणाली का इस्तेमाल रख-रखाव से संबंधित कार्मिकों को कक्षा में अनुदेश देने तथा प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2242. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के फैलने से पूर्व के स्तर को बनाए रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तो वर्षों के दौरान इन वस्तुओं की सप्लाई के आंकड़े क्या हैं तथा घाटी में सामान्य स्थिति के दौरान इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). कश्मीर घाटी सहित जम्मू और कश्मीर को गेहूं, चावल और चीनी की आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है जिस स्तर पर राज्य में उग्रवाद के फैलने से पहली की जा रही थी, जैसा कि संलग्न विवरण I और II से पता चलता है।

विवरण-I

जम्मू और कश्मीर के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में गेहूं और चावल का वर्ष-वार आबंटन और खरीद

वर्ष	गेहूं		चावल	
	ए	ओ	ए	ओ
1987-88	1.54	0.90	3.22	2.31
1988-89	1.97	1.43	2.48	2.13
1989-90	2.55	1.10	2.80	2.40
1990-91	2.40	0.80	4.20	1.99
1991-92	2.36	1.30	4.59	2.74
1992-93	2.40	1.15	4.32	2.00
1993-94 (पी)	2.40	1.26	4.34	1.63
1994-95(पी) (अप्रैल -अक्तूबर)	2.00	0.75	3.00	0.87

ए — आबंटन
ओ — खरीद
पी — अस्थायी

विवरण-II

जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी की चीनी का आबटंन का विवरण

(टन)

माह	1991	1992	1993	1994
जनवरी	2884	3028	3028	3028
फरवरी	2884	3028	3028	3280
मार्च	2884	3028	3028	3280
अप्रैल	2884	3028	3028	3136
मई	2884	3028	3028	3136
जून	2884	3028	3028	3136
जुलाई	2884	3028	3028	3136
अगस्त	3028	3028	3028	3136
सितम्बर	3028	3028	3028	3136
अक्तूबर	3028	3028	3028	3136
नवम्बर	3028	3028	3028	3136
दिसम्बर	3028	3028	3028	3136

वर्ष	जम्मू और कश्मीर के लिए त्यौहार के लिए लेवी चीनी का कोटा
1991	868
1992	868
1993	868
1994	868

जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाला विदेशी शिष्टमंडल

2243. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री के. प्रधानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रचार तंत्र के लोगों को जम्मू और कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने हेतु वहां जाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उनकी क्या टिप्पणी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). विदेशी प्रचार तंत्र (मीडिया) के लोग बिना किसी प्रतिबंध के, स्वतंत्र और नियमित रुप से जम्मू व कश्मीर का दौरा करते रहे हैं। उनकी टिप्पणियों के बारे में सरकार कुछ नहीं कह सकती।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में रिक्त पद

2244. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों के रिक्त रहने की अवधि संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों के अंतर्गत सीधी भर्ती के पद और पदोन्नति पद आते हैं। सीधी भर्ती के पद प्रत्येक राज्य सरकार की मांग के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं। पदोन्नति कोटे में जब भी रिक्तियां होती हैं, पदोन्नति पद राज्य सेवाओं के पात्र उम्मीदवारों को लेकर भरे जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति स्थानांतरण, प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के कारण लघु अवधि के लिए होने वाली रिक्तियों की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

घरेलू सेवा क्षेत्र

2246. श्री अमल दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिये घरेलू सेवा क्षेत्र को और अधिक खोला जाना वर्जित कर दिया है;

(ख) क्या विदेशी कंपनियों के लिये इस सेवा क्षेत्र को अब तक पारस्परिक सुविधाओं के आधार पर ही खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :(क) से (ग). जुलाई, 1991 में संसद के दोनों सदनों में रखी गई नई औद्योगिक नीति में यह व्यवस्था है कि घरेलू तथा विदेशी उद्योग के बीच संबंध प्रौद्योगिकी तथा निवेश दोनों दृष्टिकोण से अतीत की अपेक्षा और अधिक गतिशीलता होनी चाहिए। नई औद्योगिक नीति, 1991 के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए परस्पर व्यवस्था की परिकल्पना नहीं है। सरकार ऐसी विदेशी निवेश का स्वागत करती है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में होती है और जो प्रौद्योगिकी उन्नयन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश, तकनीकी/प्रबंधकीय दक्षताओं में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की ओर भी प्रेरित करती है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक विशिष्ट मानदंडों के तहत नई औद्योगिक नीति के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इस समय 51प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी निवेश की स्वतः अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करता है। अन्य सभी प्रस्तावों पर सरकार सामान्य प्रक्रिया के तहत विचार एवं अनुमोदन प्रदान करती है। सरकार की विदेशी निवेश संबंधी नीति की निरंतर निगरानी की जाती है ताकि विदेशी निवेशकों की उचित आवश्यकताओं की ओर शीघ्रता से ध्यान दिया जा सके और इसे अन्तर्राष्ट्रीय रुप से प्रतियोगी बनाया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

2247. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1991 और मार्च, 1994 के बीच कम मूल्य के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पांच बार विनिवेश किए जाने के परिणामस्वरूप हुई अनुमानित हानि के सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट रिसर्च, बम्बई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को देखा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की हानियों से बचने के लिए विनिवेश की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में की जाने वाली विनिवेश की स्वीकृत प्रक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

2248. डा. अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में बागवानी के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कृषि भूमि परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत छूट की मांग करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) बागवानी के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित भूमि को कृष्य भूमि हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत छूट मांगने वाला कोई प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यस्थम संबंधी विधान

2249. श्री अंकुशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान मध्यस्थम कानून के स्थान पर एक व्यापक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). सरकार, माध्यस्थम पर व्यापक विधि के अधिनियमन के लिए एक प्रस्ताव पर, इस संबंध में अंतराष्ट्रीय विचारों को ध्यान में रखते हुए, विचार कर रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों का गिराया जाना

2250. श्री धर्मण्णा मॉडुया सादुल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत छ महीनों के दौरान अवैध कब्जों/निर्माणों को गिराने का कार्य शुरू किया था, जिसमें कई लोग मारे गये;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 1.6.94 से 30.11.94 तक अवधि के दौरान डीडीए द्वारा न्यू अशोक नगर, दिल्ली में 24.11.94 को की गई बड़ी तोड़-फोड़ (गिराने) की कार्रवाई में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्री का दौरा

2251. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदया कितने देश और विदेश के दौरे पर रहे, अलग-अलग बताएं;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या इन दौरों पर व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि किस स्त्रोत से खर्च की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री 58 दिन देश में तथा 29 दिन के लिए विदेश में दौरे पर थी।

(ख) देश के अन्दर मंत्री ने बंगलूर, मंगलूर, मुम्बई, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी आदि के 20 दौरे किए देश से बाहर उन्होंने 4 दौरे किए, जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(1) आस्ट्रेलिया-14.4.94 से 23.4.94 तक उप-राष्ट्रपति के शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में।

(2) यूनाइटेड किंगडम तथा स्वीडन-भारत को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई परियोजनाओं में समर्थन प्राप्ति के संबंध में ओ.डी.ए. प्राधिकारियों के साथ वार्ता के लिए 18.7.94 से 20.7.94 तक यू.के. का दौरा; तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सोसायटी (एस.आई.डी) की प्रबंध परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए 21 से 22 जुलाई, 1994 तक स्टॉकहोम का दौरा।

(3) संयुक्त राज्य अमरीका—अंतर्राष्ट्रीय विकास सोसायटी (एस.आई.डी.) की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेने तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्राधिकारियों आदि के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 6.10.94 से 13.10.94 तक संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा।

(4) बैंकाक (थाईलैण्ड)-इस्कैप (ई.एस.सी.ए.पी.) की एक उच्च स्तरीय पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए 24.11.94 से 26.11.94 तक बैंकाक का दौरा।

(ग) आंतरिक दौरो पर कुल 2,86,180/- रुपये तथा विदेश में दौरों पर 3,90,065/- रुपये व्यय हुए, इसमें आस्ट्रेलिया का दौरा शामिल नहीं है क्योंकि यह दौरा उप राष्ट्रपति के शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में किया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदिवासी लोगों को रोजगार

2252. श्री दत्ता मेघे : क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र के पर्वतीय/वन क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग में कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

"एडवांस वार्निंग सिस्टम"

2253. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए "एडवासं वार्निंग सिस्टम" चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस तरह की नियुक्तियां की गई;

(ग) क्या वरीयता का उल्लंघन करते हुए कुछ नियुक्तियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों की रिक्तियां होने से काफी पहले भरने की कार्रवाई आरंभ करने संबंधी समय-अनुसूची जुलाई, 1990 से ही निर्धारित कर दी गई है।

(ख) 1.4.1993 से 31.3.1994 के दौरान सरकार ने 69 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर 114 नियुक्तियों का अनुमोदन किया।

(ग) और (घ). बोर्ड स्तर की नियुक्तियां चयन के आधार पर होती हैं और ऐसी नियुक्तियों के लिए वरिष्ठता कोई मानदण्ड नहीं है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश व्यापारिक शिष्ट मंडल

2254. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ब्रिटिश व्यापारिक शिष्टमंडल ने नवंबर 1994 में भारत में ब्रिटिश निवेश के क्षेत्रों के बारे में वार्ता करने आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन से क्षेत्र हैं जहां निवेश किए जाने हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). भारत-ब्रिटेन साझेदारी की पहल करने के लिए ब्रिटिश टेक्नोलोजी वीक ईवेन्ट्स में भाग लेने के वास्ते नवम्बर, 1994 के दौरान ब्रिटेन के व्यापार तथा उद्योग मंत्री, श्री रिचर्ड नीधाम के नेतृत्व में 80 सदस्यों का एक व्यापार मंडल भारत आया था और इसने भारत में उपलब्ध निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकारी तथा औद्योगिक दोनों स्तरों पर चर्चाएं की थी। इन चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि बिजली उत्पादन, दूर संचार, इलेक्ट्रानिकी, बैंकिंग, आटो पुर्जे, सड़कें और पुल निर्माण, बागवानी, तकनीकी प्रशिक्षण, मूलभूत सुविधाओं के विकास, कोयले के खनन और जूट उद्योग के पुनरुज्जीवन आदि में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी।

[हिन्दी]

गुजरात में उर्वरक संयंत्र

2255. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ उर्वरक संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन संयंत्रों को बन्द किया गया है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन संयंत्रों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संयंत्रों को प्रदान की गई सुविधाओं/सहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात राज्य में कोई मुख्य उर्वरक एकक बन्द नहीं पड़ा है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार

2256. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर योजना भारत सरकार के दो प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में कुछेक जांच बिन्दु विद्यमान हैं। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तथाकथित भ्रष्टाचार के मामलों/शिकायतों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सुनवाई की जाती है जो आवश्यक जांच करती है और उस पर उचित कार्यवाही करती है। जहां तक जवाहर रोजगार योजना का संबंध है, भारत सरकार को जवाहर रोजगार कार्यक्रम की निधियों के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। तथापि, योजना के कार्यान्वयन में शामिल पंचायतों की संख्या को देखते हुए तुलनात्मक दृष्टि से ये शिकायतें बहुत कम हैं। जब कभी निधियों के दुरुपयोग की शिकायतें केन्द्र सरकार को प्राप्त होती हैं, इन्हें जांच और उचित कार्यवाही हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है ऐसी जांच पड़ताल के आधार पर कुछ राज्य सरकारों ने निधियों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/सरपंचों को निलम्बित किया है और उनके विरूद्ध दण्डात्मक मामले शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के निर्माण कार्यों की देखरेख, पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ग्राम पंचायतों को भी हिदायतें जारी की गई है कि वे प्रत्येक गांव के लिए सतर्कता समिति नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त, केन्द्र के अधिकारी विभिन्न राज्यों में विशिष्ट जिलों का दौरा करते हैं ताकि कार्यों की प्रगति का आकलन किया जा सके और साथ ही केन्द्र को प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जा सके।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों का निवेश योग्य धन

2257. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक उद्यम विभाग ने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी उपक्रमों के निवेश योग्य धन के लघु-अवधि हेतु निवेश की अब स्वयं निगरानी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु मार्गनिर्देश तैयार करने और निवेश पर निगरानी रखने के मामले में मंत्रालय को शक्ति प्रदान करने हेतु नीति संबंधी कोई मौलिक निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मार्गनिर्देश तैयार कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सरकार ने प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अतिरिक्त राशि के निवेश के संबंध में निर्णय लिए जाने हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों को भी इस संबंध में मार्ग-निर्देश तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कुछ मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि के निवेश के लिए मार्ग-निर्देश पहले ही तैयार कर लिए हैं जिसमें उनके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आवश्यक होगा कि वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक की अध्यक्षता में गठित निवेश समिति के माध्यम से ऐसे निर्णय लें जिसमें आंतरिक नियंत्रण क्षेत्रों का सही उपयोग हो और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा हो। सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मे में अपने निदेशक मंडल को निवेश के संबंध में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार

2258. डा. साक्षीजी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और

(घ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). रोजगार आठवें पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस उद्देश्य के अनुरूप सरकार बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार योजना आयोग के साथ परामर्श से एकीकृत ग्रामीण विकास तथा संबंधित कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना इत्यादि जैसी केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करती है।

(ग) और (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊपर उल्लिखित विशिष्ट ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को अब तक आवंटित तथा दी गई राशि उससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	1992-93			1993-94 (अनंतिम)			1994-95 (अनंतिम) सितंबर, 94		
	कुल आवंटन (लाख रु.)	दी गई राशि (केन्द्र+राज्य) (लाख रु.)	लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (लाख श्रम दिवस)	कुल आवंटन (लाख रु.)	दी गई राशि (केन्द्र+राज्य) (लाख रु.)	लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (लाख श्रम दिवस)	कुल आवंटन (लाख रु.)	दी गई राशि (केन्द्र+राज्य) (लाख रु.)	लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (लाख श्रम दिवस)
1. आईआर डीपी	13062.00	13807.48	387961*	20508.00	22091.32	445403*	20335.00	10167.50	138821
2. जे. आर. वाई.									
प्रथम चरण-	61016.78	58887.46	1496.29	59998.40	59028.58	1739.18	66041.76	56240.69	401.33
द्वितीय चरण	—	—	—	8335.00	8335.00	51.98	8335.00	2471.88	51.11
3. ईएएस	—	—	—	3507.81**	3507.81	15.00	6925.00**	6925.00	33.13

* परिवारों की संख्या

|| ई.ए.एस. : दी गई राशि, चूंकि ईएएस के अंतर्गत कोई राज्यवार अवंटन नहीं किए जाते।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स

2259. डा. असीम बाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स का संचालन निजी उद्यमियों के हाथ में सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका आधुनिकीकरण करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). इस मंत्रालय के अंतर्गत हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का संचालन किसी निजी उद्यमी को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से इसके पेनिसिलिन-जी संयंत्र का प्रौद्योगिक उत्थान करने के लिए एच. ए. एल. का एक प्रस्ताव है। प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम का मामला तीन कंपनियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 17467, 1994; संख्या 18235, 1994 तथा संख्या 18236, 1994 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

धनराशि का उपयोग

2260. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक विभिन्न ग्रामीण और शहरी रोजगार योजनाओं के लिए गुजरात को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार द्वारा इस धन का कब तक उपयोग किया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) महत्वपूर्ण ग्रामीण तथा शहरी रोजगार स्कीमों को आबंटित राशि और वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा उनका उपयोग का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान आबंटित राशियों के कम उपयोग के बारे में जो मुख्य कारण गुजरात सरकार ने बताए हैं, वे मजदूरों के पंजीकरण जैसे प्रारंभिग कार्यों में लगने वाला समय, परियोजनाओं हेतु उपयुक्त आधार तैयार करना और रोजगार आश्वासन स्कीम तथा वर्ष के मध्य में जवाहर रोजगार योजना-II आरंभ किया जाना है।

(ग) राज्य सरकार ने बताया कि अप्रयुक्त शेष राशियों का उपयोग चालू वर्ष (1994-95) के दौरान किए जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण तथा शहरी रोजगार स्कीमों को आबंटित धनराशि तथा उसका उपयोग

(लाख रु. में)

	1993-94		1994-95	
कार्यक्रम	आबंटन*	उपयोग	आबंटन	उपयोग@
आईआरडीपी	3090.00	3354.85	3063.00	1304.27
जेआरवाई				
प्रथम चरण	9037.55	10533.51	9947.86	3242.25
द्वितीय चरण	3887.50	1182.44	3887.50	1225.65
ईएस	606.25**	146.21	2425.00	131.72
एनआरवाई	354.19	359.90	410.67	104.98#

* केन्द्र तथा राज्यों का हिस्सा शामिल है।

** जारी निधियां

@ सितम्बर, 1994 तक उपयोग

30 नवम्बर, 1994 तक उपयोग।

स्वयंसेवी संगठन

2261. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियों में तेजी लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन संगठनों की गतिविधियों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकलापों की गति तेज करने के लिए व्यापक सरकारी नीति का आठवीं योजना में विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें जन संस्थाओं के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण पर और स्वैच्छिक क्षेत्रक की विपुल

संभावनाओं के उपयोग से विकास में लोगों को सक्रिय भागीदार बनाने पर विश्वास किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकार के बीच सहयोगी संबंध हेतु विचार-विमर्श तथा रूपात्मकता लाने के लिए मार्च, 1994 में स्वैच्छिक संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में तैयार कार्रवाई योजना का प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया है और कार्रवाई योजना की सिफारिशों के परिचालन हेतु एक संयुक्त मशीनरी का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना

2262. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु कितनी योजनाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्व-रोजगार मुहैया कराने के लिए एकमात्र योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए आय सृजन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। यह निर्धारित किया गया है कि कुल कवरेज का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का होना चाहिए।

(ख) और (ग). विगत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कुल संख्या और उपयोग की गयी राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या और अनुसूचित जातियों/जनजातियों द्वारा उपयोग की गयीसब्सिडी

	सहायता प्राप्त परिवारों की कुल संख्या (संख्या 000 में)	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/ जनजाति परिवारों की कुल संख्या (संख्या 000 में)	उपयोग की गयी कुल सब्सिडी (रुपये करोड़ में)	अनुसूचित जातियों/ जनजातियों, द्वारा उपयोग की गयी सब्सिडी (रुपये करोड़ में)
1991-92	2536.6	1296.1	657.7	381.2
1992-93	2068.8	1063.6	579.7	337.5
1993-94	2539.4	1345.7	800.8	462.3

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पद का वेतन प्राप्त करने की सुविधा

2263. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग में नियुक्त सरकारी कर्मचारी जो मंत्रियों के साथ निजी कर्मचारियों के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा अपने विभाग में नियुक्त पद से एक पद ऊपर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं उन्हें सामान्य नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पद वेतन प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे विकल्प की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रियों के विवेक पर मंत्रियों के निजी स्टाफ में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए ये अलग से निर्धारित नियमों द्वारा शासित होते हैं, न कि सामान्य प्रतिनियुक्ति के नियमों के द्वारा। इन कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की विशेष दरें स्वीकृत की गई हैं, जो सामान्य प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दरों से अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आणविक ऊर्जा

2264. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने आणविक ऊर्जा के संबंध में हाल ही में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में निकले निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने संयुक्त राज्य नाभिकीय नियामक आयोग (यू एस एन आर सी) के अध्यक्ष के निमंत्रण पर इस वर्ष अक्तूबर के अंत में नवम्बर के शुरू में संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया था। यह दौरा संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा सचिव की भारत यात्रा के दौरान उनके और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के बीच जुलाई, 1994 में। हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में किया गया था। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी यात्रा के दौरान नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में संयुक्त राज्य नाभिकीय नियामक आयोग (यू एस एन आर सी) के आयुक्तों और वरिष्ठ स्टाफ के साथ व्यापक चर्चा की थी। उन्होंने यू एस एन आर सी के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र और एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र का भी दौरा किया था। यह दौरा दोनों पक्षों के बीच आम मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और परस्पर लाभ अर्जित करने के वास्ते एक दूसरे के देश का दौरा करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया था। आशा है कि इस दौरे के जवाब में यू एस एन आर सी के अध्यक्ष फरवरी, 1995 में दौरे पर आएंगे।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

2265. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य एजेंसियों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की जांच की जानी थी और उन्हें बैंकों को भेजा जाना था। बैंको द्वारा आगे जांच के पश्चात कुछ मामलों को स्वीकृत किया गया, कुछ को रद्द किया गया और कुछेक अभी लम्बित हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त वर्ष 1993-94 की सूचना के अनुसार 3,38,491 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, 1,38,772 जिला उद्योग केन्द्र कार्यदलों द्वारा बैंकों को भेजे गए थे और 50,603 आवेदन पत्रों पर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए थे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्वरोजगार योजना का 1994-95 में प्रधानमंत्री की रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि यदि शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अभी भी कोई आवेदन पत्र लंबित हैं तो आवेदनों को प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की सलाह दी जाए।

[हिन्दी]

लघु एकक

2266. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्य-वार कितने लघु एकक कार्यरत पाये गये;

(ख) इन एककों में कुल कितनी धनराशि का पूंजी निवेश किया गया और उनमें कितने व्यक्ति सेवारत हैं;

(ग) क्या इन एककों में राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम अथवा राज्य वित्तीय संस्थाओं से धनराशि तथा विदेशी ऋण का निवेश किया गया है;

(घ) ऐसे कितने एकक हैं; जो अभी तक रूग्ण नहीं हुए हैं;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने एककों की स्थापना का लक्ष्य है; और

(च) इन एककों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) लघु इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यरत इकाइयों की राज्यवार संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु इकाइयों की कुल संख्या का अनुमान इस प्रकार है :-

(संख्या लाखों में)

वर्ष	पंजीकृत	अपंजीकृत	योग
1991-92	14.98	5.58	20.82
1992-93	16.48	5.98	22.46
1993-94	17.72	6.12	23.84

* लघु उद्योग एकक राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालय में पंजीकृत

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु एककों की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन एककों में निवेश का पता लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई गणना नहीं की गई है। संदर्भ वर्ष 1987-88 के अनुसार पंजीकृत लघु उद्योग एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार प्रति एकक औसत निवेश 1.60 लाख रुपये था (पुस्तक मूल्य) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग एककों द्वारा लगभग 139.38 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) रूग्ण लघु उद्योग एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं। मार्च, 1994 के अन्त में रूग्ण ग्राम्य और लघु उद्योग एककों की संख्या 2,56,452 थी।

(ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग एकक स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उत्पादन और रोजगार के बारे में योजनागत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(च) लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात की मात्रा संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे गए हैं। किन्तु पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात मूल्य के रूप में लघु औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	निर्यात का मूल्य	
1991-92	13883	
1992-93	17784	
1993-94	24149	(अनन्तिम)

विवरण

राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालयों में स्थायी आधार पर पंजीकृत सीडो एककों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिसम्बर के अंत में सीडो एककों की कुल संख्या			
		1991	1992	1993	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	आंध्र प्रदेश	93281	105528	111082	(अ)
2.	अरुणाचल प्रदेश	525	689	896	(अ)
3.	असम	12805	14354	15814	
4.	बिहार	76789	83263	87992	
5.	दिल्ली	26228	26936	27603	
6.	गोवा	5146	5355	5591	
7.	गुजरात	86220	95189	105283	
8.	हरियाणा	74360	80175	85169	
9.	हिमाचल प्रदेश	11653	12204	12740	
10.	जम्मू और कश्मीर	21677	27057	23980	(अ)
11.	कर्नाटक	80292	88513	96638	
12.	केरल	78420	85935	98918	
13.	मध्य प्रदेश	172545	201620	220356	
14.	महाराष्ट्र	59953	64148	66771	
15.	मणिपुर	4059	4308	4571	
16.	मेघालय	1368	1569	1660	
17.	मिजोरम	2478	2592	2633	
18.	नागालैण्ड	615	644	675	
19.	उड़ीसा	16004	16740	17257	
20.	पंजाब	124453	129163	132152	
21.	राजस्थान	62393	64686	66937	
22.	सिक्किम	209	224	245	(अ)
23.	तमिलनाडु	116940	137625	160527	
24.	त्रिपुरा	4967	5661	6604	
25.	उत्तर प्रदेश	217376	248207	268345	(अ)
26.	पश्चिम बंगाल	139878	141825	143293	
27.	अंडमान और निकोबार	795	851	914	
28.	चंडीगढ़	2765	2876	2973	
29.	दादर और नगर हवेली	282	306	344	
30.	दमन और दीव	385	430	505	
31.	लक्ष्यद्वीप	144	184	224	
32.	पांडिचेरी	3198	3528	3793	
	योग :	1498193	1648385	1772485	

अ-अनुमानित

[अनुवाद]

अमोनिया संयंत्र

2267. श्री पी.सी. चाको : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि. को 900 टन दैनिक क्षमता का एक नया अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इस संयंत्र की अनुमानित लागत में विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. की अमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापन परियोजना, जो उद्योगमंडल (कोचीन के समीप), केरल में कार्यान्वयनाधीन है, को 900 टन प्रतिदिन अमोनिया के उत्पादन की क्षमता के साथ सरकार ने मई, 1993 में अनुमोदित किया था। परियोजना पर 171.91 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घटक सहित 618.43 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

कानपुर छावनी द्वारा मजदूर संघों को भूमि

2268. डा. लाल बहादुर रावल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कानपुर छावनी क्षेत्र के समीप सैनिक क्षेत्रों के पास कतिपय मजदूर संघों को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य मजदूर संघों को भी वैसी भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). रक्षा मंत्रालय के 17 जनवरी, 1973 के पत्र संख्या 718/2/एल/एल एंड सी/72/88/रक्षा (भूमि) के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय रक्षा मजदूर संघ को वार्षिक किराए तथा किश्त के भुगतान के आधार पर सर्वे संख्या 573 में 10,199 वर्ग फुट भूमि आबंटित की गई थी। वर्ष 1983 में यह आबंटन बदल दिया गया और इस संघ को जी एल आर सर्वे संख्या 701 में से 10,450 वर्ग फुट भूमि आबंटित की गई। इस आबंटन में 1993 में और परिवर्तन किया गया तथा रक्षा मजदूर संघ को पहले आबंटित भूमि के स्थान पर कानपुर छावनी में जी एल आर सर्वे संख्या 520 में से 10,450 वर्ग फुट भूमि आबंटित की गई।

(ग) किसी ट्रेड यूनियन संगठन को रक्षा भूमि आबंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

2269. डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री सी.पी. मुडलागिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टाटा-सिंगापुर सहायता संघ को बंगलौर में स्थापना करने की स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) पार्क में सुविधाओं की मांग करने वाली ऐसी अन्य कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी कब तक स्थापना की जाएगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख). जी, हां। सरकार ने बंगलौर के व्हाइट फील्ड में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए टाटा इंडस्ट्रीज लि. (40 प्रतिशत), कर्नाटक सरकार (20 प्रतिशत) और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क निवेश प्रा. लिमिटेड (40 प्रतिशत), सिंगापुर की कंपनियों के एक संघ, के बीच एक नए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में विस्तार करने के इच्छुक संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(ग) इस पार्क की स्थापना से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, विश्वसनीय सेवाओं से युक्त स्थान में प्रचालन सुविधाएं स्थापित करने की सुविधा प्राप्त होगी। इस पार्क में स्थान के लिए चुने गए सम्भावित प्रयोगकर्ताओं में एटीएण्डटी, आईबीएम, टेक्सास, मोटोरोला, एचपी, पीएसआई बुल इलेक्सी, इण्टेल, डिजिटल आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं।

(घ) प्रोमोटरों ने परियोजना को दो चरणो में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। पहला चरण 3 वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है और दूसरा चरण तत्पश्चात एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कारोबार

2270. श्री सी.पी. मुडलागिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारोबार में 1992-93 और 1993-94 के दौरान काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उक्त अवधि के दौरान पर्याप्त लाभ अर्जित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कारोबार

तथा कर-पूर्व लाभ नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कारोबार	लाभ
91-92	3331	187
92-93	3508	309
93-94	3554	317

बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां

2271. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे सोनी, गोल्ड स्टार, इत्यादि ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरणों के आयात और उनके मूल्य के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों द्वारा वसूल किए जाने वाले मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख). इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी सोनी द्वारा प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। भारत में टीवी के विनिर्माण और बिक्री के साथ प्रारम्भिक कार्यकलाप वर्ष 1995 में शुरू हो जाएंगे। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी से और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिए सेवा पैकेज

2273. डा. कृपासिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकी सेवा पैकेज योजना शुरू की है;

(ख) क्या इन पैकेजों के अंतर्गत यंत्र कक्ष स्थापित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). सरकार, लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा सभी राज्यों में स्थित उनके शाखा संस्थानों के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित फील्ड स्टाफ के माध्यम से लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन में सहायता करती रहती है। चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र तथा उनके फील्ड स्टेशन कच्चे माल तथा साथ ही लघु उद्योग के उत्पादों के परीक्षण द्वारा लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी मदों हेतु लघु उद्योगों की औजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, सहायता करने हेतु औजार कक्ष भी स्थापित किए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा स्थापित किए गए औजार कक्ष तथा उनके स्थापना-स्थल निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	औजार कक्ष का नाम	स्थापना स्थल
1.	केन्द्रीय औजार कक्ष	लुधियाना
2.	केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र	कलकत्ता
3.	केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान	हैदराबाद
4.	हैंड टूल, डिजाइन डैवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सैंटर	नागपुर
5.	सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स	जालंधर
6.	इंडो जर्मन टूल रूम	अहमदाबाद
7.	इंडो जर्मन टूल रूम	औरंगाबाद
8.	इंडो जर्मन टूल रूम	इंदौर
9.	सैंट्रल टूल रूम ट्रेनिंग सैंटर (इंडो-डेनिश)	भुवनेश्वर
10.	सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सैंटर (इंडो-डेनिश)	जमशेदपुर

[हिन्दी]

राजस्थान में जवाहर रोजगार

2274. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि की सहायता दी गई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने सड़कों और प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने अब तक कितना काम पूरा किया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन और अब तक की गई रिलीजों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) व (ग). राजस्थान सरकार ने नवम्बर 1994 तक 6038.02 लाख रुपये के खर्च की सूचना दी है और 169.32 लाख श्रमदिनों के रोजगार का सृजन किया है। चालू वर्ष के दौरान कुल 21702 कार्यों को पूरा किया गया जिनमें 310 ग्रामीण सड़कें, 412 स्कूल भवन, 13722 इंदिरा आवास मकान, दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत 1702 खुले कुंए, 61 पंचायत घर, 92 लघु सिंचाई कार्य, 192 स्वच्छता शौचालय और 5211 अन्य कार्य शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन (1994-95) केन्द्र + राज्य	रिलीज केन्द्र + राज्य
1.	आंध्र प्रदेश	27099.96	21279.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	80.59
3.	असम	8921.21	7075.65
4.	बिहार	53155.56	43070.95
5.	गोवा	318.46	261.36
6.	गुजरात	9947.86	8354.69
7.	हरियाणा	2389.61	1792.13
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	861.49
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2250.00	1487.16
10.	कर्नाटक	18196.44	16220.11
11.	केरल	6620.11	6099.61
12.	मध्य प्रदेश	34339.59	26187.15
13.	महाराष्ट्र	29542.68	22634.50
14.	मणिपुर	413.36	310.01
15.	मेघालय	483.68	362.75
16.	मिजोरम	203.75	152.81
17.	नागालैंड	518.46	129.61
18.	उड़ीसा	21984.43	16976.64
19.	पंजाब	1699.28	1274.36
20.	राजस्थान	14266.86	11102.06
21.	सिक्किम	188.76	141.58
22.	तमिलनाडु	24497.94	19209.38
23.	त्रिपुरा	536.90	402.68
24.	उत्तर प्रदेश	66041.76	56240.69
25.	प. बंगाल	24285.53	19696.35
26.	अ.नि. द्वीप समूह	152.70	152.70
27.	दादर नगर हवेली	82.89	62.16
28.	दमन एवं द्वीप	48.83	12.19
29.	लक्षदीप	76.55	57.42
30.	पांडिचेरी	149.47	112.09
	योग	349872.39	281800.45

गुजरात में मतदाता सूची

2275. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात की मतदाता सूची से नाम हटाये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत में यह अभिकथित किया गया है कि एक विशिष्ट समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों से निकाल दिए गए हैं। सरकार ने शिकायत निर्वाचन आयोग को भेज दी है क्योंकि संविधान के अधीन, निर्वाचक नामावलियां तैयार करना, उनका अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण उसी में निहित है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय परियोजनाओं को छोड़ना/रद्द करना

2276. श्री सनत कुमार मंडल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की उन परियोजनाओं को छोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई है जिनमें कुल आबंटित व्यय के मात्र 5 प्रतिशत का उपयोग किया गया है और जिनकी निर्माण अवधि का 60 प्रतिशत पहले से ही पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें छोड़ दिया गया है, जिनका निजीकरण कर दिया गया है अथवा जिन्हें रद्द कर दिया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं में पहले ही किये गये पूंजी निवेश का क्या होगा और प्रत्येक के मामले में कितनी धनराशि को बट्टे खाते में रखा जायेगा;

(घ) प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन, सूक्ष्म समीक्षा, इनको पुनः प्राथमिकता देने तथा इन्हें मंजूरी देने के संबंध में निर्धारित मानदंडों की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ङ) आठवीं योजनावधि के अन्दर पूरी होने वाली परियोजनाओं को छोड़ने अथवा उनके निजीकरण से प्रभाव पड़ेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ). परियोजनाओं में विलम्ब और लागत वृद्धि के विभिन्न कारणों की एक छः सदस्य मंत्रालयीय समिति ने जांच की और परियोजनाओं के प्राथमिकीकरण के साथ-साथ उन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में देने के सुझाव दिये जो प्रभावी रूप से शुरू किये जाने में अयोग्य रहीं। समिति के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

हथियारों का जब्त किया जाना

2277. डा. जी.एल. कनोजिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा कर्मियों द्वारा उग्रवादियों से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1994 में अब तक कितने और कितनी किस्म के हथियार जब्त किये गये;

(ख) क्या जम्मू तथा कश्मीर में हाल ही में कुछ प्रख्यात राजनेताओं की हत्या करने और उनका अपहरण करने के आरोप में कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है;

(घ) आतंकवादियों द्वारा राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1994 के दौरान अब तक हत्या/लूट/बलात्कार के कितने कांड किये गये; और

(ङ) इसमें शामिल आतंकवादियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 1991-94 के दौरान बरामद किए गये हथियारों का ब्यौरा देते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1991-1994 की अवधि के दौरान हत्या, आगजनी और बलात्कार सहित आतंकवाद संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में लगभग 12732 मामले पंजीकृत किए गए हैं। इन मामलों में, इस अवधि के दौरान अन्त तक 9090 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विवरण

आतंकवादियों से बरामद हथियार

हथियार/विस्फोटक	1991	1992	1993	1994 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5
रॉकेट लांचर	140	174	95	29
मशीनगन	176	174	166	124
ए.के. सीरीज राईफल्स	2602	3775	2424	1907
सनाइपर राईफल्स	3	13	60	29
पिस्तौल/रिवाल्वर	946	808	801	829
गोला बारूद (विविध)	318623	343699	484945	414886 +10 बक्से
ग्रेनेड	2236	2818	4798	2283 + 2 बैग
राकेट	329	267	174	371
राकेट बूस्टर	203	144	99	64
बारूदी सुरंग	217	307	766	895
बन्दूकें	79	81	95	107
विस्फोटक (कि. ग्राम)	588	436	3275	352
बम	72	228	376	53
ग्रेनेड लांचर		1	10	55
मोरटार	-	-	12	4
डब्ल्यू.टी.सैट .	37	68	171	191

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार द्वारा वस्तुओं की खरीद

2278. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री 7 दिसंबर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार केवल उन्हीं मदों की स्थानीय खरीद करता है जो उसकी स्वीकृत माल-सूची में शामिल नहीं है और जिनके लिए सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा मांगपत्र जारी किए गए हों और क्या ऐसी खरीद भी प्रमुख समाचार पत्रों में निविदाएं आमंत्रित कर एक बार ही की जाती हैं, और यदि इन मदों के लिए दोबारा मांगपत्र प्राप्त हों तो उन्हें नियमित माल-सूची में शामिल कर लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया का अनुसरण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय भंडार ने पिछले तीन वर्षों में कितनी बार निविदाएं आमंत्रित कीं, किन-किन मदों के लिए कीं और इनमें से कितनी मदें विनिर्माताओं अथवा इनके प्राधिकृत वितरकों द्वारा सप्लाई की जा रही हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार निविदाओं की स्वीकृति के उपरांत निविदाओं में उल्लिखित दरों में वृद्धि करता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी मदों और निविदाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी दरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). उन वस्तुओं को जो नियमित माल सूची में होती है और जिनकी सरकारी संस्थाओं के द्वारा विशेष मांग की जाती है और वे केन्द्रीय भण्डार द्वारा अनुमोदित नहीं होती, को या तो समाचार पत्रों में टेण्डर प्रकाशित करके या बाजार में पूछताछ करके सप्लाई के व्यवस्थित स्रोतों से टेण्डर के आधार पर प्राप्त किया जाता है। केन्द्रीय भण्डार टेण्डर प्रणाली को अपनाता है जो प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर वस्तुएं प्राप्त करने की एक सुस्थापित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नये निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्त्ताओं को भी अवसर देती है तथा नये उत्पाद लाती है।

(ग) से (च). वाणिज्यिक संगठन होने के कारण केन्द्रीय भण्डार बारम्बार टेण्डर आमंत्रित करता है और बड़ी संख्या में वस्तुएं खरीदता है। अतः टेण्डरों को आमंत्रित करने और वस्तुएं खरीदने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। टेण्डरकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट दरों, वैधता तथा अन्य शर्तों के आधार पर अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ दर-संविदा की जाती है। उन वस्तुओं जिनके लिए लम्बी वैधता अवधि के लिए ऐसी संविदाएं करना व्यवहार्य नहीं है वहां वर्तमान दरें अनुमोदित की जाती हैं। ऐसी वस्तुओं के लिए दरों में वृद्धि के प्रस्तावों की उनके औचित्य तथा अन्य समतुल्य संगठनों में विद्यमान कीमतों आदि को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है तथा उन पर केन्द्रीय भण्डार द्वारा निर्णय किया जाता है। स्टोरों में वस्तुओं की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए वस्तुओं की बड़ी संख्या में तथा बारम्बार खरीद करने के कारण जिस रूप में सूचना मांगी गई है उस रूप में प्रस्तुत करने में जो समय और प्रयत्न लगेगा वह इससे निकलने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

उन्नत एवं हल्के हेलीकॉप्टरों का उत्पादन

2279. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के प्रोटोटाइप की परीक्षण उड़ानें उत्साहवर्धक रही हैं और इस समय इनका उपयोग भी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना की आवश्कताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त अन्य देशों को बेचने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन हेलीकॉप्टरों का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा और प्रतिवर्ष ऐसे कितने हेलीकॉप्टरों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). जी, हां। उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टरों के जिन तीन आदिरूपों का इस समय उड़ान परीक्षण किया जा रहा है उन्होंने या तो अधिकांश विशिष्टियों को पूरा कर लिया है या वे इन विशिष्टियों से भी अधिक पाए गए हैं। इस समय चौथे आदिरूप का निर्माण चल रहा है। उन्नत किस्म के इस हल्के हेलीकॉप्टर में कई नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं और यह अपने आकार की श्रेणी के अत्यधिक उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसकी मांग सैन्य तथा सिविलियन उपयोग के लिए विदेश से भी होने की आशा है। इसके वाणिज्यिक उत्पादन की परियोजना प्रमाणीकरण का चालू चरण पूरा हो जाने के बाद प्रारंभ की जाएगी।

परमाणु ऊर्जा स्टेशन

2280. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के परमाणु विद्युत स्टेशनों में जले हुए ईंधन के निपटान के संबंध में अद्यतन कानूनी स्थिति क्या है; और

(ख) देश के परमाणु विद्युत ऊर्जा स्टेशनों से प्रतिवर्ष कितना जला हुआ ईंधन प्राप्त होता है तथा इसका निपटान, पुनः प्रयोग अथवा रीसाईकलिंग किस प्रकार से किया जाता है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) परमाणु ऊर्जा (विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षापूर्वक निपटान) नियम 1987 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार लिए बगैर भारत में विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का निपटान नहीं करेगा।

(ख) प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले 220 मेगावाट क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टर यूनिट से जोकि 62.8 प्रतिशत मानक क्षमता गुणक पर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, एक वर्ष में लगभग 32 टन भुक्तशेष ईंधन निकलता है। यह मात्रा परिचालन की वास्तविक स्थितियों के आधार पर हर वर्ष भिन्न-भिन्न होती है।

विद्युत रिएक्टरों से निकलने वाले भुक्तशेष ईंधन का निपटान करने की नीति यह है कि प्रारम्भ में उसे पानी के अंदर भंडारित किया जाता है, उसके बाद उसमें विद्यमान उपयोगी नाभिकीय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसका पुनर्संसाधन किया जाता है तथा पृथक किए गए उपयोगी नाभिकीय पदार्थों को नए ईंधन के रूप में रिएक्टरों में पुनः चक्रित किया जाता है।

फोटो पहचान पत्र

2281. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाताओं को फोटो परिचय-पत्र जारी करने पर उत्पन्न गतिरोध अभी समाप्त नहीं हुआ है;

(ख) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फोटो परिचय पत्रों के बिना किसी भी राज्य में कोई चुनाव नहीं कराये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा, फोटो पहचान पत्र जारी करने की समय सीमा 15 जनवरी, 1995 तक बढ़ाए जाने के फलस्वरूप, ऐसे राज्यों को जहां 1995 में निर्वाचन कराए जाने हैं, आशा है कि इस प्रक्रिया को समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अतः इस मुद्दे पर कोई गतिरोध नहीं है।

(ख) निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि वह किसी भी राज्य में 1.1.1995 के पश्चात् तब तक निर्वाचन नहीं कराएगा जब तक कि उस राज्य में फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं कर दिए जाते।

(ग) और (घ). फोटो पहचान पत्र जारी करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निदेशों पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 19 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक में इस बात पर मतैक्य था कि फोटो पहचान पत्र जारी करने की स्कीम को चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च). लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 में, जिसे लोक सभा में जून, 1994 में पुरःस्थापित किया गया था, निर्वाचन आयोग के लिए यह आवश्यक बनाने के लिए एक उपबंध है कि वह फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र को अधिसूचित करने के पहले केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करे और इस विधेयक में ऐसी पूर्ण सहमति के बिना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना को अपरिवर्तनीय और शून्य घोषित करने के लिए भी उपबंध किया गया है।

परमाणु ऊर्जा सम्मेलन

2282. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश ने असैनिक परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) अन्य देश कौन-कौन से हैं जो इस सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्मेलन द्वारा शामिल किए गए अन्य पहलू क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने 20 सितम्बर, 1994 को नाभिकीय सुरक्षा कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार जिन देशों ने इस कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर किए थे वे हैं : अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, आर्मेनिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, चीन, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया गणतंत्र, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, जॉर्डन, कोरिया गणतंत्र, लक्ज़मबर्ग, मैक्सिको, मोरक्को, नीदरलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपीन्स, पौलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूसी परिसंघ, स्लोवाक गणतंत्र, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सुडान, स्वीडन, सीरिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूक्रेन, इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका।

(ग) तथा (घ). कन्वेंशन में निर्दिष्ट दायित्व नाभिकीय सुरक्षा संबंधी मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो सुरक्षा नाभिकीय संस्थापनाओं के नियमन, सुरक्षा प्रबन्धन और उनके परिचालन के संबंध में आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति व्यक्त करते हैं। इन दायित्वों में विशेष रूप से नाभिकीय संस्थापनाओं के लिए कानूनी तथा नियामक ढांचा स्थापित करने और उसे बनाए रखने, तथा सामान्य सुरक्षा संबंधी पहलुओं-उदाहरणार्थ-वित्तीय तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता, सुरक्षा का मूल्यांकन और उसकी पुष्टि, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और आपात-स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के आधार पर अनेक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए संविदाकार पक्षों का दायित्व शामिल है। अन्य दायित्वों नाभिकीय संस्थापनाओं की सुरक्षा से संबंधित तकनीकी पहलुओं से संबंधित हैं जिनमें स्थल का चयन करना, संस्थापना का डिजाइन तैयार करना, उसका निर्माण करना और परिचालन करना भी शामिल है। कन्वेंशन की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संविदाकार पक्षों की नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत करने के बारे में संविदाकार पक्षों के दायित्व की व्यवस्था है।

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

2283. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनीज लॉ बोर्ड ने विखंडित (डिसरप्टेड) शेयरों और धारा 11 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आयुध उपकरण फैक्ट्री, कानपुर

2284. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध संयंत्र फैक्ट्री, कानपुर अपने चमड़ा उत्पादन विभाग को समाप्त करने की योजना बना रहा है क्योंकि रक्षा बलों से कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है;

(ख) क्या रक्षा सम्पदा विभाग से सहायता न मिलने के कारण फैक्ट्री को अपनी निर्धारित भूमि प्राप्त करने के लिए तथा अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर में चमड़ा उत्पादों का निर्माण बंद करने अथवा कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केवल चर्मशोधनालय को बंद करने का प्रस्ताव है और यह इसलिए है क्योंकि प्रौद्योगिकी तथा उपस्कर निष्प्रयोज्य हो गए हैं तथा इससे प्रदूषण फैलता है। चर्मशोधनालय में थोड़े से मजदूर कार्यरत हैं जिन्हें पुनः प्रशिक्षित कर लिया जाएगा तथा समुचित रूप से अन्य कार्यों में लगा दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक का उत्पादन

2285. **डा. साक्षीजी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की उर्वरक एककों में उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में मुख्य उर्वरक संयंत्रों की एकक-वार क्षमता और वास्तविक उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता संतोषजनक रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित अमोनिया-यूरिया संयंत्र इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं :—

(1) टाटा कैमिकल्स लि., बबराला (जिला बदायूं) प्रति वर्ष 7.45 लाख टन यूरिया की क्षमता सहित।

(2) बिन्दल एग्रो कैमिकल्स लि., शाहजहांपुर प्रति वर्ष 7.26 लाख टन यूरिया की क्षमता सहित, और

(3) इफको की आंवला विस्तार परियोजना, जिला बरेली, प्रति वर्ष 7.26 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त क्षमता सहित।

विवरण

उत्तर प्रदेश में मुख्य उर्वरक संयंत्र तथा 1993-94 के दौरान उनका उत्पादन निष्पादन

क्र.स.	संयंत्र	क्षेत्र	उत्पाद	स्थापित क्षमता	उत्पादन (1993-94)	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत) (000 मी. टन)
1.	एफ सी आई - गोरखपुर	सार्वजनिक	यूरिया	285	*	-
2.	इफको-फूलपुर	सहकारी	यूरिया	495	540.5	109.2
3.	इफको-आंवला	सहकारी	यूरिया	726	906.4	124.8
4.	दूनकैंस इंडस्ट्रीज लि.—कानपुर	निजी	यूरिया	675	601.3	89.1
5.	इण्डो गल्फ-जगदीशपुर	निजी	यूरिया	726	685.3	94.4

* एफ सी आई का गोरखपुर एकक संयंत्र में एक दुर्घटना के कारण 10.6.90 से बन्द पड़ा है।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

2286. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य-पूर्व देशों में अमोनिया और यूरिया संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इन देशों में इन संयंत्रों की स्थापना के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संयंत्रों की अनुमानित लागत कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ग). अमोनिया/यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस तकनीकी रूप से सर्वाधिक स्वीकार्य और आर्थिक रूप से सर्वाधिक सफल फीडस्टाक है। देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं के कारण उर्वरक कंपनियों को उन देशों में जहां गैस अपेक्षाकृत सस्ते दरों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भारत को यूरिया की वचनबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मांग और आपूर्ति के मध्य अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी।

ओमान और ईरान में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। कुछ उर्वरक कंपनियों ने भी कातार, सऊदी अरबिया, यू.ए.ई. आदि जैसे अन्य देशों में ऐसे उद्यमों में दिलचस्पी दिखाई है।

(ख) और (घ). ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	देश	प्रस्तावित संयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार	उत्पादन क्षमता	परियोजना की संभावित लागत
(i)	ओमान	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) और ओमान ऑयल कंपनी, ओमान	15 लाख मी.टन आफ यूरिया प्रति वर्ष	वित्तीय अधिभारों सहित 897 मिलियन अमेरिकी डालर
(ii)	ईरान	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको) कृषक भारतीय कोआपरेटिव लि. (कृभको) और कैशम फ्री एरिया आउथोरिटी आफ ईरान	7.26 लाख मी.टन आफ यूरिया प्रति वर्ष	343.5 मिलियन अमेरिकी डालर
(iii)	यू.ए.ई	सार्दन पैट्रो-केमिकल्स इंडिस्ट्रिज कार्पोरेशन लि. (एसपीआईसी)/अमीराम ट्रेडिंग एजेंसी आफ यूएई	3.96लाख मी.टन. आफ यूरिया प्रति वर्ष	110 मिलियन अमेरिकी डालर

टिप्पणी: उपरोक्त संस्थितियां इस स्तर पर मात्र अंतरिम है।

[अनुवाद]

रूग्ण उद्योग

2287. डा. असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत पांच वर्षों के दौरान रूग्ण इकाइयों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तथा (ख). देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं और अपनी अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में सरकार को भेजे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट सितम्बर, 1992 के अंत की है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के संदर्भ में लघु तथा गैर-लघु क्षेत्रों में रूग्ण औद्योगिक एककों का विवरण निम्नलिखित है :-

अवधि	रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या	गैर-लघु औद्योगिक रूग्ण एककों की संख्या	योग
(निम्नलिखित के अंत में)			
दिसंबर 1988*	240573	1241	241814
सितम्बर 1989	186441	1419	187860
मार्च 1990	218828	1455	220283
मार्च 1991	221472	1461	222933
मार्च 1992	245575	1536	247111
सि., 1992	233441	1599	235040

* बैंकों द्वारा रिपोर्ट भेजने की अवधि जून व दिसम्बर को समाप्त छमाही के स्थान पर क्रमशः सितंबर और मार्च को समाप्त छमाही कर दी गई थी।

(ग) बैंकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक रूग्णता के प्रमुख कारणों का संबंध आंतरिक बातों से है जिनमें परियोजना प्रबंध और परियोजना मूल्यांकन क्षेत्रों की कमियां हैं। बैंकों द्वारा बताए गए अन्य प्रधान कारणों का संबंध बाह्य कारणों जैसे कि कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, वित्तीय अड़चनें, ऊपरी खर्चों में वृद्धि, मांग में कमी/ मंदी आदि से हैं।

भण्डारण सुविधाएं

2288. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम स्तर पर सीमान्त किसानों, विशेषरूप से वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने वाले किसानों, को वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात और अन्य राज्यों में गत वर्ष ऐसे कितने-गोदाम स्थापित किए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). वर्ष 1979-80 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण भंडारण स्थापित करने की योजना को वर्ष 1992-93 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

2289. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर ने भारतीय स्टेट बैंक से कार्यपूंजी निधि प्राप्त करने के लिए उसे कंपनी की समग्र भूमि और परिसंपत्तियां सौंप दी हैं;

(ख) क्या इस उपक्रम को चलाने के लिए बैंक से समुचित कार्यपूंजी निधि प्राप्त करने के लिए सभी परिसम्पत्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस उपक्रम में उत्पादन की दर लगातार कम रही ;

(ङ) यदि हां, तो गत छः माह में कितना उत्पादन हुआ; और

(च) उत्पादन क्षमता के पूरे उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक से कार्यशील पूंजी निधियां प्राप्त करने के लिए किसी भूमि अथवा सम्पत्ति को गिरवी नहीं रखा है।

(ख) और (ग). कारपोरेशन की समस्त परिसंपत्तियों का मूल्याकंन एक सनदी इंजीनियर से 1992 में कराया गया था।

(घ) और (ङ). कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन के बकाया बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण उनके द्वारा बिजली की आपूर्ति रोक देने से उत्पादन कार्य पर दुष्प्रभाव पड़ा है। पिछले छह माह (जून से नवम्बर, 1994) में 4.39 लाख रुपए का उत्पादन किया गया।

(च) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फरवरी, 1992 से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित है। सभी संगत कारकों पर गहन विचार के बाद, बोर्ड प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए। तद्नुसार, कंपनी को बंद किए जाने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा जनवरी, 1994 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भूमिहीन किसान

3290. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीन किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें भूमि देने हेतु कोई योजना प्रारंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जनगणना में भूमिहीन किसानों के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जाती है। तथापि, 1991 की जनगणना में कृषि मजदूरों के बारे में ब्यौरा एकत्र किया गया था। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) कृषि मजदूरों की संख्या 74597,744 थी। कृषि मजदूरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग). भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये किसी नई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, एक योजना पहले से कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत अधिकतम सीमा से भूमि बंजर, भूमि तथा भूदान वाली भूमि भूमिहीन ग्रामीण गरीबों में वितरित की जाती है। अब तक इस देश के भूमिहीन ग्रामीण गरीबों में 51.01 लाख एकड़ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, 127.39 लाख एकड़ बंजर भूमि, तथा 23.27 लाख एकड़ भूदान भूमि का क्षेत्र वितरित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि मजदूरी
	भारत	
	(जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)	74,597,744
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159
2.	अरुणाचल प्रदेश	20,054
3.	असम	844,964
4	बिहार	9,512,892
5	गोवा	35,284
6.	गुजरात	3,230,547
7.	हरियाणा	896,782
8.	हिमाचल प्रदेश	58,668
9.	कर्नाटक	4,999,959
10.	केरल	2,120,452
11.	मध्य प्रदेश	5,863,029
12.	महाराष्ट्र	8,313,223
13.	मणिपुर	47,350
14.	मेघालय	89,492
15.	मिजोरम	9,527
16.	नागालैंड	7,233
17.	उड़ीसा	2,976,750
18	पंजाब	1,452,828
19.	राजस्थान	1,391,670
20.	सिक्किम	12,851
21.	तमिलनाडु	7,896,295
22.	त्रिपुरा	187,538
23.	उत्तर प्रदेश	7,833,258
24.	पश्चिम बंगाल	5,055,478
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार दीप समूह	4,989
2.	चण्डीगढ़	1,642
3.	दादर व नगर हवेली	6,233
4.	दमन व दीव	1,199
5.	दिल्ली	25,195
6.	लक्षदीप	–
7.	पांडिचेरी	77,203

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, श्रृंखला-1, 1992 का पेपर=2-अंतिम जनसंख्या योग (तालिका-4)

[अनुवाद]

गैस आधारित यूरिया संयंत्र

2291. **श्री पी.सी. चाको** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न स्थानों पर गैस आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में निजी व सरकारी क्षेत्र में ये संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का केरल में भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). क्षेत्र में गैस की अनुपलब्धता के कारण केरल में ऐसे एककों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

अपनी-अपनी क्षमताओं के साथ गैस पर आधारित यूरिया संयंत्रों की सैक्टर वार तथा राज्य वार अवस्थिति

(000 मी. टन)

संयंत्र	अवस्थिति/राज्य	वार्षिक क्षमता
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र :		
एन एफ एल : विजयपुर	विजयपुर (गुना), मध्य प्रदेश	726.0
एच एफ सी : नामरूप-II	नामरूप, आसाम	330.3
एच एफ सी : नामरूप-III		385.0
आर सी एफ : ट्राम्बे-I	ट्राम्बे, महाराष्ट्र	98.0
आर सी एफ : ट्राम्बे-V		330.0
आर सी एफ : थाल	थाल वेस्ट, महाराष्ट्र	1485.0
सहकारी क्षेत्र		
इफको : केलोल	कलोल, गुजरात	396.0
इफको : आंवला	आंवला, उत्तर प्रदेश	726.0
कृभको : हजीरा	हजीरा, गुजरात	1452.0

1	2	3
निजी क्षेत्र		
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लि. : बड़ौदा (आंशिक रूप से गैस पर)	बड़ौदा, गुजरात	367.0
नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. : काकीनाडा	काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश	495.5
इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पो, लि. : जगदीशपुर	जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश	726.0
चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	गड़ेपन, राजस्थान	741.0
	योग	8257.8

खादी ग्रामोद्योग आयोग में न्यूनतम मजदूरी

2292. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग से सीधे नियुक्त की गई महिलाओं को अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). खादी संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं में नियुक्त महिला कारीगर अनिवार्यतः स्वरोजगार क्षेत्र से संबंधित होती हैं ओर वे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी नहीं होते हैं। ये कारीगर खादी के कताई कार्य में 10 रुपये से 20 रुपये तक और बुनाई कार्य में 15 रुपये से 30 रुपये तक कमाते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में बड़े ग्रामोद्योगों के एक कारीगर की दैनिक आमदनी औसतन 15 रुपये से 40 रुपये तक होती है। मजदूरी का भुगतान (पीस-रेट प्रणाली) के आधार पर किया जाता है। मजदूरी का निर्धारण कच्चे माल की लागत, प्रसंस्करण की लागत, श्रमिक के लिए अतिपूर्ति जैसे सभी संबद्ध कारकों पर विचार करने के बाद किया जाता है। इन कारीगरों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने नये मॉडल के उन्नत चरखे और अन्य औजार व उपकरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे कारीगरों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और वे अधिक मजदूरी कमा सकेंगे।

मंत्री द्वारा दौरे

2293. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री चालू वर्ष के दौरान देश में और विदेशों में कितने-कितने दिन दौरे पर गये;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना खर्चा हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के बजट में से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिए धनराशि का स्रोत क्या था?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपने ही देश में 13 अवसरों पर (19 दिन के लिए) और देश के बाहर 2 अवसरों पर (26 दिन के लिए) दौरे पर गए।

(ख) देश के बाहर वे स्लोवाक गणराज्य, चेक गणराज्य, पोलैंड, यू के और ग्रीस के दौरे पर गए थे। देश के भीतर वे 13 अवसरों पर विभिन्न स्थानों के दौरे पर गए।

(ग) से (ङ). रक्षा मंत्रालय उनकी पात्रता के अनुसार रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के बजट शीर्ष 2052ए 1(2) (2) से उनका यात्रा व्यय वहन करता है और इस शीर्ष से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक उनकी विदेश यात्राओं पर 2,68,397 रुपये का व्यय किया जा चुका है। रक्षा राज्य मंत्री के रूप में नियमानुसार वे भारतीय वायुसेना के वायुयानों से निःशुल्क यात्रा करने के भी हकदार हैं।

ट्यूब वैल

2294. **श्री के. प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में लगाये गये ट्यूब वैलों में से अधिकांश ट्यूब वैल खराब पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन ट्यूब वैलों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). ट्यूब वेलों के ब्यौरों की निगरानी केन्द्र द्वारा नहीं की जाती है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लगाए गए कुल 23,51,214 हैंडपम्पों और 2,03,477 स्टैंडपोस्टों में से 21,29,943 हैंडपम्प तथा 1,84,910 स्टैंडपोस्ट ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चालू स्थिति में हैं। यह सूचित है कि सभी लघु सिंचाई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने बजट संसाधनों से आयोजित, वित्तपोषित एवं कार्यान्वित होती हैं। इस प्रकार राज्य सरकारों अथवा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए ट्यूब वेलों की स्थिति की निगरानी केन्द्र द्वारा नहीं की जाती है।

कश्मीरी पंडित

2295. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में उनके घरों में सुरक्षित भेजने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भावी चुनावों में उनके द्वारा निर्भय रूप से मतदान करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है;

(घ) जम्मू-कश्मीर राज्य में उनके लिए नागरिक सेवाएं बहाल करने के लिए किए गए व्यापक प्रबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रशासन में उनकी समुचित भागदारी के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने और, प्रवासी कर्मचारियों सहित, प्रवासियों के घाटी में अपने-अपने घरों और पेशों/व्यवसायों पर वापस लौटने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए उग्रवाद के खिलाफ निरन्तर अभियान चलाए जा रहे हैं तथा उनमें विश्वास पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक प्रवासियों द्वारा मतदान करने की व्यवस्था का प्रश्न है, उचित समय पर इसकी व्यवस्था करना चुनाव आयोग का काम है।

(घ) और (ङ). जम्मू और कश्मीर प्रशासन में प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां, इस बारे में लागू सुस्थापित नियमों और विनियमों के द्वारा की जाती हैं तथा कश्मीरी प्रवासियों को उनके अधिकारों और अवसरों से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाता है।

अनुसंधान और विकास में पूंजी निवेश

2296. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास के मामले में देश की पूंजी निवेश अत्यधिक कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक प्रतिशत से भी कम पूंजी निवेश करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में अनुसंधान और विकास कार्यों पर व्यय में वृद्धि करने तथा योग्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कर्मियों के लिए लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) एवं (ख). यदि 1992-93 में जीएनपी के अनुसंधान एवं विकास व्यय का प्रतिशत 1991 में 0.85 प्रतिशत के स्तर से 0.83 प्रतिशत पर आ गया है, परन्तु कुल राशि में वृद्धि हुई है। जीपीएन उत्पाद के संबंध में अनुसंधान एवं विकास का प्रतिशत कम है क्योंकि अनुसंधान एवं विकास व्यय की अपेक्षा जीएनपी में तेजी से वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि 1988-89 से 1992-93 तक की अवधि के लिए चालू मूल्य पर जीएनपी की वृद्धि को वार्षिक मिश्रित दर 15.3 प्रतिशत थी जबकि उसी अवधि के चालू मूल्य पर अनुसंधान एवं विकास की वृद्धि दर 13.3 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रमुख अनुसंधान एवं विकास निवेशकर्त्ता है जो कि कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय का लगभग 3/4 अंशदान देते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि उद्योग का सहयोग (सार्वजनिक एवं निजी दोनों का) इस व्यय का लगभग 1/4 रहा है।

(ग) सरकार ने देश में अनुसंधान एंव विकास व्यय के बढ़े हुए स्तर और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के लाभप्रद रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पर्याप्त उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नांकित हैं:—

1. उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए व्यय में वृद्धि।
2. विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में और अधिक विशिष्ट/उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।
3. विज्ञान के नवीन एवं सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित अनिवार्य आधुनिक सुविधाओं सहित व्यावसायिकों के कोर ग्रुपों का गठन।
4. उद्यमीय विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
5. प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए 125 प्रतिशत पर भारित कर में छूट ।
6. वैज्ञानिकों को मान्यता और पुरस्कार योजना।

समुद्री कानूनों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

2297. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को हाल ही में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों के दोहन और विवादों को सुलझाने संबंधी तंत्र के बारे में कन्वेंशन के मुख्य प्रावधान क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने इस कन्वेंशन का अनुमोदन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसका अनुमोदन किस तिथि को किया गया था; और

(ङ) समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन लागू होने से भारत को क्या लाभ होगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 16 नवम्बर, 1994 को लागू हुआ।

(ख) कन्वेंशन में नौवाहन एवं समुद्र के ऊपर उड़ान, संसाधन अन्वेषण एवं विदोहन, संरक्षण एवं प्रदूषण मत्स्यन एवं नौ-परिवहन सहित सम्पूर्ण समुद्री क्षेत्र एवं इसके उपयोग सम्मिलित हैं। कन्वेंशन की व्यवस्था के अन्तर्गत गहरा समुद्र संस्तर क्षेत्र के सभी अन्वेषण एवं विदोहन कार्यकलाप, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होंगे। प्राधिकरण गहरा समुद्र संस्तर क्षेत्र में खनन अधिकार देने के लिए प्रचालन शाखिका, उद्यम और साथ ही राज्यों व निजी उपक्रमों के द्वारा अपने स्वयं के खनन प्रचालन करने का हकदार है। कन्वेंशन राज्यों के विवादों को शान्तिपूर्वक निपटान कर उन्हें उपकृत करती है और समुद्रविधि पर अन्तर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल अथवा मध्यस्थता, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सहित न्यायालयों का चुनाव उपलब्ध करवाती है।

(ग) और (घ). भाग -II के कार्यान्वयन से संबंधित समझौते और कन्वेंशन के अनुसमर्थन के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है।

(ङ) भारत अपने महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र और 200 समुद्री मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सजीव एवं निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण और विदोहन का हकदार हो जाएगा और विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में समुद्री प्रदूषण के नियन्त्रण और रोक-थाम के लिए उपाय करेगा। भारत को मध्य हिन्द महासागर में गहरा समुद्र संस्तर खनन स्थल के अन्वेषण के लिए अनन्य अधिकार भी मिलेगा।

दहेज संबंधी मौतों के मामले

2298. **श्री अंकुशराव टोपे :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उनके न्याय पीठों में दहेज के लिए उत्पीड़न और दहेज के कारण हुई मौतों के राज्य-वार कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) इन मामलों का निपटारा कब तक हो जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). 17 उच्च न्यायालयों के संबंध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की बाबत जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). उच्च न्यायालयों में मामले, अनेक जटिल कारणों के फलस्वरूप लंबित रहते हैं। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथासंभव शीघ्र निपटने के लिए तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए संकल्प को, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। न्याय प्रशासन को, मामलों के शीघ्र निपटाए जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से, एक योजना मद बनाया गया है।

(ङ) इन मामलों के निपटाए जाने के लिए कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

उच्च न्यायालयों में दहेज से कारित मृत्यु और उत्पीड़न के लंबित मामले

उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या		
	1992-93	1993-94	1994-95
1 2	3	4	5
1. इलाहाबाद	104	113	78 (25.10.94 को यथा विद्यमान)
2. आंध्र प्रदेश*	45	76	35 (2.8.94 को यथा विद्यमान)
3. मुम्बई	199	70	137 (10.8.94 को यथा विद्यमान)
4. कलकत्ता	जानकारी प्राप्त होनी है।		
5. दिल्ली*	63	82	92 (31.8.94 को यथा विद्यमान)

1	2	3	4	5
6.	गुवाहाटी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5 (4.8.94)
7.	गुजरात	गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया था कि दहेज से कारित मृत्यु और उत्पीड़न के मामलों के लिए अलग अभिलेख नहीं रखा जाता है।		
8.	हिमाचल प्रदेश*	20	40	69 (जुलाई 1994 में यथा विद्यमान)
9.	जम्मू-कश्मीर	10	उपलब्ध नहीं	3 (1993-94 के लिए और 17.12.94 तक)
10.	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1263 (31.9.94 को यथा विद्यमान)
11.	केरल	5	7	11 (5.8.94 को यथा विद्यमान)
12.	मध्य प्रदेश	71	78	61 (10.8.94 को यथा विद्यमान)
13.	मद्रास	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
14.	उड़ीसा*	14	18	9 (13.8.94 को यथा विद्यमान)
15.	पटना	16	14	6 (15.12.94 को यथा विद्यमान)
16.	पंजाब और हरियाणा	37	49	26 (जुलाई, 1994 तक)
17.	राजस्थान	7	19	39 (23.8.94 को यथा विद्यमान)
18.	सिक्किम	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

* ये आंकड़े कलेंडर वर्ष 1992, 1993 और 1994 के लिए हैं।

सौर ऊर्जा

2299. डा. साक्षीजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा, उत्तर प्रदेश में सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्लास्टिक प्रौद्योगिकी

2300. श्री एन.जे. राठवा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से गुजरात के जन-जातीय क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी परीक्षण एवं सेवा केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये कब तक और कहां-कहां स्थपित किये जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अधीन एक संगठन सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी का गुजरात के अहमदाबाद में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रशिक्षण-सह-सेवा केन्द्र पहले से ही है। चूंकि यह केन्द्र इस राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अतः गुजरात में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के लिए और किसी प्रशिक्षण-सह-सेवा केन्द्र स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

2301. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड गम्भीर आर्थिक संकट में है और बन्द होने के कगार पर है जैसा कि 29 अक्तूबर, 1994 के "द स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार को उसे अर्थक्षम बनाने के लिए कोई नोट भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कंपनी को बचाने के लिए क्या ठोस उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). दिनांक 29.10.94 के स्टेट्समैन समाचार-पत्र में "एच.ई.सी. ऑन द ब्रिक ऑफ एक्सटिंक्शन" नामक शीर्षक से छपे समाचार में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के संबंध में कम क्रयादेश प्राप्ति तथा नकदी की शोचनीय स्थिति के बारे में बताया गया है।

(ग) से (ङ). एच. ई. सी. ने एक टर्न अराउण्ड योजना बनाई थी जिसमें 198 करोड़ रुपए (पूंजीगत व्यय के लिए 70 करोड़ रुपए तथा इक्विटी के रूप में 128 करोड़ रुपये) की निधि सहायता के अतिरिक्त, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम और वित्तीय पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी। बी आई एफ आर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने इस टर्न अराउण्ड योजना की जांच की और एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया। तथापि, बी आई एफ आर ने यह विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार नहीं किया है कि आई डी बी आई द्वारा निर्मित पुनरुद्धार पेकेज व्यवहार्य नहीं है। नई पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

2302. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कुल कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) इस संबंध में लागू की गई योजनाओं और इस क्षेत्र में अभी तक हुई प्रगति/की गई समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) आंध्र प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में लगभग 28.15 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित देश भर में बायोगैस, उन्नत चूल्हा, बायोमास, सौर ताप, सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन, लघु पनबिजली, बायोमास सह उत्पादन, एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित की गई विभिन्न प्रणालियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए राज्यवार लक्ष्य वर्ष दर वर्ष निर्धारित किए जाते हैं, पूरी योजना अवधि के लिए नहीं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की गई नई तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों की संख्या।

(संचयी)

क्र.सं.	नई तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियां	संस्थापना
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	1,52,977
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	71
3.	उन्नत चूल्हा	14,20,000
4.	बायोमास गैसीफायर	60
5.	सौर जल तापन प्रणालियां और अन्य सौर तापीय प्रणालियां	2044 वर्ग मी.
6.	सौर कुकर	5826
7.	पवन विद्युत	2.775 मे.वा.
8.	लघु पन बिजली परियोजनाएं	6.01 मे.वा.
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	2894
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी	166
11.	सौर प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक टेलीविजन	4
12.	सौर लालटेन	1276
13.	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	119
14.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	2 (12 कि.वा.)
15.	लघु बैटरी चार्जिंग प्रणालियां	12.85 कि.वा.
16.	पवन पम्पन प्रणालियां (संख्या)	337
17.	आई आर ई पी ब्लॉक	23

परमाणु धातु विभाग मुख्यालय

2303. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु धातु विभाग के पूर्व क्षेत्र के मुख्यालय को 37 वर्षों के बाद कलकत्ता से बिहार के खासमहल स्थान पर लाने का निर्णय किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस स्थानांतरण में कुल कितना खर्च लगेगा;

(घ) क्या परमाणु धातु विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के यूरेनियम के भंडारों का एक और बड़ा हिस्सा बिहार में सिंह भूम जिले के जादुगौड़ा, नरवा पहाड़ और अन्य भागों में और उड़ीसा के निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्यमान है और मुख्य अन्वेषण इसी क्षेत्र में केन्द्रित हैं और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता में उपयुक्त भूमि/कार्यालय के लिए जगह वाजिब दामों पर उपलब्ध नहीं है, परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को कलकत्ता से खास महल स्थानांतरित कर दिया गया है जहां लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से परमाणु खनिज प्रभाग की प्रयोगशालाएं एक कार्यालय और आवास काम्प्लेक्स बनकर तैयार होने वाले हैं। खास महल, (जमशेदपुर) में काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वर्ष 1989 और 1990 में अनुमोदन दिए गए थे। इससे परमाणु खनिज प्रभाग के बिहार में रांची और कोडरमा तथा कलकत्ता में फैले विभिन्न कार्यालयों को संघटित करने में मदद मिलेगी। तथापि; परमाणु खनिज प्रभाग का एक सम्पर्क कार्यालय आवश्यक स्टाफ के साथ कलकत्ता में काम करता रहेगा।

(ग) कर्मचारियों को कलकत्ता से स्थानांतरित करके खास महल ले जाने पर आने वाली लागत करीब 8.5 लाख रुपए हैं।

(घ) और (ङ). कलकत्ता कार्यालय के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानांतरित करने के खिलाफ अभिवेदन दिया है लेकिन अर्थ-व्यवस्था, परमाणु खनिज प्रभाग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की सहूलियत और दक्षतापूर्ण कार्यकारणी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कार्यालयों और प्रयोगशालाओं को खास महल में संघटित किया गया है जहां कर्मचारियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। परमाणु खनिज प्रभाग के पूर्वी क्षेत्र के करीब 275 कर्मचारियों में से कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या 75 है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

2304. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री मोहन रावले :
श्री साइमन मरांडी :
श्री जीवन शर्मा :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :
श्री श्याम बिहारी मिश्र :
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री पी.सी. थामस :
श्री एस. शिवरामन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1994 के "इकोनामिक टाइम्स" के नई दिल्ली संस्करण में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के कुछ अधिकारियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार करने संबंधी प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस जासूसी की जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इसका भारत के समरिक महत्व के क्रायोजिनिक विकास, पी.एस.एल.वी. तथा प्रक्षेपास्त्र परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) भविष्य के लिए इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्षा विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख)और (ग). तिरुवनन्तपुरम में विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के साथ पठित विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अधीन भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय ठहरने के लिए एक विदेशी राष्ट्रिक के विरुद्ध मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक केन्द्र द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम के एक वैज्ञानिक और उक्त विदेशी राष्ट्रिक के बीच कुछ संबंधो को सूचित करने वाला प्रमाण मिला। यह संदेह व्यक्त किया गया कि इसरो के कुछ वर्गीकृत दस्तावेजों को विदेशी को प्रकट कर दिया गया है। अतः भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 34 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 4 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले को दर्ज करने के बाद इसरो के 2 वैज्ञानिकों, 2 विदेशियों और 2 व्यावसायियों सहित छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। केरल सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने इस मामले को हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंप दिया है और सी.बी.आई. ने विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के साथ पठित विदेशियों विषयक आदेश, 1948 की धारा 7 के अन्तर्गत आर.सी.-10 (एस) /94-एस.आई.यू. (वी.) एस.आई.सी.-II नई दिल्ली तथा आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनिमय, 1923 की धारा 3,4 और 5 के अन्तर्गत आर.सी.-II (एस.) /94-एस.आई.यू.-वी./एस.आई.सी.-II के अधीन एक मामला दर्ज किया है। सभी छः अभियुक्त हिरासत में है और मामलों की जांच की जा रही है। दोनों वैज्ञानिकों को निलम्बनाधीन कर दिया गया है। .

(घ) भारत के सामरिक महत्व के क्रायोजेनिक विकास, पी. एस.एल.वी. और मिसाइल परियोजनाओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग/इसरो के विभिन्न केन्द्रों और यूनिटों में विद्यमान सुरक्षा तंत्र की समीक्षा का कार्य शुरु कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2305. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्यकारी पूंजी के अभाव से ग्रस्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी धनराशि का अभाव है;

(ख) क्या सरकार ऐसे प्रत्येक उपक्रम को प्रोत्साहनों (प्रमोटर्स) के रूप में कार्यकारी पूंजी उपलब्ध करने हेतु कोई प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). गुजरात राज्य में इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. और ने.टे. का. (गुजरात) लि. नामक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम हैं। इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. सरकारी क्षेत्र का लाभ अर्जित करने वाला उद्यम है जबकि निरन्तर घाटा उठाने के कारण ने. टे. का. (गुजरात) लि. रुग्ण हो गया है और यह उद्यम कार्यचालन पूंजी की कमी का सामना कर रहा है। ने.टे. का. (गुजरात) लि. को 199। में यथा संशोधित रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंप दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल ने ने.टे. का. (गुजरात) लि. के लिये कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पुनरुद्धार सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिये प्रचालन अधिकरण की नियुक्ति की है।

[अनुवाद]

चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र सचिवालय

2306. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोक सभा, राज्य सभा और उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री के समान अपने नियंत्रणाधीन एक स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना करने हेतु सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का वर्तमान ढांचा क्या है;

(घ) क्या कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी ऐसा ही प्रस्ताव किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रस्तावों पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). मुख्य चुनाव आयुक्त ने, अपने 27 जुलाई, 1994 के पत्र में प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उनके अनुसार विद्यमान परिस्थितियों में उनकी वर्तमान स्थिति, अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों के मामले में विसंवादी है।

(ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि आयोग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति अन्य सरकारी सेवकों की भांति ही की जाती है।

(घ)और (ङ). 1982 में , तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ने सरकार से निर्वाचन आयोग के लिए अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि निर्वाचन आयोग पर उपगत होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से प्रभारित किया जाए।

(च) यह सभी विचाराधीन हैं।

मंत्री महोदय के दौरे

2307. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय कितने-कितने दिन देश के अन्दर तथा विदेश की यात्राओं पर गये;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या इस खर्च को केन्द्र सरकार के बजट से वहन किया जायगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन धनराशियों का स्रोत क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किए गए दौरों से संबंधित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). इन सभी दौरों के संबंध में वायुयान/रेल भाड़ा पेट्रोल, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया था।

विवरण

		दौरे की अवधि			के स्थान जिनका दौरा किया गया	वायुयान/रेल भाड़ा, पेट्रोल यात्रा भत्तों और महगाई भत्ते के संबंध में व्यय (रुपयों में)
देश के भीतर	1.	1.4.94	2.4.94	2	कुरूक्षेत्र/जाजेवाला	.....*
	2.	14.5.94	15.5.94	2	कुरूक्षेत्र/यमुना नगर	.....*
	3.	17.6.94	18.6.94	2	मुंबई	7,759/-
	4.	20.6.94	21.6.94	2	बंगलौर	9,624/-
	5.	25.6.94	25.6.94	1	पानीपत	.....*
	6.	7.9.94	8.9.94	2	मुंबई	8,526/-
	7.	9.9.94	12.9.94	3	भोपाल	2,300/-
	8.	6.10.94	6.10.94	1	मुंबई	7,851/-
	9.	29.11.94	1.11.94	3	चंडीगढ़	700/-
	10.	9.11.94	9.11.94	1	मुंबई	7,851/-
	11.	14.11.94	15.11.94	2	चंडीगढ़	700/-
	12.	16.11.94	18.11.94	3	कलकत्ता	9,594/-
	13.	19.11.94	21.11.94	3	चंडीगढ़	700/-
	14.	26.11.94	27.11.94	2	अहमदाबाद	6,272/-
	15.	2.12.94	4.12.94	3	कुरूक्षेत्र/ताणेवाल/यमुनानगर	.....*
	16.	7.12.94	7.12.94	1	रोहतक	.....*
	17.	10.12.94	10.12.94	1	रोहतक	.....*
					योग	61,877/-
विदेशी दौरा						
	18.	8.10.94	15.10.94	7	लंदन और फ्रेंकफर्ट	1,30,046/-

* इन दौरों में पेट्रोल के सिवाय कोई व्यय नहीं हुआ था। इस संबंध में निश्चित व्यय की संगणना करना संभव नहीं है।

मंत्री महोदय की यात्राएं

2308. डा. सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री कितने-कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गये;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितनी-कितनी धनरानि खर्च हुई;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के बजट के अंतर्गत किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस निधि का स्रोत कहां हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इन दौरों के खर्च का वहन केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजना

2309. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अब तक बनाई गई केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि का राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना-वार तथा राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई निधियां और उनके उपयोग के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, व III में दर्शाये गये हैं।

विवरण-I

सातवीं योजना से 1994-95 (अक्तूबर) तक के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन एवं उपयोग

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		सातवीं योजना	
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
आंध्र प्रदेश	2666.33	3109.28	3739.77	4747.68	4347.72	5456.61	4922.08	6425.38	5502.91	6024.20	21178.81	25763.07
अरूणाचल प्रदेश	214.26	195.41	367.15	295.95	384.00	301.75	427.20	339.17	469.44	279.21	1862.05	1411.49
असम	1377.20	1244.01	1256.59	1901.34	1365.16	1948.24	1493.76	1842.75	1502.92	1735.86	6995.63	8672.20
बिहार	5249.41	4954.45	7097.72	7683.99	8410.68	10117.08	9609.33	9104.66	11025.89	9366.77	41392.03	41226.95
गोवा	53.56	86.61	193.36	120.35	80.00	85.00	89.00	90.98	97.80	109.92	513.72	492.86
गुजरात	1597.10	1511.05	1979.67	2324.35	2123.03	2485.04	2306.64	2630.85	2266.10	2643.33	10272.54	11594.62
हरियाणा	441.25	804.53	691.18	893.43	673.45	978.08	691.08	1118.34	542.26	1163.71	3039.22	4958.09
हिमाचल प्रदेश	310.63	552.02	437.76	682.81	385.76	603.56	369.06	540.28	194.14	563.35	1697.35	2942.08
जम्मू व कश्मीर	549.77	599.80	702.03	558.95	686.14	711.81	572.09	676.52	271.13	438.88	2701.16	2985.96
कर्नाटक	1726.56	2043.07	2173.82	2424.80	2593.47	2709.39	2973.30	2990.55	3444.34	2986.13	12911.49	13153.94
केरल	1341.32	982.65	1477.97	2382.07	1635.49	1927.44	1805.79	1978.84	1871.12	1926.69	8131.69	9097.69
मध्य प्रदेश	3762.82	3688.51	5073.61	5515.73	5851.95	7870.75	6599.79	8261.72	7297.04	6661.43	28585.21	31998.14
महाराष्ट्र	3057.85	3336.09	3699.47	4192.98	4424.25	4965.68	5076.53	5236.85	5894.54	5992.69	22152.64	23724.29
मणिपुर	126.41	135.21	154.83	284.51	129.14	153.99	118.61	127.88	43.51	97.56	572.50	799.15
मेघालय	170.92	177.94	208.17	435.08	192.96	195.69	192.30	233.81	130.54	133.58	894.89	1176.10
मिजोरम	89.28	127.05	180.68	300.79	168.00	272.69	178.00	183.30	195.60	201.25	803.56	1085.08
नागालैंड	100.29	208.30	263.27	145.20	168.00	316.30	186.90	219.83	205.38	264.85	923.84	1154.48
उड़ीसा	2496.40	2245.60	2972.04	2819.17	3244.50	3917.11	3557.74	3355.33	3605.01	3063.53	15875.69	15400.74
पंजाब	531.06	872.18	795.36	1418.48	728.95	1006.55	718.50	1026.59	458.57	1251.59	3232.44	5567.39
राजस्थान	1587.63	1934.79	2523.54	2435.50	2879.85	3247.34	3229.64	3481.11	3514.63	3386.97	13734.49	14485.71
सिक्किम	20.07	27.38	86.13	33.39	32.00	38.31	35.60	52.80	39.12	49.53	212.92	201.41
तमिलनाडु	2776.85	2985.89	3793.53	4322.20	4234.50	4742.61	4697.52	5290.09	4940.56	5159.64	20442.96	22500.43
त्रिपुरा	165.76	236.87	146.75	372.11	153.12	475.32	164.18	696.13	153.97	400.67	783.78	2181.10
उत्तर प्रदेश	6827.25	7814.29	10029.66	11138.60	11651.58	13030.70	13186.37	14733.79	14727.97	15378.18	56422.83	62095.56
पश्चिम बंगाल	3403.28	4107.11	4001.01	3679.49	4725.10	4990.72	5389.59	6115.38	6155.62	7087.23	23674.60	25979.93
अ. नि. द्वीप समूह	22.32	12.70	45.15	49.91	40.00	34.23	44.50	50.32	48.90	51.53	200.87	198.69
चण्डीगढ़	4.46	-	60.73	1.85	0.75	0.52	8.90	-	9.78	-	84.62	2.37
दादर व नगर हवेली	4.46	7.16	23.79	19.19	8.00	10.45	8.90	8.97	9.78	9.79	54.93	55.56
दिल्ली	22.32	39.38	100.58	86.19	48.00	51.03	44.50	37.42	48.90	43.07	256.30	257.09
दमन व दीव					16.00	8.04	17.80	17.84	19.56	15.23	53.36	41.11
लक्षद्वीप	22.32	33.13	30.49	9.27	21.25	22.45	44.50	21.92	48.90	13.76	167.46	100.53
पांडिचेरी	17.86	37.92	76.75	70.65	32.00	69.93	35.60	57.13	39.12	42.73	201.33	278.36
	40736.00	44110.36	54382.56	61337.93	61338.00	72744.41	68795.30	76846.53	74775.05	76542.92	300026.91	331582.17

आठवीं योजना

वार्षिक योजनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र तक	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95 अक्तूबर तक		आठवीं योजना अक्तूबर तक	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
आंध्र प्रदेश	5502.91	7200.12	5177.52	6548.98	4880.00	5411.42	8416.00	8813.75	8344.00	4176.64	21640.00	18401.81
अरूणाचल प्रदेश	469.44	278.58	469.44	294.47	416.00	426.52	686.00	523.65	623.00	166.45	1725.00	1116.62
असम	1502.92	1762.26	1414.06	1587.04	1332.00	1584.46	2770.00	2532.34	2747.00	253.05	6849.00	4369.85
बिहार	11025.89	9948.86	10361.80	8384.64	9778.00	7726.73	15974.00	10873.59	16232.00	3759.25	41984.00	22359.87
गोवा	97.80	106.72	97.80	67.30	86.00	53.54	142.00	77.48	142.00	67.42	370.00	198.44
गुजरात	2266.10	2341.24	2132.11	2307.69	2010.00	2204.50	3090.00	3354.85	3063.00	1526.21	8163.00	7085.56
हरियाणा	542.26	1002.65	510.19	756.84	480.00	796.25	742.00	1318.31	736.00	498.75	1958.00	2613.31
हिमाचल प्रदेश	194.14	411.62	182.66	352.47	172.00	291.88	242.00	378.02	240.00	210.21	654.00	880.11
जम्मू व कश्मीर	271.13	516.11	255.10	421.07	240.00	385.47	462.00	426.67	1000.00	277.62	1702.00	1089.76
कर्नाटक	3444.34	3076.53	3240.68	2782.63	3054.00	2671.68	5650.00	4026.36	5603.00	1892.10	14307.00	8590.14
केरल	1871.12	2043.51	1760.48	1784.84	1660.00	1647.95	2056.00	1973.75	2038.00	1047.62	5754.00	4669.32
मध्य प्रदेश	7297.04	8376.81	6865.57	9353.08	6472.00	7336.37	10664.00	10040.21	10573.00	2250.37	27709.00	19626.95
महाराष्ट्र	5894.54	5722.53	5546.00	5633.70	5228.00	5332.16	9174.00	7329.26	9096.00	2086.96	23498.00	14748.38
मणिपुर	43.51	136.27	40.94	153.20	38.00	86.42	200.00	175.91	450.00	134.58	688.00	396.91
मेघालय	130.55	172.93	122.92	162.62	116.00	173.80	192.00	158.33	478.00	74.99	786.00	407.12
मिजोरम	195.60	214.81	195.60	169.72	174.00	212.29	288.00	282.09	201.00	99.71	663.00	594.09
नागालैंड	205.38	257.69	205.38	299.15	182.00	236.84	300.00	310.79	337.00	100.01	819.00	647.64
उड़ीसा	3605.01	3637.09	3391.85	3671.71	3198.00	3373.97	6826.00	6263.38	6769.00	1709.33	16793.00	11346.68
पंजाब	458.57	1050.47	431.46	858.45	406.00	935.95	528.00	1471.24	523.00	339.28	1457.00	2746.47
राजस्थान	3514.63	3563.24	3306.82	4079.89	3118.00	3258.25	4430.00	4213.30	4393.00	1788.90	11941.00	9260.45
सिक्किम	39.12	37.17	39.12	47.39	34.00	39.71	56.00	40.96	56.00	18.94	146.00	99.61
तमिलनाडु	4940.56	5010.43	4648.44	4527.72	4382.00	4436.01	7608.00	7269.39	7543.00	3995.61	19533.00	15701.01
त्रिपुरा	153.97	354.65	144.87	397.81	136.00	414.47	618.00	540.29	643.00	168.43	1397.00	1123.19
उत्तर प्रदेश	14727.97	16969.98	13857.12	16226.71	13062.00	14395.38	20508.00	20197.02	20335.00	8804.45	53905.00	43396.85
पश्चिम बंगाल	6155.62	6588.96	5791.65	6317.73	5468.00	5758.50	7542.00	2959.40	7478.00	2173.66	20480.00	10891.56
अ. नि. द्वीप समूह	48.90	41.21	48.90	38.06	43.00	39.34	71.00	38.10	71.00	12.48	185.00	89.12
चण्डीगढ़	9.78										0.00	0
दादरा व नगर हवेली	9.78	9.26	9.78	8.67	9.00	10.41	15.00	14.89	15.00	2.91	39.00	28.21
दिल्ली	48.90	43.87	48.90	22.57							0.00	0
दमन व दीव	19.56	15.01	19.56	11.29	17.00	16.30	28.00	18.74	28.00	2.72	73.00	37.76
लक्षद्वीप	5.00	9.13	5.00	7.80	4.00	8.60	7.00	6.59	7.00	2.70	18.00	17.89
पांडिचेरी	39.12	49.09	39.12	33.55	35.00	42.47	58.00	36.29	58.00	25.14	151.00	103.9
	74731.16	80948.85	70368.74	77308.78	66222.00	69307.64	109343.00	95664.95	109822.00	37666.49	285387.00	202639.00

विवरण-II

1989-90 से 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय रिलीज और खर्च

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीजें						खर्च						सूचना का मास
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (आबंटन)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	15455.61	15637.71	15555.01	17176.34	21695.22	21679.97	18415.55	19317.09	19065.78	19866.65	28568.86	13379.24	अक्तूबर, 94
2.	अरूणाचल प्रदेश	245.72	251.31	27.05	131.34	151.07	258.91	165.40	223.75	221.17	234.80	191.60	72.46	सितंबर, 94
3.	असम	4223.12	3887.08	3467.48	4955.31	7177.52	7136.97	4801.66	5648.57	5000.44	4034.49	7911.51	5153.04	नवंबर, 94
4.	बिहार	30969.53	29234.83	28429.78	37352.50	40295.16	42524.45	31690.69	42582.90	37580.16	41257.59	60445.49	19746.32	अक्तूबर, 94
5.	गोवा	303.00	142.91	282.79	324.90	341.45	278.77	292.35	277.12	364.56	340.38	353.83	2206.02	अक्तूबर, 94
6.	गुजरात	6363.83	5712.05	6408.76	8195.83	7447.38	7958.29	8076.28	7513.03	10039.31	8327.77	10533.51	4475.24	नवंबर, 94
7.	हरियाणा	1654.55	1496.76	2055.02	1836.47	1678.72	1911.69	1970.95	2085..43	2353.04	2012.13	2164.35	1173.29	नवंबर, 94
8.	हिमाचल प्रदेश	922.80	862.81	964.14	1107.11	988.61	885.81	987.48	1270.68	1186.15	1049.73	1303.08	626.33	नवंबर, 94
9.	जम्मू व कश्मीर	1421.94	1600.00	1992.90	1711.70	1442.36	1800.00	1770.50	1635.30	2046.35	1635.94	1080.67	1316.16	नवंबर, 94
10.	कर्नाटक	10086.29	8550.77	9321.49	11399.80	13220.11	14557.15	10942.81	10892.31	11082.63	12533.91	17567.06	8767.82	नवंबर, 94
11.	केरल	5892.81	4332.78	5049.74	6159.44	5061.88	5296.09	6587.35	6819.92	7252.79	6843.94	7788.38	3678.89	नवंबर, 94
12.	मध्य प्रदेश	20495.03	19927.61	17119.51	26309.75	24849.95	27471.67	20562.93	24234.17	31681.83	29328.16	36260.38	9253.32	अक्तूबर, 94
13.	महाराष्ट्र	16795.12	15522.87	12975.66	20039.83	17895.45	23634.14	21059.06	19254.92	18124.11	18648.24	25626.40	9796.98	अक्तूबर, 94
14.	मणिपुर	353.38	296.60	113.02	516.10	284.39	330.69	440.01	490.06	206.77	292.23	301.82	190.59	सितम्बर, 94
15.	मेघालय	366.50	99.18	489.79	368.88	192.96	386.94	172.29	339.35	81.47	413.10	359.46	176.23	अक्तूबर, 94
16.	मिजोरम	149.93	666.92	182.74	195.55	367.44	163.00	188.07	833.41	260.51	213.27	350.70	233.58	अक्तूबर, 94
17.	नागालैंड	403.99	183.80	578.84	502.21	537.61	414.77	504.99	617.46	733.84	637.21	668.66	निल	अक्तूबर, 94
18.	उड़ीसा	10144.33	10048.47	8360.48	13405.24	16392.98	17587.54	10445.27	12845.26	14033.59	13067.13	19582.43	8337.08	नवंबर, 94
19.	पंजाब	1286.93	1273.49	1314.42	1361.75	1291.27	1359.42	1720.68	1222.55	1053.97	2590.94	1922.31	655.47	नवंबर, 94
20.	राजस्थान	10269.70	10481.46	7580.42	13653.57	10509.52	11413.49	10648.94	17087.49	13206.41	12246.06	14247.06	5119.91	अक्तूबर, 94
21.	सिक्किम	158.26	112.36	269.57	285.58	192.02	151.01	155.85	197.78	323.62	303.56	273.07	140.68	अक्तूबर, 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	तमिलनाडु	14632.81	13778.93	12051.53	17007.61	17704.01	19598.35	20162.77	19661.60	21134.07	20094.35	26530.04	15504.36	नवंबर, 94
23.	त्रिपुरा	477.96	391.42	474.10	535.69	543.77	429.52	542.26	525.40	602.99	485.40	838.66	248.49	अक्तूबर, 94
24.	उत्तर प्रदेश	41364.90	38830.87	35637.61	47109.97	47222.86	52833.41	52950.57	45773.98	49146.83	52257.00	69531.24	24717.75	अक्तूबर, 94
25.	पश्चिम बंगाल	18692.28	15856.92	10613.77	20379.06	16303.45	19428.42	19975.36	17019.09	19342.16	21412.74	24031.32	11741.83	नवंबर, 94
26.	अंडमान व निकोबार	163.14	78.29	52.16	62.58	81.93	152.70	95.59	102.02	86.73	67.50	107.20	32.07	अक्तूबर, 94
27.	चंडीगढ़	40.77	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
28.	दादर व नगर हवेली	83.80	80.74	78.50	91.02	73.75	82.89	89.01	66.53	103.31	76.31	80.68	22.79	अक्तूबर, 94
29.	दमन व दीव	52.18	25.04	4.38	20.28	20.28	48.83	32.28	15.46	27.23	5.33	25.91	2.70	अगस्त, 94
30.	दिल्ली	187.42	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.39	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
31.	लक्षद्वीप	81.75	87.01	25.83	60.08	56.48	76.55	52.12	64.72	49.15	61.66	73.58	29.32	अक्तूबर, 94
32.	पांडिचेरी	172.36	223.79	80.36	232.91	126.23	149.47	194.20	164.48	193.27	139.39	122.53	81.03	नवंबर, 94
	योग :	213911.74	200095.01	181556.85	252488.40	254135.83	280000.00	245810.66	258851.96	265989.24	270476.20	358841.82	144878.99	

1993–94 और 1994–95 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को आबंटित रिलीज और खर्च

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गहन जवाहर रोजनगार योजना के अंतर्गत रिलीज किए गए संसाधन		खर्च		सूचित माह	सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज किए गए संसाधन		खर्च		सूचित माह
		1993–94	1994–95	1993–94	1994–95		1993–94	1994–95	1993–94	1994–95	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4995.00	4995.00	4246.73	3006.68	अक्तू., 94	3600.00	8720.00	2566.02	6552.70	अक्तू., 94
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	960.00	136.17	103.59	अक्तू., 94
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00		2070.00	2760.00	963.09	624.96	सितं., 94
4.	बिहार	13785.00	13785.00	8078.50	6806.72	अक्तू., 94	4710.00	6280.00	1608.36	4366.56	अक्तू., 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00						
6.	गुजरात	3115.00	3110.00	1182.44	1616.69	नवं., 94	485.00	1940.00	146.21	392.67	नवं., 94
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00		1320.00	2240.00	993.85	1284.03	नवं., 94
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	140.00	2.47	22.20	अक्तू., 94
9.	जम्मू व कश्मीर	683.00	683.00	147.50	372.37	नवं., 94	835.00	1580.00	123.75	1053.12	नवं., 94
10.	कर्नाटक	3771.00	3772.00	1690.62	2523.93	नवं., 94	2820.00	4480.00	678.26	3978.55	नवं., 94
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	1080.00	171.20	644.21	अक्तू., 94
12.	मध्य प्रदेश	11606.00	12195.00	3917.89	5245.30	अक्तू., 94	5695.00	8920.00	2503.49	4332.47	अक्तू., 94
13.	महाराष्ट्र	7959.00	3174.00	1388.61	3150.79	अक्तू., 94	2645.00	3944.00	430.10	2627.62	अक्तू., 94
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	880.00	116.89	1130.71	अक्तू., 94
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	–	–	33.81	अक्तू., 94
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	800.00	470.98	838.68	अक्तू., 94
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	1120.00	975.15	–	अग., 94
18.	उड़ीसा	5370.00	6715.00	1911.22	3346.45	नवं., 94	4268.00	5720.00	1280.35	3581.31	सितं., 94
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00						
20.	राजस्थान	3655.00	3655.00	1628.85	2884.96	अक्तू., 94	3660.00	7040.00	926.99	4374.77	अक्तू., 94
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00		116.00	160.00	20.27	35.56	अग., 94
22.	तमिलनाडु	2322.76	2604.00	793.98	1788.87	नवं., 94	1055.00	1832.00	319.48	1973.68	अक्तू., 94
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	1440.00	659.35	636.39	सितं., 94
24.	उत्तर प्रदेश	6668.00	6668.00	1979.92	2968.03	अक्तू., 94	2806.25	5740.00	647.68	2188.29	अक्तू., 94
25.	पश्चिम बंगाल	4900.00	4900.00	1884.00	1973.69	अक्तू., 94	4055.00	6360.00	2621.00	3068.07	अक्तू., 94
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	40.00	2.41	2.78	अक्तू., 94
27.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	20.00	1.51	0.81	अक्तू., 94
28.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	–	–	–	अक्तू., 94
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	–	–	–	अक्तू., 94
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00		–	–	–	–	अग., 94
	योग :	68829.76	70256.00	28850.26	35684.48		43910.25	74196.00	18375.03	43847.59	

विवरण–III

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समग्र सातवीं योजना			1990–91			1991–92		
	आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	105.670	109.300	108.450	23.010	23.110	23.010	25.470	25.3470	28.450
अरूणाचल प्रदेश	14.410	4.738	4.931	4.170	4.140	3.370	4.620	2.940	2.990
असम	70.440	71.120	69.446	13.700	10.270	11.784	13.700	17.120	17.620
बिहार	129.640	108.722	109.385	27.100	20.330	10.927	29.990	28.580	26.450
गोवा	2.110	1.160	1.157	0.500	0.500	0.375	0.550	0.550	0.790
गुजरात	64.870	75.784	79.633	14.640	14.010	14.800	16.330	19.990	15.144
हरियाणा	42.650	32.336	32.129	8.670	4.786	7.965	9.990	11.080	8.240
हिमाचल प्रदेश	34.630	44.580	44.740	6.400	6.400	6.422	6.420	6.410	5.380
जम्मू व कश्मीर	91.250	100.089	95.747	19.130	14.250	15.690	19.160	20.030	19.900
कर्नाटक	94.620	95.446	100.164	21.160	21.418	18.705	23.420	23.300	20.390
केरल	54.600	55.068	53.836	10.760	10.760	15.249	11.910	12.450	13.680
मध्य प्रदेश	128.820	145.080	158.030	25.470	20.272	26.335	26.190	35.830	32.870
महाराष्ट्र	133.990	126.638	124.644	30.630	33.654	25.262	33.900	34.380	23.763
मणिपुर	16.780	17.780	18.287	3.080	3.080	3.075	3.080	3.080	2.360
मेघालय	20.800	17.203	22.507	4.200	4.200	3.780	4.200	4.200	3.340
मिजोरम	5.090	8.708	9.330	1.170	1.170	1.170	1.290	1.290	1.750
नागालैंड	21.100	21.063	24.030	4.220	4.420	2.596	4.220	3.870	2.300
उड़ीसा	60.100	58.819	54.899	12.060	18.374	15.364	13.350	11.730	11.650
पंजाब	24.080	29.38	32.458	3.830	3.840	4.972	4.240	4.240	4.240
राजस्थान	166.340	171.710	173.782	36.660	37.530	36.660	41.830	41.830	41.830
सिक्किम	16.980	16.426	19.060	3.720	3.740	3.398	3.720	4.200	4.200
तमिलनाडु	92.810	95.510	89.189	18.240	18.240	25.892	20.190	20.190	24.410
त्रिपुरा	17.550	17.805	18.133	3.500	2.530	2.685	3.500	4.480	2.900
उत्तर प्रदेश	226.210	199.600	245.170	42.680	42.680	38.306	47.240	55.780	42.190
पश्चिम बंगाल	83.160	66.509	66.656	16.480	13.384	13.727	18.240	16.180	13.900
अंडमान व निकोबार	2.155	1.650	1.975	0.400	0.825	0.636	0.400	0.200	0.000
चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
दादर व नगर हवेली	0.480	0.060	0.000	0.120	0.000	0.000	0.130	0.000	0.000
दिल्ली	0.390	0.130	0.000	0.130	0.130	0.98	0.140	0.070	0.012
लक्षद्वीप	0.400	0.050	0.060	0.100	0.000	0.045	0.100	0.000	0.000
पांडिचेरी	1.130	0.980	1.063	0.260	0.130	0.065	0.260	0.100	0.100
दमन व दीव	0.760	0.240	0.000	0.200	0.528	0.000	0.220	2.400	2.820
योग	1724.015	1692.422	1758.891	356.390	338.701	332.355	390.000	411.970	373.669

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

राज्य/संघ शक्ति क्षेत्र शासित	आठवीं योजना 1992-93			1993-94			1994-95	
	आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	उपयोग
1	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	25.470	25.470	25.470	41.240	46.240	4644.00	41.240	2700.00
अरूणाचल प्रदेश	4.620	4.620	5.820	7.460	7.460	5.176	842.00	151.21
असम	13.700	13.700	7.000	13.700	13.700	18.120	1422.00	570.00
बिहार	29.990	18.474	33.980	48.560	48.560	22.217	5469.00	500.00
गोवा	0.550	0.550	0.520	0.840	1.340	0.837	129.00	38.46
गुजरात	16.330	16.330	17.970	26.560	29.560	18.584	3029.00	833.17
हरियाणा	9.990	8.328	11.660	16.520	18.310	15.817	2008.00	777.30
हिमाचल प्रदेश	6.420	6.420	6.420	8.330	10.330	8.041	942.00	283.60
जम्मू व कश्मीर	19.160	19.000	9.970	23.30	18.888	28.686	2599.00	347.71
कर्नाटक	23.420	23.420	28.130	35.120	37.120	36.791	4272.00	17.762
केरल	11.910	11.910	10.710	19.280	21.270	13.165	2172.00	303.10
मध्य प्रदेश	28.190	27.021	25.540	45.540	48.000	49.730	5142.00	2402.75
महाराष्ट्र	33.900	24.237	32.158	54.880	54.880	43.741	6132.00	1652.72
मणिपुर	3.080	3.080	2.180	3.080	3.080	2.962	309.00	159.00
नागालैंड	4.220	2.281	1.380	4.220	3.890	0.903	420.00	218.73
उड़ीसा	13.350	13.350	14.940	21.600	23.600	21.625	236.00	118.00
पंजाब	4.240	4.240	4.240	6.880	8.880	11.305	422.00	0.00
राजस्थान	41.830	41.830	41.170	68.860	71290	64.738	2434.00	1139.82
सिक्किम	3.720	3.677	3.820	3.720	3.720	3.720	770.00	421.74
तमिलनाडु	20.190	20.190	23.940	32.680	34.700	29.295	8232.00	2245.39
त्रिपुरा	3.500	3.040	3.120	3.500	3.500	3.944	372.00	172.95
उत्तर प्रदेश	47.240	47.240	48.020	76.480	76.472	69.652	3682.00	1107.66
पश्चिम बंगाल	18.240	18.240	13.500	29.520	29.520	22.344	358.00	139.66
अंडमान व निकोबार	0.400	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	866.00	2970.00
चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
दादरा व नगर हवेली	0.130	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	22.00	18.18
दिल्ली	0.140	0.072	0.066	0.220	0.197	0.117	25.00	0.00
लक्षद्वीप	0.100	0.000	0.000	0.100	0.400	0.350	8.00	0.00
पांडिचेरी	0.250	0.130	0.260	0.400	0.260	0.260	16.00	9.43
दमन व दीव	0220	0.220	1.830	0.950	0.865	0.683	10.00	0.90
मेघालय	4.220	4.200	2.750	4.200	4.200	5.787	420.00	218.73
मिजोरम	1.290	1.290	1.280	2.100	2.100	2.100	236.00	118.00
कुल :	390.000	362.560	377.584	600.270	622.732	542.337	68160.00	22726.50

[हिन्दी]

पेपर निर्माता/व्यापारी

2310. **श्री मंजय लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेपर निर्माताओं/व्यापारियों ने सरकार से कुछ रियायतों और सुविधाओं की मांग की है जैसा कि 19 अप्रैल, 1994 के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अखबार में उठाये गये मुद्दे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संघ/फोरम द्वारा सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है तभी इन मुद्दों की जांच की जाती है।

[अनुवाद]

मतदाता सूची

2311. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने के प्रयास किए थे;

(ख) क्या यह देखा गया है कि विदेशी नागरिकों के नाम इन महानगरों की मतदाता सूचियों में शामिल कर लिए गए हैं;

(ग) पिछले अगस्त से । अक्तूबर, 94 तक प्रत्येक शहर में अपनी राष्ट्रीयता प्रमाणित करने हेतु मतदाता सूचियों में शामिल व्यक्तियों को कितने नोटिस जारी किए गये; और

(घ) प्रत्येक महानगर में इस प्रयास के क्या परिणाम प्राप्त हुए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्यक्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की ब्लाक अवधि बढ़ाना

2312. **श्री जी. देवराय नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्लेग के आतंक और विधान सभा चुनावों को देखते हुए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने ब्लाक वर्ष 1990-93 के लिए अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ उठाए जाने हेतु सरकार का विचार इस अवकाश यात्रा सुविधा की ब्लाक अवधि बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारगेट आल्वा) : (क) चूंकि सरकारी कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत संबंधी दावों पर कार्यवाही तथा उनकी स्वीकृति संबंधित नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा, भिन्न-भिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में विभिन्न स्तरों पर की जाती है इसलिए उन कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने ब्लाक वर्ष 1990-93 के लिए अवकाश यात्रा रियायत सुविधा नहीं ली है।

(ख) से (घ). ब्लाक वर्ष 1990-93 के लिए रियायत की अवधि को दिनांक 31.12.1994 से और आगे बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं

2313. **श्री कालकादास :**
श्री अमर रायप्रधान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को अपनी पात्रता श्रेणी के अंतर का भुगतान करने के बाद अवकाश यात्रा रियायत सुविधा प्रयोजनार्थ कलकत्ता/मद्रास से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विमान यात्रा करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संगत नियमों का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार समय की अत्याधिक बर्बादी और अनिश्चित पोत यात्रा को ध्यान में रखते हुए यात्रा रियायत सुविधा के प्रयोजनार्थ कलकत्ता/मद्रास से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विमान यात्रा की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 12(3) के अनुसार सरकारी कर्मचारी ऐसे स्थानों के

बीच हवाई यात्रा कर सकते हैं जो रेल मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं और जहां यात्रा का कोई अन्य वैकल्पिक साधन या तो उपलब्ध नहीं है अथवा अधिक मंहगा है। नियम 12(4) में व्यवस्था है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जहाजरानी सेवाओं से जुड़े स्थानों के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा समुद्री जहाज की यात्रा की हकदारी को उसी प्रकार विनियमित किया जाता है जैसाकि स्थानांतारण पर की जाने वाली समुद्री जहाज से यात्रा के मामले में किया जाता है। चूंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जहाजरानी सेवाओं से जुड़े हैं अतः इन द्वीपों पर छुट्टी यात्रा रियायत पर यात्रा करने का सामान्य साधन समुद्री जहाज ही है।

अपवादस्वरूप, 5100/–रुपये तथा इससे ऊपर वेतन अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जो अंडमान और निकोबार द्वीप में तैनात हैं, वे और उनके परिवार छुट्टी यात्रा रियायत पर पोर्ट ब्लेयर तथा कलकत्ता/मद्रास के बीच हवाई यात्रा कर सकते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कदाचार

2314. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच और पंजीकरण महानिदेशक, कोलगेट पामोलिन इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और पॉण्ड्स इंडिया लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाए गये अनुचित तरीकों और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहारों के मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच और पंजीकरण महानिदेशक ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने मै. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और मै. पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सम्माननीय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दी है। चूंकि आयोग एक न्यायिककल्प निकाय है अतः मामले आयोग के समक्ष न्यायाधीन हैं।

जहां तक कॉलगेट पामोलिव इंडिया लि. का संबंध है, कंपनी से और सूचना की प्रतीक्षा है। सूचना प्राप्त हो जाने पर महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण अपनी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देंगे।

[हिन्दी]

गहरी खुदाई

2315. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पठारी क्षेत्रों में गहरी खुदाई तथा जलडमरू मध्य में ट्यूबवेल खोदने के लिए हाई प्रेशर डीप ड्रिलिंग कम्बीनेशन रिंग और हाईड्रफेक्चरिंग मशीन खरीदने हेतु अनुदान का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से 6 कम्बीनेशन ड्रिलिंग रिग्स और दो हाइड्रोफ्रेक्चरिंग मशीनों की खरीद हेतु प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

जेसप कंपनी लिमिटेड

2316. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.बी.यू.एन.एल. की सहायक कंपनी जेसप कंपनी लिमिटेड की भूमि तथा मुख्य कार्यालय परिसर को बेचने हेतु प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जेसप एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले के भारतीय स्टेट बैंकों द्वारा देय 13.83 करोड़ रुपये के ऋण को दीर्घकालीन ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के लिए कार्यकारी पूंजी एवं सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा गैर-योजना सहायता के रूप में मांगी 10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जेसप कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग विभाग को एक संभाव्यता योजना सौंपी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जेसप एण्ड कंपनी के मुख्यालय के परिसर की बिक्री हेतु प्रक्रिया-प्रणालियों को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). इस वर्ष बजटीय प्रावधान की अनुपलब्धता के कारण, 10 करोड़ रुपये की गैर-योजना सहायता जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को नहीं दी गई है।

(च) और (छ). जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा एक पुनरुद्धार योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

जंगपुरा में अनधिकृत निर्माण

2317. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लाल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किये गये अनधिकृत निर्माण का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या जंगपुरा, भोगल तथा अन्य क्षेत्रों में किये गये अनधिकृत निर्माणों की जांच से संबंधित कागजात लाजपत नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रहस्यपूर्ण ढंग से जला दिये गये; और

(घ) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है :-

दिल्ली विकास प्राधिकरण : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि डीडीए द्वारा ऐसा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, ऐसे अनधिकृत निर्माणों के मामलों का पता लगते ही दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। गत 1 वर्ष के दौरान, डीडीए के विकास क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों के बाबत 3423 मामलों में नोटिस भेजे गए हैं। 671 मामलों में सील करने एवं गिराने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके अलग नियमित कालोनियों में अनधिकृत निर्माण के 518 मामलों में निर्माण को सील करने एवं गिराने संबंधी आदेश पारित किए गए हैं जिनमें से 61 मामलों पर निर्माण को सील करने एवं गिराने की कार्रवाई के लिए, लिए गये हैं।

दिल्ली नगर निगम : दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि दिल्ली में अवैध निर्माण एक एतत् समस्या है। ऐसे अवैध/अनधिकृत निर्माणों का पता लगते ही/जानकारी मिलते ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

नई दिल्ली नगर परिषद : नई दिल्ली नगर परिषद ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में पता लगाये गये अनधिकृत निर्माण के 602 मामलों में कार्रवाई शुरू की है।

भूमि तथा विकास कार्यालय : भूमि तथा विकास कार्यालय ने जानकारी दी है कि पुनर्वास कालोनियों में निरीक्षणों पर सामान्य पाबन्दी की वजह से केवल शिकायती मामलों में ही निरीक्षण कराए जाते हैं।

दिल्ली छावनी बोर्ड : दिल्ली छावनी बोर्ड ने बताया है कि अवैध निर्माण का पता लगते ही/जानकारी मिलते ही छावनी आधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उसके जोनल कार्यालय में 2.2.1993 को लगी अग्नि दुर्घटना की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दी गई थी और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने जानकारी दी है कि आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

खादी के कपड़ों के मूल्य

2318. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खादी के कपड़ों के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खादी के कपड़ों की कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूरेनियम परियोजना

2319. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेघालय के डोमियोसियात क्षेत्र में यूरेनियम भण्डार के लिए यूरेनियम परियोजना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू सी आई एल) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, को मेघालय में डोमियासियात क्षेत्र में यूरेनियम अयस्क का खनन और उसका षेषण करने हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिए एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लेने के बाद और परमाणु बिजली कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की मांग और संसाधनों की उपलब्धता को मद्दे नजर रखते हुए, यूरेनियम अयस्क का खनन और उसका पेषण करने संबंधी परियोजना का काम हाथ में लिया जाएगा।

सोमालिया में कार्यरत भारतीय सैनिक/डॉक्टर

2320. **डा. साक्षीजी :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमालिया में हाल ही में कुछ भारतीय डाक्टर और सेना के कार्मिक मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे की कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) अभी सोमालिया में कितने भारतीय डाक्टर और सेना के कार्मिक हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). 22 अगस्त और 31 अगस्त, 1994 को दो अलग-अलग घटनाओं में सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात तीन डाक्टरों सहित भारतीय सेना के दस कार्मिक मारे गए थे।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सोमालिया में यू एन ओ एस ओ एम-2 में 29 डॉक्टरों सहित, कुल 4989 कार्मिक तैनात किए गए थे। फिलहाल, इस दल को वहां हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 15 दिसम्बर, 1994 तक 2088 कार्मिक भारत लौट चुके हैं।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संक्रियाओं में तैनात किए गए स्टाफ अफसरों सहित सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र विनियमों के अनुसार मृत्यु, सैन्य सेवा के कारण घायल होने अथवा बीमारी के मामलों में संयुक्त राष्ट्र, संबंधित सरकारों के राष्ट्रीय विधानों और/अथवा विनियमों के आधार पर प्रतिपूरक अदायगी करता है। सरकारी आदेशों के अनुसार सोमालिया में इन शांति स्थापना संक्रियाओं के दौरान मृत्यु, घायल अथवा बीमार होने के मामलों को युद्ध में हताहत मामले माना जाएगा और इन्हें उदारीकृत पेंशन संबंधी लाभों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पेंशन संबंधी लाभों के साथ ही उक्त परिवार सेना समूह बीमा से मृत्यु संबंधी लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे बशर्ते कि दिवंगत सेना कार्मिक इस योजना के अतंर्गत आता हो। कभी-कभी मामले की प्राथमिकता को देखते हुए आर्मी वाइव्ज वेल्फेयर एसोसिएशन फंड, निशक्त सेना कार्मिक निधि, विधवा तथा अनाथ निधि और सेना अफसर दातव्य निधि से भी अनुदान दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

कोल्ड स्टोरेज

2321. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्ड स्टोरेजों का बीमा करवाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्टोरेजों में रखे माल के खराब होने की स्थिति में किसानों को इसका मुआवजा मिलता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब राज्यों में सभी शीत-भण्डारागारों का बीमा कराना अनिवार्य है। अन्य राज्यों में सहकारी शीत-भण्डारागारों के मामले में इनका बीमा कराना अनिवार्य है।

(ख) बीमा कराये गये शीत-भण्डारागारों के मामले में किसान उनमें संग्रहित मालों की क्षति की एवज में मुआवजा पाने के हकदार हैं। अन्य मामलों में मामले को शीत-भण्डारागार मालिक एवं किसानों के द्वारा परस्पर निपटा लिया जाता है। जब कभी किसानों एवं शीत भण्डारागार मालिक के बीच कोई विवाद खड़ा होता है, मामले का निर्णय नियुक्त किए गये लाइसेंस अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार नीति

2322. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन पर बल दिए जाने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त नीति सरकारी और निजी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के संबंध में कहां तक सफल सिद्ध हुई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार कार्यनीति में वर्तमान विशेष रोजगार कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाने के अतिरिक्त भौगोलिक और फसलवार नानाविध कृषि-विकास, ग्रामीण और लघु क्षेत्रों में और विकेन्द्रीकृत उत्पादन क्षेत्रक में

गैर-कृषि, विशेषतया उत्पादन क्रियाकलापों, कृषि आधारित और संबद्ध क्रियाकलापों का विकास, आधारभूत संरचना और रिहायशी आवास निर्माण कार्यक्रमों के विस्तार और सेवाओं के विकास और अनौपचारिक क्षेत्रक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

(ख) आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सृजित अतिरिक्त रोजगार अनुमान नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	रोजगार वृद्धि अथवा कमी		
	कुल	सरकारी क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक
1992-93	6.38	0.18	6.20
1993-94	5.59	(-) 0.51	6.10

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी निवेश

2323. **श्री सोमजीभाई डामोर :**
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री आर. जीवरत्नम :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में अनिवासी भारतीयों सहित विदेशी निवेशकों की स्वीकृत और निवेश की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निवेश में अनिवासी भारतीयों का अंश कितना है;

(ग) देश में उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी निवेशकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अधिक विदेशी पूंजी निवेशकों को विशेषत: संभावनाओं वाले राज्यों की ओर आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में 1991 से 1994 तक (अक्तूबर तक) की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश सहित विदेशी निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा अनुमोदित तथा किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1994 तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीय निवेश सहित) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है। 1993 से पूर्व राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते थे।

(ग) और (घ). विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए शुरू किए गए नीति संबंधी विभिन्न उपायों के ब्यौरे 24 जुलाई, 1991 को संसद के सभा-पटल पर रख दिए गए थे। स्थापना-स्थल के चयन को विदेशी निवेशकों सहित उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ते हुए, सरकार विकास केन्द्र योजनाओं, पिछड़े क्षेत्रों में करावकाश तथा परिवहन राजसहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के औद्योगिकीकरण संबंधी प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण-I

1991 से 1994 के दौरान (अक्तूबर तक) अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश सहित विदेशी निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा अनुमोदित तथा किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष (अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश सहित)		विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अन्तर्वाह (अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश सहित)	
	अनुमोदित विदेशी निवेश की कुल धनराशि (अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश सहित)	अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों में अनुमोदित अनिवासी भारतीय निवेश की धनराशि	वास्तव में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीय निवेश सहित) की कुल धनराशि	वास्तव में 40 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत योजना के तहत किए गए अनिवासी भारतीय निवेश की कुल धनराशि
1991	534.11	19.70	351.43	160.25
1992	3887.54	439.13	675.22	147.98
1993	8859.33	1043.32	1786.00	559.61
1994 (अक्तूबर तक)	10745.03 (4551.09 करोड़ रु. के यूरो इशू सहित)	430.74	2220.86	913.59

विवरण-II

जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1994 तक विदेशी निवेश अनुमोदन का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	अनुमोदित निवेश (रु. मिलियन में)
महाराष्ट्र	50990.52
दिल्ली	25497.82
गुजरात	17609.80
तमिलनाडु	11601.62
पश्चिम बंगाल	10149.51
आंध्र प्रदेश	10173.53
उड़ीसा	8134.86
मध्य प्रदेश	7936.58
पंजाब	4967.67
राजस्थान	2762.51
हरियाणा	2410.59
कर्नाटक	2361.08
उत्तर प्रदेश	1175.86
पांडिचेरी	1113.18
चंडीगढ़	715.35
बिहार	709.69
गोवा	399.55
दादर और नगर हवेली	351.64
केरल	352.34
हिमाचल प्रदेश	122.49
दमन और दीव	54.78
अंडमान और निकोबार	9.60
असम	2.74
अन्य (राज्य नहीं दर्शाया गया)	36464.96
कुल	196068.24

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2324. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में निवेश की पेशकश करने वाले तमिलनाडु में बसे अनिवासी भारतीयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अनिवासी भारतीयों को राज्य सरकारों द्वारा क्या सुविधाएं देने की पेशकश की गई तथा उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तमिलनाडु राज्य में उद्योगों की स्थापना करने हेतु 1.4.94 से 31.10.94 के दौरान 1707.23 लाख रु. के अनिवासी भारतीय निवेश वाले 17 प्रस्तावों को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अभिलेखों के अनुसार, एक प्रस्ताव सिंगापुर स्थित अनिवासी भारतीय का है तथा इसमें रद्दी कागज उपचार संयंत्र स्थापित करने हेतु 60.00 लाख रु. का निवेश शामिल है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि, बिजली इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है।

विघाक्त पेप्सी की बोतलें

2324क. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक बोतलों के उत्पादन और आयात के लिए पेप्सी और इंडियन आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की एक परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत अमेरिका से जोखिम भरे प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों के भारी भंडार का आयात होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). भारत सरकार ने बीवरेज बाटल ग्रेड के 20,000 मी. टन थर्मोजन पालिएस्टर थिप्स का विनिर्माण करने के लिए पेप्सी इंक, यू. एस. ए. के 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख एकक को अक्तूबर, 1993 में मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का एक कंपनी अर्थात में फ्यूटुरा पालीमर्स लि. द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है जो इंडियन आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. (आईपीसीएल) और पेप्सी को. का संयुक्त उद्यम है, जिनकी क्रमशः 48.72 प्रतिशत तथा 51.28 प्रतिशत इक्विटी है । पी.ई.टी. कचड़ा इस परियोजना के लिए कच्चेमाल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। पी.ई.टी. कचड़ा का यू.एस.ए. से आयात करने के लिए आई.ओ.सी.एल. तथा पेप्सी को के बीच कोई अनुबंध नहीं किया गया है।

प्लास्टिक कचरे के आयात की हालत में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सरकार भली-भांति सजग है। अधिकतर प्लास्टिक कचड़ा का पुनः प्रयोग खतरनाक नहीं है, बशर्ते कि विषैली सामग्री इसमें इकट्ठी न की गई हो। तदनुसार वर्तमान आयात नीति के अनुसार पीईटी बाटल कचड़े को छोड़कर सभी प्रकार की प्लास्टिक कचड़े/रद्दी के केवल आयात लाइसेंस पर आयात की अनुमति है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि खतरनाक सामग्री के आयात से बचा जा सके और स्वदेशी प्लास्टिक कचड़े के पुनः प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके, जो काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

यूरिया की कमी

2324 **ख. श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतिश कुमार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान देश में यूरिया की कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो रबी फसल की बुआई के समय कितने यूरिया की आवश्यकता होगी तथा इसकी कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होने की संम्भावना है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के उत्पादन में लगातार कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उर्वरकों की उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन चालू रबी मौसम के लिये किये गये आवंटनों में यथा प्रदर्शित राज्यों की अनुमानित मांग के संदर्भ में देश में यूरिया की उपलब्धता कुल मिलाकर पर्याप्त है। तथापि, मांग पैटर्न में परिवर्तनों, रबी 1994-95 के लिए निम्न अथशेष भण्डारों, कुछ एककों में उत्पादन में कटौतियों और संचलन बाधाओं की वजह से कुछ राज्यों में यूरिया के अस्थाई और स्थानीकृत कमी आई है। राज्य सरकारों आयातित उर्वरकों के आपूर्तिकर्त्ताओं और परिचालन अभिकरणों के समन्वय से स्थिति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। जहां आवश्यक है, सुधारात्मक उपाय किये गये हैं।

(ग) और (घ). यूरिया के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई हैं। 25.8.92 से फास्फेटिक उर्वरकों के अनियंत्रण के पश्चात तथा उनकी मांग में कमी के परिणामस्वरूप देश में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जो 1993-94 तक चलती रही।

(ङ) प्रयोग किये गये फीडस्टाफ, संयंत्र के स्वास्थ्य तथा पुरानेपन, क्षमता उपयोग ऊर्जा खपत आदि के आधार पर उर्वरकों के उत्पादन की लागत संयंत्र दर संयंत्र अलग-अलग होती है। यूरिया के मामले में उत्पादन की लागत जैसा कि भारित औसत प्रतिधारण मूल्य प्रदर्शित हैं। मुख्य रूप से इनपुट्स के मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा नये एककों की उच्चतर पूंजी लागत के कारण 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान 18 प्रतिशत बढ़ गई।

25.8.92 को इसके अनियंत्रण से पहले डी ए पी का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 8325/-रु. प्रति टन था। 1993-94 के दौरान डी ए पी की उत्पादन लागत आयातित कच्चे मालों खास तौर पर फास्फेटिक एसिड और अमोनिया के मूल्यों में गिरावट तथा उनके आयात पर सीमा शुल्क की समाप्ति के कारण सामान्यतः अपेक्षाकृत कम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे मालों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण 1994-95 के दौरान बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

बंगलौर के लिए परिक्रमा रेलवे

2324 **ग. श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री सी.पी. मुडलागिरियप्पा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर के लिए परिक्रमा रेल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सतत मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) बताया गया है कि बंगलौर में जनद्रुतगामी परिवहन प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए कर्नाटक सरकार, मैं. इन्फ्रास्ट्रकचर लीजिंग एण्ड फाइर्नेशियल सर्विसेज लिमि. (आई एल एण्ड एफ एस) से एक साध्यता अध्ययन करवा रही है। ज्ञात है कि आई एल एण्ड एफ एस ने सितम्बर, 1994 में बंगलौर जनद्रुतगामी परिवहन प्रणाली लिमि. (बीएमआरटीएल) के लिए अपनी प्रारूप साध्यता रिपोर्ट दे दी है। बीएमआरटीएल बोर्ड रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। इस रिपोर्ट की इस मंत्रालय को कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

11.13 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

लोक सभा 12.00 मध्याह्न पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

12.01 म.प.

इस समय श्री पूर्ण चन्द्र मलिक और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

12.02 म.प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.03 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई

2.00 म.प.

लोक सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई
(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)
(व्यवधान)

2.01 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए
(व्यवधान)

2.1 1/2 म.प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.02 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा 4.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.00 म.प.

लोक सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई
(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)
(व्यवधान)

4.01/2 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

4.01 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

13.12.93 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

प्रमुख धातु और अधातु अयस्कों के उत्पादन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री बलराम सिंह यादव की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं।

'प्रमुख धातु और अधातु अयस्कों का उत्पादन' के बारे में श्री सैयद शहाबुद्दीन के अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के 13 दिसम्बर, 1993 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[]ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6803/94]

इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर, रिसर्च नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल टी-6804/94)

(2) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6805/94]

श्री चित्रा तिरूमल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनन्तपुरम का वर्ष 1993-94 और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1)(एक) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) श्री चित्रा तिरूमल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी 6806/94]

(2)(एक) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी -6807/94]

(3)(एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6808/94]

(4) (एक) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6809/94]

(5)(एक) राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी 6810/94]

(6)(एक) नेशनल एमएसटी रडार फेसिलिटी, चित्तूर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एमएसटी रडार फेसिलिटी, चित्तूर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6811/94]

(7)(एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6812/94]

(8)(एक) साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एलटी-6813/94]

(9)(एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6814/94]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी -5815/94]

(ख)(एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगुडा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगुडा का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी- 6816/94]

(ग)(एक) भारत इम्युनोलाजिकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्युनोलाजिकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी- 6817/94]

(घ)(एक) अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6818/94]

(ङ)(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी 6819/94]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 1993-94 और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6820/94]

(ख)(एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडोदरा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडोदरा का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी -6821/94]

(ग)(एक) सीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी- 6822/94]

(घ)(एक) सेमी कण्डक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, मोहाली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सेमी कण्डक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, मोहाली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6823/94]

(ङ)(एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, हैदराबाद के 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6824/94]

(च)(एक) पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमेटेड, बडोदरा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बडोदरा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6825/94]

(3)(एक) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाईड फार्मुलेशन टेक्नोलाजी, गुडगांव के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाईड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6826/94]

(4)(एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिग एण्ड टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिग एण्ड टेक्नोलॉजी, मद्रास का वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6827/94]

(5)(एक) इलेक्ट्रानिक अनुसंधान और विकास केन्द्र, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक अनुसंधान और विकास केन्द्र तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6828/94]

(6)(एक) नेशनल सेन्टर फार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी- 6829/94]

(7)(एक) सेटकॉम सर्विसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेटकॉम सर्विसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी -6830/94]

(8)(एक) साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी-6831/94]

(9)(एक) सोसायटी फार एप्लाइड माईक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फार एप्लाइड माईक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल टी-6832/94]

(10)(एक) सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलाजी, इम्फाल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी, इम्फाल के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी-6833/94]

(11)(एक) सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी, औरंगाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी, औरंगाबाद के वर्ष 1993-94 का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी- 6834/94]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना सं

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कंपनी (शेयर सर्टिफिकेटों का जारी किया जाना) संशोधन नियम, 1994, जो 28 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.597 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 28 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 20 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) (संशोधन) नियम 1994, जो 17 अक्तूबर 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ), जो 5 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची -चौदह में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी- 6835/94]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन,रांची के वर्ष 1993 -94 और दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, पुरूलिया के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6836/94]

(ख)(एक) दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, पुरूलिया के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, पुरूलिया का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6837/94]

(गं)(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6838/94]

(घ)(एक) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6839/94]

(ङ)(एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6840/94]

(च)(एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विव

(दो) टायर कापोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6841/94]

(छ)(एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6842/94]

(ज)(एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साम्भर साल्ट लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6843/94]

(झ)(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6844/94]

(ञ)(एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6845/94]

(ट)(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहबाद का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6846/94]

(ठ)(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6847/94]

(ड)(एक) साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड , कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6848/94]

(ढ)(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6849/94]

(ण)(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6850/94]

(2) उपर्युक्त (1) की मद (ड) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल टी-6851/94]

(4)(एक) ओटोमेटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओटोमेटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6852/94]

(31) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6853/94]

इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 1993-94 और प्रक्रिया तथा उत्पादन विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एम. अरुणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) इलैक्ट्रोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स सर्विस एंड ट्रेनिग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6854/94]

(2)(एक) प्रक्रिया और उत्पादन विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रक्रिया और उत्पादन विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6855/94]

(3)(एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6856/94]

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति .(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6857/94]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6858/94]

(2)(एक) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6859/94]

(3) छावनी बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6860/94]

(4)(एक) वैमानिक विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वैमानिक विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6861/94]

(5) (क) (एक) जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, अरू के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, अरू के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6862/94]

(ख) जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, अरू के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी-6863/94]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1995 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती मार्गरेट आल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 7 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 743 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) दूसरा संशोधन नियम 1994, जो 18 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 756 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ग्रुप 'ख' और 'ग' प्रकीर्ण पद) संशोधन नियम, 1994, जो 25 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कर्मचारी) (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 25 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (ग्रुप 'ख' और 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 1994, जो 25 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 775 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी -6864/94]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनिमय, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1994, जो 29 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1994 जो 25 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी 6865/94]

(3)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी 6866/94]

(4)(एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल टी -6867/94]

(5)(एक) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल टी -6868/94]

(6)(एक) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली (केन्द्रीय भण्डार) के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली (केन्द्रीय भण्डार) के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी -6869/94]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे इत्यादि

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : महोदय, मैं निम्नलिखित की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल टी 6870/94]

4.1/2 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आयकर अधिनियम में परिवर्तन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं आयकर अधिनियम में परिवर्तन के संबंध में एक वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं। खनिज तेल के पूर्वेक्षण, आदि के कारोबार के मामले में आयकर अधिनियम में विशेष उपबन्ध है। खनिज तेलों के पूर्वेक्षण, अथवा तेल निकालने या उत्पादन वाले किसी भी कारोबार के मुनाफों एवं लाभों के निर्धारण में अनुज्ञेय व्ययों और भत्तों आदि के संबंध में लचीली कटौतियां करने के लिए अधिनियम की धारा 42 में एक मशीनरी (कार्य प्रणाली) का प्रावधान है। इस धारा के उपबंधों का तभी सहारा लिया जा सकता है जहां खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या उसे निकालने या उत्पादन के लिए किसी व्यक्ति के साथ केन्द्रीय सरकार ने एक करार किया हो और केन्द्रीय सरकार या इसका नामिती ऐसे कारोबार में एक भागीदार हो। यह उत्पादन-साझेदारी संविदाओं के माध्यम से किया जाता है। सरकार और इसके नामिती के अलावा कंपनियों का एक संघ, सामान्यतया इस कारोबार में लगा हुआ है। इसके फलस्वरुप इन व्यक्तियों (सरकार को छोड़कर जिसे आयकर देना नहीं होता है) का कर-निर्धारण व्यक्तियों के संघ (ए.ओ.पी.) की हैसियत से किया जाना है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि खनिज तेल के पूर्वेक्षण, आदि के कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों का कर- निर्धारण व्यक्तियों के संघ की हैसियत से नहीं बल्कि ऐसे कारोबार से प्राप्त उनकी आय पर विभिन्न हैसियतों के रुप में किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के संघ की हैसियत में कर-निर्धारण करने से घाटे को आगे ले जाने की सुविधा पाने में कठिनाईयां उत्पन्न होने की संभावना रहती हैं यदि व्यक्तियों के संघ (ए.ओ.पी.) का गठन बाद में बदला जाना है। इसके अलावा ए.ओ.पी. की हैसियत से कर-निर्धारित अनिवासी व्यक्तियों के लिए भारत में भुगतान किए गए कर के संबंध में अपने देश में क्रेडिट प्राप्त करना कठिन होगा क्योंकि कर का भुगतान ए.ओ.पी. द्वारा किया गया है न कि अनिवासियों द्वारा।

उपर्युक्त व्यक्तियों के हित में कुछ रियायते करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 293 क केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करती है। परन्तु इस धारा का क्षेत्र कर से छूट देने या आयकर की दर में कमी करने या आयकर के संबंध में या उक्त व्यक्तियों की आय के संबंध में कोई दूसरा संशोधन करने तक सीमित है। यह उस हैसियत के संबंध में कोई संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान नहीं करती, जिसमें इन व्यक्तियों का कर-निर्धारण किया जाना है।

खनिज तेल के पूर्वेक्षण, आदि के कारोबार में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 293 क का संशोधन करने के सरकार के निर्णय की घोषणा करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है जिससे ऐसे कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों की हैसियत, जिस पर उनका कर-निर्धारण किया जाना है, के संबंध में संशोधन करने के लिए सरकार को शक्तियां प्राप्त हो सके। यह संशोधन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और उससे आगे लागू होगा।

इस संबंध में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव अगले वित्त विधेयक के द्वारा किया जाएगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा कल 22 दिसम्बर, 1994 को 11 बजे म.पू. पर पुन : समवेत होने तक लिए स्थगित होती है।

4.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 22 दिसम्बर, 1994 /1पौस, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।